खण्ड-259, अंक-2
मंगलवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(24 अगस्त, 1965 ई0)

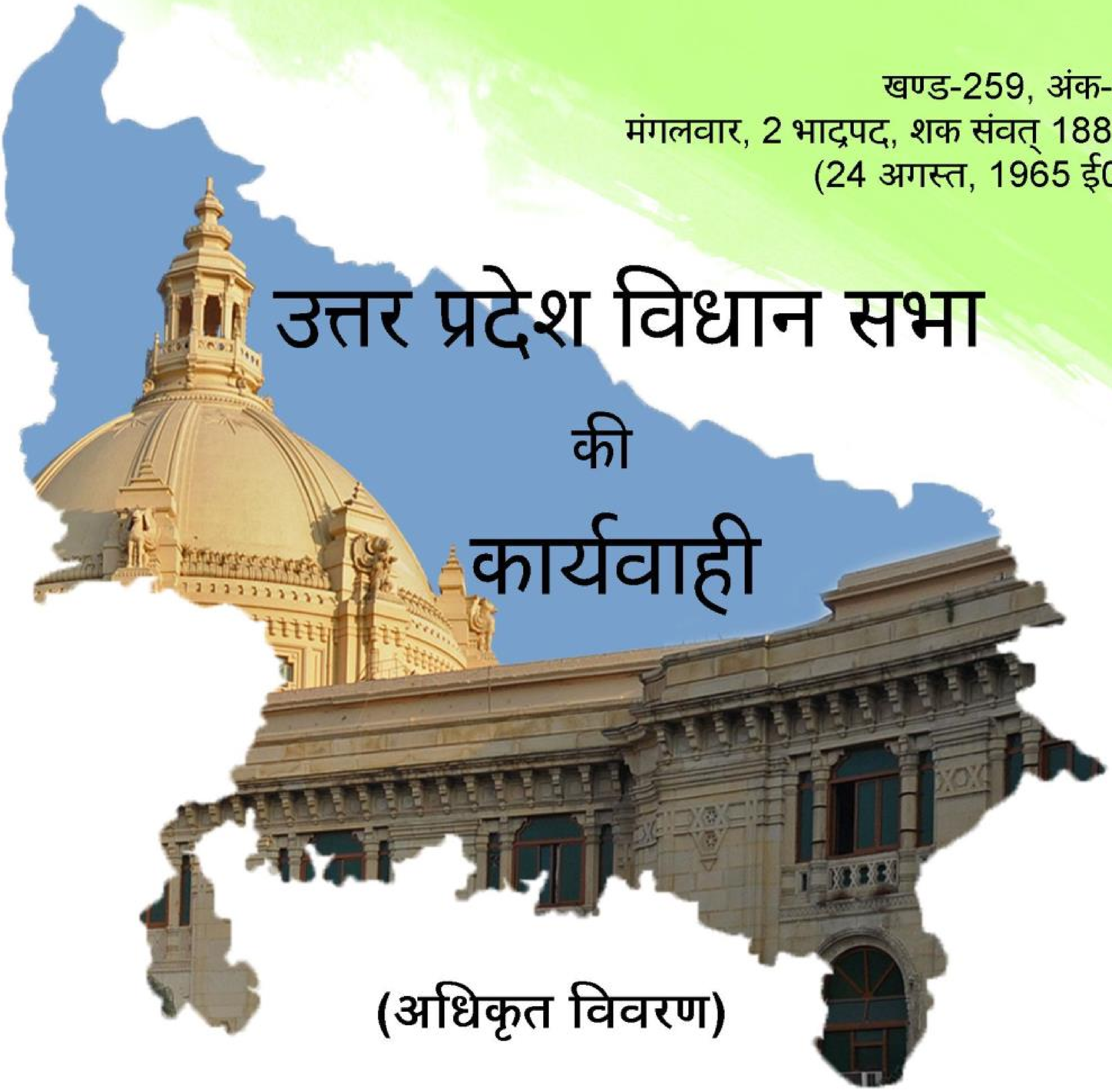

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 259 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०९-११३
प्रश्नोत्तर	११३-१३३
स्वायत्त शासन मंत्री के तथाकथित त्याग-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी ..	१३३
नैनीताल नें एक महिला के विरुद्ध स्वायत्त शासन मंत्री के कथित अभद्र व्यवहार के आरोप के विषय पर श्री मैनेजरसिंह द्वारा दी गयी नियम ५२ की सूचना पर होने वाले मुख्य मंत्री के वक्तव्य के संबंध में जानकारी की मांग (जारी)	१३४
जनरल करियप्पा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	१३४-१३५
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	१३६
नैनीताल में एक महिला के विरुद्ध स्वायत्त शासन मंत्री के कथित अभद्र व्यवहार के आरोप के विषय पर श्री मैनेजरसिंह द्वारा दी गयी नियम ५२ की सूचना पर होने वाले मुख्य मंत्री के वक्तव्य के संबंध में जानकारी की मांग..	१३६-१५४
वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन-क्रमों को सरकारी सचिवालय के समान न रखने के सम्बन्ध में वक्तव्य	१५४
भारत और नैपाल के बीच चलने वाली गाड़ियों के चालकों के झगड़े के सम्बन्ध में वक्तव्य	१५४-१५५
पर्चे बांटे जाने के सम्बन्ध में आपत्ति	१५५
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ (जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ पर विवाद जारी)	१५५-१९१
नत्थी	१९२-१९३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार २४ अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी काजी, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्र नारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री

नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
प्रीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषण प्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री

यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी,श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनरायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह,
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय लक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री

शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप , श्री
शीतल प्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्री निवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २४ अगस्त, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बांसी पनघटिया बांध की मरम्मत

*१—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती में इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिंचाई विभाग ने बांसी पनघटिया बांध को आधी मरम्मत हो जाने के बाद बन्द करा दिया है तथा बन्द कराने का क्या कारण है ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जिलाधीश, बस्ती ने २१ मील की लम्बाई में इस बांध को टेस्ट वर्क (Test work) के अन्तर्गत बनवाया था। बन्जराहा बुजुर्ग के पास यह बांध टूटी हुई दशा में था जिसके कारण

एक सवा मील लम्बा रिटायर्ड बांध सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया था । सिंचाई विभाग द्वारा केवल इस रिटायर्ड बांध की ही मरम्मत कराई जाती है । अतः इस वर्ष भी केवल रिटायर्ड बांध की मरम्मत सिंचाई विभाग द्वारा कराई गई ।

*२—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार यह देखते हुये कि अगर पूरी मरम्मत इस वर्ष नहीं हुई, तो कई हजार एकड़ लगी हुई फसल बाढ़ से बह जायगी, इसे देखते हुये सरकार तुरन्त मरम्मत का कार्य हर साल की तरह शुरू करायेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस सम्बन्ध में जिलाधीश, बस्ती से परामर्श किया गया है और उनकी रिपोर्ट अपेक्षित है ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि इस बांध की लगातार ३-४ वर्ष से सिंचाई विभाग द्वारा मरम्मत होती रही है और इस साल जबसे नये इंजीनियर आये हैं आधी मरम्मत हो करके रोक दी गयी है आधी उनके आने के पहले हो चुकी थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरी सूचना यह है कि जब वह बांध टूट गया तो सन् ६१ में सिंचाई मंत्री ने कहा कि इसकी मरम्मत करा दो तो उसके पीछे एक रिटायर्ड बांध बना दिया गया । उसके बाद से इधर उधर उसमें कुछ मरम्मत करा दी गयी, लेकिन चूंकि सिंचाई विभाग का वह है नहीं, तो जो सिंचाई विभाग ने रिटायर्ड बांध बनाया था, वह उसकी मरम्मत कराते हैं और दूसरे हिस्से की नहीं कराते ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

रिटायर्ड बांध ही सन् ६१ से बन रहा है, बराबर उस पर काम होता रहता है, सिंचाई विभाग से उसका संबंध है, लेकिन मरम्मत का जहां तक संबंध है सन् ६२-६३-६४ और इस साल तक भी उसकी मरम्मत सिंचाई विभाग द्वारा हुई है । लेकिन इस साल आधा काम हुआ है और नये इंजीनियर ने जिसका कि कमीशन का हिसाब-किताब चलता था, शायद वहां नहीं पटरी बैठी, इसलिये मरम्मत रोक दी, इसकी सूचना मंत्री जी को है कुछ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास तो इसकी सूचना नहीं है, क्योंकि यह दूसरा हिस्सा जिलाधीश के जिम्मे था । जिलाधीश से पूछा जा रहा है कि उनके पास इसके लिये कोई साधन हैं या नहीं ।

श्री जगन्नाथ राय (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नये इंजीनियर साहब ने जो बांध की मरम्मत न करने का निश्चय किया है उसके बारे में उनकी नीयत खराब है या कुछ इस प्रकार की वहां गड़बड़ी है जिसकी वजह से मरम्मत नहीं करा रहे हैं, इसकी आप जांच करायेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

नीयत का सवाल ही नहीं है । जो बांध हमारा नहीं है उसकी मरम्मत का सवाल पैदा नहीं होता लेकिन अगर मरम्मत करा दिया करते थे, तो बहुत अच्छा करते थे ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह बांध राप्ती के किनारे बना हुआ है और वह किनारा बालुकामय सा है और यह बाढ़ और पानी के धक्के से पहले सन् ६३ में टूट गया है जिससे बहुत बड़ा एरिया बाढ़ से प्रभावित हुआ और फसल को नुकसान हुआ तो क्या जो मरम्मत आवश्यक है वह करा दी जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिलाधीश से तो पूछा ही है कि उनके पास क्या साधन उपलब्ध हैं, लेकिन बांध की रक्षा के लिये मरम्मत हमने कर दी है । हमारा इरादा नहीं है कि मरम्मत न की जाय और बाकी हिस्सा टूटता ही रहे । उसको हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

चूंकि बाढ़ आने का खतरा है, इसलिये क्या माननीय मंत्री जी इस बांध की मरम्मत तुरन्त कराने का आदेश देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमने जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी है । उसकी पूरी सूचना अभी हमारे पास नहीं है । हमारी यह इच्छा नहीं है कि किसी को डूबने दें या कोई नुकसान हो ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी इसी प्रकार के जो और पुराने बांध हैं उन्हें भी सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लेने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो एक बड़ी भारी स्कीम है । उन सभी को अगर हम अपने विभाग में ले लें तो रुपये की भी तो जरूरत होगी । आप रुपया दे दें, हम उन सबको ले लेंगे । दिक्कत तो रुपये की है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जिलाधीश बांध को बनवाये या यह विभाग, रुपया तो हर हालत में सरकारी खजाने से ही जायेगा । इसको देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी उसकी तत्काल मरम्मत कराने के आदेश देंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

अध्यक्ष महोदय, वहां की जनता ने यह बांध बनाया था । इसी तरह से और भी वहां की जनता ने अपने आप बनायें हैं । मंत्री जी वहां पहुंचे थे, उन्होंने वहां देखा कि कुछ हिस्सा टूटा फूटा था, उन्होंने उसकी मरम्मत कराने के आदेश दे दिये थे । साथ ही वहां की रक्षा के लिये रिटायर्ड बांध भी बना हुआ है । इस समय इस बात का आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि सरकार सभी बांधों को ले लेगी । लेकिन जितने उसके रिसोर्सेज होंगे उसके अनुसार काम किया जायेगा ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, वहां पर एक ओवरसियर और ३-४ सुपरवाइजर आलरेडी मौजूद हैं । लिखा पढ़ी में काफी समय लग जायेगा । बाढ़ का खतरा है । इसलिये क्या सरकार तुरन्त उसकी मरम्मत के लिये कोई आदेश देगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अगर आप इतने इन्टरेस्टेड हैं और श्रमदान करने का आश्वासन दें तो जरूर बनवा देंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

मैनपुरी बस स्टेशन पर असुविधायें

*१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी के सरकारी बस स्टेशन पर पानी का कोई इन्तजाम नहीं है, सरकारी कर्मचारी व जनता के लोग प्यास से परेशान भटक रहे हैं और जो सरकारी पखाने वहां पर हैं । बिना पानी के उनकी सफाई नहीं हो रही है और बीमारी फैलने का बहुत बड़ा अन्देशा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही वाटर वर्क्स से पानी का प्रबन्ध कराने की कृपा करेगी ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

जी नहीं । वहां एक हैन्ड पम्प लगा हुआ है जिससे पानी पीने के लिये तथा पखाने की सफाई के लिये पर्याप्त जल मिल जाता है । फिर भी वाटर वर्क्स से पानी का कनेक्शन लेने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

मैंने खुद इस हैंडपम्प को देखा है, यह अच्छी हालत में नहीं है और टूटा हुआ है । तो क्या माननीय मंत्री जी शीघ्र वाटर वर्क्स से पानी लेने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

कनेक्शन के लिये इस्टीमेट वगैरह तैयार हो गये हैं । अब नगरपालिका से बातचीत की जायेगी कि वे कनेक्शन दे दें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, बहुत से बस स्टेशन प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर न पानी का इन्तजाम है न रोशनी का इन्तजाम है, न शौचालय आदि का है । जब कि श्रीमन्, इस विभाग की बड़ी आमदनी होती है । तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि शीघ्रातिशीघ्र जहां-जहां भी इन चीजों की कमी है वहां उसका इन्तजाम हो जाय क्योंकि श्रीमन्, रात को अकसर रोशनी के अभाव में चोरी इत्यादि हो जाया करती है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, रोशनी और पानी बिल्कुल आवश्यक हैं और हर जगह की हालत अलग-अलग होती है । सब जगह के लिये एक जैसी व्यवस्था कर दी जाय यह कैसे हो सकता है ।

शाहजहांपुर बस स्टेशन का किराया

*२—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर शहर में राजकीय रोडवेज बस स्टेशन के मालिकान को कितने साल से रोडवेज ने किराया नहीं दिया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मार्च, सन् १९६० से २८ जून, सन् १९६३ तक का किराया देना बाकी है ।

*३—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह किराया वह कब तक अदा करने की स्थिति में होंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

किराया शीघ्र ही भुगतान किये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाकी का किराया आपने बीच में अदा कर दिया है ? मेरी मालूमात में तो ९ साल का किराया बाकी है ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जुलाई, सन् ६५ में मार्च, सन् ५६ से जून, ६० तक का किराया दे दिया गया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त बिल्डिंग को रोडवेज ने सबलेट कर रक्खा है जिसका उसको अधिकार नहीं है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सबलैट करने की कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री मुहम्मद रफी खां—

अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग को कुछ ठेकेदारों को सबलैट कर रक्खा था । गवर्नमेंट को सबलैट करने का कोई अधिकार नहीं है । उसका किराया मकान मालिक को नहीं दिया गया बल्कि अपने पास ही रक्खा है । उस किराये को मकान मालिक को दिलायें । क्या यह अच्छा होगा कि एक छोटे से मामले के लिये हाई कोर्ट में जाना पड़े ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया कि इसकी उनके पास सूचना नहीं है ।

श्री मुहम्मद रफी खां—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि उसको देख लिया जाय ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया गया है कि प्रश्न देने के बाद किराया दिया गया । तो क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न देने की तारीख क्या है और किराया देने की तारीख क्या है और क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई ऐक्शन लेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

किराया वास्तव में देने की कोशिश की गई । मकान मालिक से बराबर आग्रह किया गया परन्तु उसने किराया लेने से इनकार कर दिया । इसलिये वह किराया रेवेन्यू डिपाजिट में जमा कर दिया गया । अब उसने किराया लेना मंजूर किया है इसलिये सन् ६० तक का किराया उसे दे दिया गया है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मकान किराये पर लिया हुआ है वह पूरा मकान रोडवेज ने लिया है या उसका कुछ पोर्शन किराये पर लिया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इस मकान की पोजीशन क्या है यह तो मैं बता नहीं सकता लेकिन ११० रुपया माहवार पर दिया गया है और शेष ब्यौरा नहीं मालूम।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह किराया कितना बाकी है और न देने का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

किराया न देने का कोई सवाल नहीं। किराया देने की कोशिश की गई। मकान मालिक ने उसको लिया नहीं और वह रेवेन्यू डिपाजिट में जमा कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

हो गया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सबलैटिंग करके जो नियम के विरुद्ध कार्य किया गया है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सबलैटिंग को मैं मंजूर नहीं कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में सरकार रोडवेज की अपनी बिल्डिंग बनाने का विचार कर रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

(२४ अगस्त, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

गांव सभा, फतेहपुर में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*१—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव सभा फतेहपुर के पश्चिम तालाब पर परगना पन्द्रह, ब्लाक बड़ा गांव, तहसील व जिला वाराणसी में एक ट्यूबवेल लगा कर गांव फतेहपुर, हरिनाथपुर, नारायनदासपुर तथा नेवादा के पूर्वी हिस्से की सिंचाई करने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो वहां पर ट्यूबवेल कब तक लग जायेगा।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ग्राम फतेहपुर की सिंचाई के लिये ग्राम ताड़ी में नलकूप मौजूद है। ग्राम हरिनाथपुर, नारायनदासपुर तथा नेवादा के असिंचित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही यह निश्चय किया जा सकेगा कि वहां पर नलकूप लगाया जा सकता है या नहीं।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की भी जांच करायेंगे कि जो ताड़ी का नलकूप है वह बहुत पूरब में पड़ता है, ताड़ी गांव के भी पूरब में है और दूसरा नलकूप जो नेवादा के पश्चिम बरही

ग्राम में है वह निजी जमीन में है और वह भी काफी दूर है जिससे ताड़ी का बहुत सा हिस्सा, नेवादा का पूरा हिस्सा और नारायनदासपुर, हरिनाथपुर और फतेहपुर का पूरा का पूरा क्षत्र आज तक असिंचित है, दोनों ट्यूबवेलों से पानी वहां आज तक नहीं गया, मेरे अनुमान से ६०० एकड़ के करीब ऐसे जमीन बचती है, तो इन सब बातों की भी जांच कराकर वहां ट्यूबवेल लगवाने की कृपा करेंगे जैसा कि बहुत पहले भी विचार था कि वहां ट्यूबवेल लगा दिया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अब इसका सर्वेक्षण करा रहे हैं। सर्वेक्षण कराने के बाद यदि यह उचित समझा गया तो नलकूप लगाने पर भी विचार किया जायगा। लेकिन इसके पहले जो हमारे अभी तक नलकूप हैं उससे भी पानी बहुत कम लेते ह। तो आप इस बात का प्रयास करें कि जो हमारे नलकूप हैं उनसे भी पानी ज्यादा से ज्यादा लें जिससे कि ज्यादा लोग फायदा उठा सकें।

श्री ऊदल--

इस बात को देखते हुए कि ताड़ी नलकूप का कमांड एरिया ७०० एकड़ है और बरही नलकूप का कमांड एरिया ७०० एकड़ का है, लेकिन इन दोनों ट्यूबवेलों से मुश्किल से ३०० एकड़ की सिंचाई हो पाती है, तो बीच का जो रकबा है उसके लिए ट्यूबवेल न लगाने का क्या कारण है और माननीय मंत्री जी नालियां बढ़ाने के लिए क्यों सिफारिश करते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने तो कहा कि उसका तो सर्वेक्षण हम करा ही रहे हैं जहां पानी नहीं पहुंचता है। लेकिन जहां पानी पहुंच सकता है उसके लिए मेरी दरख्वास्त है कि वहां के लोगों से पानी लेने के लिए आप कहें।

श्री झारखंडेराय--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की आम सूचना मिली है और मिलती रहती है कि जो कमांड एरिया बना है वह यों ही ज्यादा है और नालियां जहां तक बनी हैं वहां तक भी पानी नहीं पहुंच पाता तो पूरी व्यवस्था की फिर से जांच करके नालियों को वहीं तक रहने दें जहां तक कि पानी दे पाते हैं और जहां पर पानी नहीं दे पाते हैं वहां पर नये नलकूप लगाये जायं, ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

लेकिन जहां नालियां हैं वहां भी पानी नहीं लिया जाता, परेशानी तो इसमें होती है। यही नहीं, सूचना के लिए मैं यह भी बता दूं कि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि खरीफ में पानी लेते हैं रबी में नहीं लेते हैं, माननीय ऊदल जी के इलाके में ऐसा बहुत होता है कि रबी में पानी लेते हैं, खरीफ में नहीं लेते हैं, तो यह भी देखा जाय कि जहां तक नालियां मौजूद हैं, वहां तो लोग पानी लें। जहां तक नालियों को ठीक कराने का सवाल है, वह हम करा रहे हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वेक्षण की मियाद कितनी है क्योंकि मेरे यहां सर्वेक्षण ६२ में हुआ, ६३ में हुआ, ६४ में हुआ, ६५ में हुआ और मुझे उम्मीद है कि ६६ और ६७ तक भी सर्वेक्षण होता रहेगा। तो श्रीमन्, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि सर्वेक्षण की मियाद कितनी है और क्या कोई आप दो महीने, चार महीने या छः महीने की मियाद इसके लिए मुकर्रर करने को तैयार हैं ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

बहुत से नलकूप जो आउट आफ यूज हो गये हैं उनकी जगह दूसरे नलकूप निर्माण कराने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

१५ से कम डिस्चार्ज होने पर नया नलकूप लगाने का नियम है और वह लगा देते हैं।

कानपुर–महोबा बस सर्विस में जमुना व बेतवा पुल पार करने की इजाजत

*२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि सन् १९६२ ई० में हमीरपुर जिले में महोबा डिपो के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने सरकारी बसों को कानपुर की तरफ जाने के लिये बेतवा और जमुना के पुलों को पार करने की आज्ञा दी थी जिसके कारण करीब एक लाख रुपया सरकार को किसी खास पुलों के ठेकेदार को देना पड़ा और कानपुर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने बेतवा और जमुना के पुलों को पार करने की इजाजत कानपुर से जाने वाली बसों को नहीं दी थी ? यदि हां, तो महोबा डिपो के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने बेतवा और जमुना के पुलों के पार करने की इजाजत कौन-कौन से कारणों से दी थी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह सही है कि महोबा के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने सरकारी बसों को कानपुर की तरफ जाने के लिये बेतवा व जमुना पुलपार करने की आज्ञा दी। पर यह सही नहीं है कि कानपुर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने बेतवा व जमुना के पुलों को पार करने की आज्ञा नहीं दी। महोबा डिपो और कानपुर डिपो की जो बसें कानपुर–महोबा मार्ग पर चलती थीं उन्हें अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचने के लिये बेतवा और जमुना के पुलों को आते जाते पार करना पड़ता था और उन्हें ऐसा करने के लिये दोनों डिपो के असिस्टेंट जनरल मैनेजर की आज्ञा थी।

बेतवा घाट पर मार्च, १९६२ से दिसम्बर, १९६२ तक ४०,४०१ रु० ५० पैसे और जमुना घाट पर इसी अवधि के लिये २९,९३४ रु० २५ पैसे फेरी टैक्स के रूप में देना पड़ा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह व्यवस्था सन् ६२ में ही की गई या उसके पहले भी थी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सवाल ६२ के बारे में पूछा गया था। लेकिन ६२ से पहले भी चलती होगी, ऐसा मेरा खयाल है।

श्री राजनारायण मिश्र—

कानपुर डिपो से एक तरफ तो बस जाती है हमीरपुर के लिये और दूसरी तरफ उरई के लिये और दोनों में जमुना नदी पड़ती है तो क्या यह व्यवस्था दोनों तरफ थी ? अगर नहीं, तो उसी जनरल मैनेजर ने दोनों जगह के लिये क्यों नहीं की ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

प्रश्न तो केवल महोबा के बारे में था। बाकी के लिये सूचना चाहिये।

बड़ा गांव का नलकूप खराब हो जाना

*३—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि वाराणसी जिले की तहसील वाराणसी में बड़ागांव ट्यूबवेल करीब ५ मास से बैठ गया है और वहां अप्रैल, १९६५ में टयूबवेल दूसरा गड़ जाना चाहिये था परन्तु न गड़ने से किसानों की ऊख की फसल सूख रही है? यदि हां, तो टयूबवेल अब तक न गड़ने का कारण क्या है? क्या मदनपुर नलकूप की मोटर भी जल गयी जिससे नलकूप १५–२० दिन, तथा तरसड़ा नलकूप भी १५–२० दिन मई, सन् १९६५ में बन्द रहा? यदि हां, तो इन नलकूपों को जल्द से जल्द चालू न करने का कारण क्या है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

*४—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी तहसील के गांव बहुतरा, हसनपुरविराव, जगदीशपुर, रामपुर, सुरही, रामनगर बूंची, तथा रामनगर चमरु, ढोरा में जो टयूबवेल तृतीय पंचवर्षीय योजना के ५०० पूर्वी जिलों के ट्यूबवेलों में से लगने वाले थे क्या इस वित्तीय वर्ष में ये लग जायेंगे? क्या इनमें से बहुतरा, जगदीशपुर, सुरही, रामपुर तथा रामनगर बूंची चमरु परगना कोल असला तथा हसनपुरविरांव परगना पन्द्रह में टयूबवेल ११० टयूबवेलों की योजना में भी लगने वाले थे? यदि हां, तो ११० व ५०० टयूबवेलों में से अब तक इन स्थानों पर न लगने के क्या कारण हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ऊदल—

इसमें सिर्फ एक ट्यूबवेल के बैठ जाने की बात है। वहां के अधिकारियों ने तय किया है कि अप्रैल में, ट्यूबवेल लगा कर, सिंचाई ढंग से करेंगे। जिन लोगों की लापरवाही से ट्यूबवेल बैठ गया और जिन्होंने अप्रैल में नहीं लगाया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमने कहा कि तुरन्त सूचना हमारे पास भेजें। सूचना आने पर अगर किसी की लापरवाही हुई तो जरूर उसे सजा देंगे।

श्री ऊदल—

सन् ६३ व ६४ की भी सूचना मंगा लें कि उस समय कितनी ऊख की सिंचाई हुई और गर्मी की फसल की, जैसे सब्जी, भिन्डी की हुई।

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री कमलासिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल ही आपने कहा था कि जब मंत्री यह कहें कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो उसका कारण भी बतावें कि क्यों देर हो रही है। अभी मंत्री जी ने कारण नहीं बताये।

श्री अध्यक्ष—

कल ही तो कहा गया है। १५ दिन का अवसर दीजिये। जिला अधिकारियों को लिखा जायगा, तब तो हो सकेगा। वही कारण बतायेंगे।

हाईडिल डिवीज़न, मुरादाबाद में मीटर बोर्ड की खरीद

*५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद के बिजली के दफ्तर से १९६३–६४ और १९६४–६५ में कितने मीटर बोर्ड सामान फिटिंग में लगने वाला खरीदा गया ? किस-किस ठेकेदार या फर्मों के द्वारा और कितने रुपए का ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हाईडिल डिवीजन, मुरादाबाद तथा हाईडिल डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, मुरादाबाद में १९६३–६४ में ३,५३२ मीटल बोर्ड तथा १९६४–६५ में ४,८८८ मीटर बोर्ड खरीदे गये। फर्मों के नाम तथा सामान के मूल्य का विस्तृत ब्यौरा संलग्न सूची में दे दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १९२–१९३ पर।)

*६—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि यह सामान जो खरीदा गया इसके लिए टेंडर मांगे गए या नोटिस अखबारों में दिए गए या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मीटर बोर्ड के सभी आर्डर विभिन्न फर्मों से मूल्य विवरण (quotations) मांग कर प्रतिस्पर्धापूर्ण कीमतों (compitetive rates) पर डिवीजनों द्वारा दिये गए मीटर बोर्ड के छोटे २ आर्डरों के लिए जो कि उसी शहर में प्रचुर मात्रा में मिल जाती है, अखबारों में नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री रियासत हुसैन—

जो ८, १० फर्मों के नाम लिखे हैं, मैं जानता हूं कि इनमें एकाध को छोड़कर सब बोगस हैं। क्या मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे।

श्री शातिप्रपन्न शर्मा—

लखनऊ की एक फर्म को आर्डर दिया गया था। उनके दाम उनसे जो डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ने एप्रूव किए थे उनसे बहुत कम थे। बोगस होने की हम जांच करा लेंगे। लेकिन कम दाम में लिए गए हैं।

दौलतपुर-बुलन्दशहर बस सर्विस की मांग

*७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दौलतपुर से जिले मुख्यालय बुलन्दशहर जाने के लिए जो सीधी बसें बुलन्दशहर न चलने के अभाव में जनता, को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसको दूर करने के लिए दौलतपुर, जहांगीराबाद, बुलन्दशहर बस रूट की स्थापना अब क्यों नहीं की गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

संबंधित अधिकारी के विचाराधीन है।

*८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार दौलतपुर से बुलन्दशहर तक डाइरेक्ट बस रूट स्थापित करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देगी जिससे कि दौलतपुर के समीपवर्तीय क्षेत्र की जनता को यातायात की अधिक सुविधा हो सक ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह मामला रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, मेरठ के विचाराधीन है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सन् ६४ में यातायात स्थायी समिति में मैंने इस सवाल को उठाया कि दौलतपुर से झंगीराबाद व बुलन्दशहर का डाइरेक्ट रूट होना चाहिए ? लेकिन अभी तक क्यों विचाराधीन है और कब तक इस पर निर्णय हो जायगा ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

दौलतपुर-झंगीराबाद-बुलन्दशहर को एक रूट डिक्लेयर करने की बात है । यह आर० टी० ओ० का काम होता है, जो एक अर्द्धन्यायिक संस्था है । उसमें गवर्नमेंट का डाइरेक्ट इंटरफीयरेंस नहीं हो सकता है । यह बात आर० टी० ओ० के विचाराधीन है । देरी होने का कारण यह है कि आर० टी० ओ० की मीटिंग ६ अगस्त को थी जो स्थगित हो गई और अब २८ अक्तूबर को होनेवाली है । इस प्रस्ताव के विरुद्ध बहुत से लोगों ने जो मोटर चलाते हैं, एतराज किया है । उनको भी देखना होगा । इसलिए देर हो रही है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी इस संबंध में सरकार की ओर से आर० टी० ओ० को यह रिकमेंडेशन भेजेंगे कि इस रूट को स्थापित किया जाय क्योंकि कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट्स इस रूट के खिलाफ हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

अध्यक्ष महोदय, जहां सब लोगों के कानूनी हक का सवाल है वहां हमारी मजबूरी हो जाती है, हमने यह भेज रखा है, आ० टी० ओ० के सामने हैं, उनके एतराजात हैं, उसमें वक्त लगेगा ।

सदर तहसील में नलकूपों को बिजली न मिलने की शिकायत

*९—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर के मवाजिआत मुकरमपुर, रहीमपुर, सुतनेरा, भावलखेड़ा, देवरिया आदि गांवों में प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली के कनेक्शन १९६४ में हो चुके थे अब तक बिजली न देने के क्या कारण हैं ? जबकि इन्हीं गांवों में औद्योगिक कामों के लिए बिजली दी जा चुकी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर के मुकरमपुर, रहीमपुर, सुतनेरा, भवालखेड़ा, देवरिया आदि ग्रामों में स्थित क्षेत्र के अन्तर्गत पावर के कुल ४ विद्युत-भार सन् १९६४ में स्वीकृत हुए थे, इनमें से तीन स्वीकृतियां औद्योगिक कार्यों के लिए थीं और शेष एक स्वीकृति प्राइवेट ट्युबवेल के लिए ।

उपर्युक्त औद्योगिक कार्यों के लिए स्वीकृत तीनों विद्युत कनेक्शन सन् १९६४ में ही दे दिये गये थे । परन्तु प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए स्वीकृत विद्युत कनेक्शन अभी तक नहीं दिया जा सका है, क्योंकि भावी उपभोक्ता ने न तो आवश्यक अग्रिम धन जमा किया है और न कनेक्शन लेने के स्थान को ही अभी तक बताया है ।

श्री मुहम्मद रफी खां—

अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सवाल करने का मकसद यह है कि वहां सिंचाई परपज के लिए जो कनेक्शन मांगे जाते हैं वह नहीं दिए जाते हैं और इंडस्ट्रीयल यूनिट्स वालों को दिए जाते हैं क्योंकि वह लोग २००, ३०० रुपया पर कनेक्शन देते हैं, इस तरह की आम शिकायत है क्या मंत्री जी इसको देखेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह शिकायत उचित नहीं प्रतीत होती है, जिन कनेक्शन का वह जिक्र करते हैं वह आज तक जगह ही नहीं बताते और न रुपया ही जमा किया गया है। जहां तक कनेक्शन देने की बात है कनेक्शन यहां से भी दिए जाते हैं और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर्स को भी आदेश हैं कि वह जो मांगे उनको कनेक्शन दें। ऐसी हालत में कनेक्शन कैसे दिया जाय।

श्री मुहम्मद रफी खां—

आपका स्टाफ परेशान करने के लिए पूरी लाइन का खर्च मांगता है...

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहस हो गई।

श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या यह सही है कि ऐसा होता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह ठीक नहीं है।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या मंत्री जी को चीफ इंजिनियर विभाग की यह शिकायत मालूम है कि पूरे सूबे में रुपया जमा होने के बाद भी आफिस में कनेक्शन देने के लिए चार, पांच और ६ सौ रुपया मांगा जाता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह शाहजहांपुर का सवाल है जहां कि न तो जगह बताई गई और न रुपया ही जमा किया गया तो इसमें लेने देने का या मांगने का प्रश्न ही कहां है।

स्याना नाला गहरा करने की मांग

*१०—श्री मुमताज मुहम्मद खां:—

क्या सरकार को ज्ञात है कि नाला स्याना जो कि ग्राम नहचोली से निकल कर स्याना, चांदपुर होकर विधान सभा क्षेत्र स्याना जिला बुलन्दशहर में ग्राम देहरा से नीम नदी में गिर जाता है, की भलीभांति खुदाई और सफाई न होने के कारण ग्राम नहचोली, रमपुरा, ग्राम रजापुर और स्याना के रकबे में वर्षा ऋतु के पानी के निकास को सुचारु रूप से नहीं निकाल पाता है, जिससे हजारों बीघे भूमि की फसल को वर्षा के पानी से क्षति पहुंचती है ? यदि हां, तो नाले को गहरा क्यों नहीं किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

स्याना नाले की सफाई हर वर्ष की जाती है और साधारण वर्षा में यह सुचारु रूप से कार्य करता है। अत्यधिक वर्षा के समय नीम नदी में जिसमें स्याना नाला गिरता है, बाढ़ आ जाती है जिससे नाले का पानी कुछ रुक कर चलता है इसलिए नशेबी क्षेत्र से पानी निकलने में कुछ विलम्ब होता है परन्तु किसी भी क्षेत्र को कोई हानि नहीं होती है इसलिए नाले को गहरा करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मान्यवर, मंत्री जी ने फरमाया कि इससे किसी भी खेत की कोई हानि नहीं होती, लेकिन अगर मंत्री जी बुरा न माने तो मैं गलत सूचना देने पर मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आपके सामने पेश करता हूं, इस नाले के फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, मंत्री जी को यह गलत सूचना किन लोगों ने दी और किस तरह से वह प्राप्त हुई और उन्होंने क्यों सही सूचना उपलब्ध नहीं की ?

श्री अध्यक्ष--

इसका माननीय मंत्री जी क्या उत्तर देंगे ?

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

इस इलाके में इस कदर नुकसान हो रहा है कि बयान नहीं किया जा सकता । तो क्या माननीय मंत्री जी इस नाले को गहरा करवाने की बात पर फिर से विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुमताज जी, जरा शान्त हो जाइए । कोई आवश्यकता नहीं है । यह बाद में हो सकता है ।

श्री राजनारायण मिश्र--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां पर अधिकारी गण इस प्रकार की सूचना दें कि आवश्यकता नहीं है और आम जनता यह महसूस करें कि इसका गहरा करवाया जाना आवश्यक है तो क्या वहां पर दुबारा इन्क्वायरी करा कर किसी दूसरी ऐजेंसी द्वारा बताने की कृपा करेंगे कि इस नाले को गहरा करवाने की आवश्यकता है या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में माननीय सदस्य को थोड़ा सा भ्रम हो गया है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

श्रीमन्, भ्रम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

उन्हें सुन तो लीजिए ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, मेरी सूचना यह है कि यह जो नाला है, यह नीम नदी में गिरता है । नीम नदी की सतह जो है वह काफी नीची है । अगर उससे नीचे नाला बना दें तो नदी का पानी इसमें आने लगेगा तो इससे काम चलने वाला नहीं है । जो नीम नदी का पानी है उससे साधारण रूप से कोई नुकसान नहीं होता है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

श्रीमन्, इससे नुकसान होता है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, साधारण स्थिति में नीम नदी में पानी ज्यादा है । अगर ऐसा करना पड़ा तो नीम नदी को भी गहरा करना पड़ेगा जिस काम को करने में बड़ा रुपया लगेगा । इस योजना में तो इस काम के लिए धन नहीं है पर अगर माननीय सदस्य हमें अगली योजना में रुपया देंगे तो इस पर विचार हो सकता है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है मैं समझता हूं और मुझे विश्वास है, गलत है । अगर उस नाले को माननीय मंत्री जी गहरा करवा देंगे तो उस क्षेत्र में पानी नहीं भरेगा ?

श्री अध्यक्ष--

इनकी आपत्ति एक जुमले पर है ।

श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस नाले के पानी से कस्बों को कितना नुकसान पहुंचा है ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नाले के दोनों तरफ जो जमीन पड़ी है उसमें कितनी फसल बोयी गयी थी और अब वहां पर कितनी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

माननीय सदस्य सवालत कर लें, मैं जवाब दे दूंगा ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने यह सूचना किस प्रकार से उपलब्ध की कि उस क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ है ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके सिंचाई विभाग के जो अधिकारी सूचना देते हैं वह सारी सूचना सही होती है और जो जनता के नुमाइन्दे देते हैं वह सब गलत होती है ?

श्री अध्यक्ष---

अब मंत्री जी, जब माननीय सदस्य को इतनी जिद है तो फिर आप इसको दिखवा लीजिए । उनका यह सवाल है कि आसपास की जो भूमि है उस पर नाले का पानी चला जाता है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसे दिखला लूंगा ।

गोमती नदी पर पम्प कैनाल बनाने के लिये सर्वेक्षण

*११---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार विधान सभा के प्रथम सत्र १९६५ के ६ठवें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के संदर्भ में दिए गए उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग द्वारा गोमती नदी पर पंप कैनाल बनाने का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा? यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक कर लिया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

गोमती नदी पर पंप कैनाल बनाने के संबंध में अभी सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ है । आशा है कि यह कार्य अभी लगभग एक वर्ष में पूरा किया जा सकेगा ।

*१२---श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त नदी के किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया है और उन स्थानों पर कितना-कितना धन व्यय होने का अनुमानित एस्टीमेट है और सबसे कम एस्टीमेंट किस स्थान का है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

निम्नलिखित ४ स्थानों पर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है :

(१) सलेमपुर;

(२) मखनपुर ;

(३) ओसानेश्वरघाट;

(४) मुसाफिरखाना।

चूंकि अभी सर्वेक्षण कार्य जारी है इसलिए अनुमानित लागत बतलाना संभव नहीं है।

*१३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि लखनऊ तथा सुल्तानपुर डिवीजनों में पर्याप्त मात्रा में नहरों में समय से पानी न मिलने से उत्पादन में कमी आ जाती है ? उक्त योजना को तत्काल कार्यान्वित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इस योजना को कब तक फाइनल रूप दे दिया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सर्वेक्षण कार्य के समाप्त होने से पूर्व इस संबंध में कुछ भी बतलाना संभव नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि शारदा सागर में पानी के अभाव से लखनऊ, सुल्तानपुर डिवीजनों में पानी का अभाव रहता है और उसको देखते हुए हैदरगढ़ शाखा में सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि साल भर से पहले उसे पूरा किया जा सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसका पता लगायेंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुए कि लखनऊ-सुल्तानपुर डिवीजनों की एक हैदरगढ़ शाखा काढ़ू नाले से पहले समाप्त हो जाती है तो ऐसी दशा में इस पम्प कैनाल की काढ़ू नाले के पूर्व में न बनाकर उसके पश्चिम में औसानेश्वरघाट पर पंप कैनाल बना कर हैदरगढ़, जौनपुर शाखा को मिलाने की कृपा की जायगी।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इन तमाम बातों का ही सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री ऊदल—

जिस शाखा का जिक्र रामकिशोर त्रिपाठी जी ने किया है यह नहर बनारस जिले में भी केराकत माइनर, चोलापुर माइनर, दिनदासपुर माइनर के नाम से शारदा सागर की शाखाओं के रूप में जाती है और वहां पहुंचते-पहुंचते पानी इसका एक दम सूख जाता है और पिछले दिनों सेंट्रल के सिंचाई मंत्री, श्री के० एल० राव, उप-सिंचाई मंत्री, श्री श्यामधर मिश्र और सेंट्रल के एक इंजीनियर वहां आए थे और उन्होंने हंडिया में गंगा नदी पर पंप कैनाल तथा गोमती पर बाराबंकी जिले में पंप कैनाल बनने के प्रश्न पर विचार किया और यह आश्वासन दिया कि केंद्रीय सरकार जल्दी से जल्दी इस बात के लिए प्रयत्न करेगी तो जब सेंटर के सिंचाई तथा उप सिंचाई मंत्री राजी हैं कि जल्दी से जल्दी सर्वेक्षण हो जाय तो क्या प्रांतीय सरकार इस दिशा में शीघ्र कदम उठाएगी ताकि इन दोनों स्थानों पर पंप कैनाल बन जायें और सिंचाई की व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो सके ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

यह तो फारमल शक्ल में है। केन्द्र से हमारे पास न कोई चीज आई है और न हमारे पास रुपये का कोई प्रबंध है।

श्री ऊदल—

सेंट्रल के सिंचाई मंत्री ने जनता की मीटिंग में बातचीत करते हुए कहा कि ५ करोड़ रुपये दोनों पंप कैनाल के लिए वे देने को तैयार हैं तो फिर माननीय मंत्री जी को जल्दी से जल्दी से इस कार्य को टेक अप करने में क्या आपत्ति है ?

श्री गिरधारीलाल—

५ करोड़ रुपये के लिए केवल एक स्थान की जानकारी करने की मुझे क्या आवश्यकता है ? मैं तो पूरे सूबे के लिये लिये बात करूंगा ताकि काफी रुपया हमको मिल सके और उसमें बनारस को भी टेक अप कर लिया जाय। छोटी-छोटी चीजों में फंस कर अपनी शक्ति जाया नहीं करना चाहते।

श्री जे० पी० मिश्र—

क्या माननीय मंत्री चौथी योजना में जितना पैसा सिंचाई के संबंध में स्वीकार करेंगे उस सबको पूर्व पर लगाने के संबंध में विचार करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ऊदल—

मान्यवर, यह पूरे सूबे का सवाल नहीं है। यह तो इलाहाबाद जिले में पंप कैनाल बनाने का सवाल है और माननीय रामकिशोर त्रिपाठी ने कहा कि बाराबंकी जिले में पंप कैनाल बनाने का सवाल है। उसी के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि केंद्र के सिंचाई मंत्री ने हंडिया और बनारस में पंप कैनाल बनाने का आश्वासन दिया है और यह कहा है कि ५ करोड़ रुपया केंद्रीय गवर्नमेंट देगी तो फिर मंत्री जी को क्या कठिनाई है कि वे केंद्र से बातचीत करें और जल्द से जल्द इसको बनवाने की कृपा करें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, हमारे पास तो कुछ नहीं केंद्र से आया है इसलिये अच्छा यह होगा कि ऐसी चीजें वे हमारे यहां केंद्र से भिजवा दें। अगर हमारे पास उनका लिखा आ जायगा और रुपया आजायेगा तो जरूर इसको कर देंगे।

एटा जिले में विद्युतीकरण

*१४—श्री राजेंद्रसिंह, (जिला एटा), श्री बेदराम (जिला एटा) तथा श्री विश्वनाथ-प्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गढ़िया, विकास क्षेत्र जैथरा, एवं ग्राम जिनौल, नरधर, बढौला, रिजोला, राजा, रानीदामर, लधौली, रनेठी विकास क्षेत्र पटियाली ग्राम धनसिंहपुर, मयासुर, सनैड़ी विकास क्षेत्र गंजडुंडवारा, जिला एटा में से किस-किस ग्राम का विद्युतीकरण स्वीकार कर दिया गया है और कब तक कार्य पूर्ण हो जावेगा तथा शेष की विद्युतीकरण करने की भी क्या योजना है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ग्राम नरथर को विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और उसका उचित समय में विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। शेष ग्रामों के विद्युतीकरण पर अगले वर्ष विचार किया जायेगा।

श्री राजेंद्रसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डेढ साल सर्वे को हुए हो गया है तो दिसम्बर, ६५ तक विद्युतीकरण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, यह कहना तो दिक्कत तलब है क्योंकि पैसे की कमी हो गई है। अगर पैसे का इन्तजाम कर देंगे तो जरूर करेंगे ?

उन्नाव जिले में ड्रेनेज योजना

*१५—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या प्रश्नकर्ता के दिनांक २३ मार्च, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर के संदर्भ में सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव डिवीजन में ड्रेनेज योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये बाढ़ सेक्टर से २.०९ लाख रुपया तथा लघु सिंचाई सेक्टर से १.२५८ लाख रुपये की निर्धारित धनराशि का उपयोग तृतीय पंचवर्षीय योजना के शेष समय में किन-किन योजनाओं के कार्यान्वयन में होगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

बाढ़ मद के अन्तर्गत श्रवन नाला और लघु सिंचाई मद के अन्तर्गत आसायस, झंझरी और सैन्ता नाले तृतीय पंचवर्षीय योजना के शेष समय में कार्यान्वित होंगे।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्रवन नाला, आसायस नाला, झंझरी नाला और सैन्ता नाला, इनमें अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय होगी और प्रत्येक नाले की क्या लम्बाई होगी और प्रत्येक से कितनी भूमि को लाभ पहुंचेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, सूचना निम्न प्रकार है कि—

नाम नाला	अनुमानित व्यय	लम्बाई	सिंचाई होने वाली भूमि
१—श्रवन नाला	२,०५,९०० रुपये	१५ मील ६ फर्लांग	१,४०० एकड़
२—आसायस नाला	५००० ,,	५ मील	१५० ,,
३—झरी नाला	६००० ,,	१ मील ४ फर्लांग	२५ ,,
४—सैन्ता नाला	२०,००० ,,	५ मील	३०० ,,

*१६—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[६ वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

गोंडा-धानीपुर बस सर्विस

*१७—श्री सूरजलाल गुप्त, वकील (जिला गोंडा) (अनुपस्थिति)—

क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बस ५–६ माह पहले शाम को गोंडा से धानीपुर जाया करती थी और रात में धानीपुर रह कर सुबह यात्रियों को लेकर गोंडा जाती थी परन्तु अब उसे बन्द क्यों कर दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

बसों की कमी के कारण, यह बस ११ नवम्बर, १९६४ से २८ जुलाई, १९६५ तक न चलाई जा सकी। २९ जुलाई, १९६५ से वह फिर चालू हो गई है।

*१८–१९—श्री राजेंद्रसिंह—

[६ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

बलरामपुर पावर हाउस में आलटरनेटर जल जाना

*२०—श्री सूरजलाल गुप्त, वकील (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर पावर हाउस जिला गोंडा का टरबाइन कम्पनी के सरकारीकरण के बाद जल गया था? यदि हां, तो उसमें कितने रुपये की क्षति हुई और दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई?

श्री गिरधारीलाल—

बलरामपुर पावर हाउस की २००० किलोवाट क्षमता की एक मशीन का आलटरनेटर कम्पनी के सरकारीकरण के बाद जल गया था। उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिनकी उपस्थिति (ड्यूटी) में मशीन को क्षति पहुंची, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आलटरनेटर जलने के कारण अनुमानतः ५०,००० रुपयों की क्षति हुई।

*२१–२२—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—

[६ ठवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये]

*२३–२४—श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

[६ ठवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये]

बस सर्विस टाइम कीपरों के लिये प्रकाश की व्यवस्था

*२५—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थिति)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिटी बस सर्विस में टर्मिनल पर बैठने वाले टाइम कीपरों के लिये प्रकाश की कोई व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

कानपुर क्षेत्र तथा देहरादून क्षेत्र के लोकल बस कार्यालय, देहरादून व सुभाषनगर को छोड़कर बाकी किसी क्षेत्र में टाईम कीपरों के बैठने के लिये प्रकाश का कोई प्रबन्ध नहीं है क्योंकि अभी तक टाईम कीपरों के बैठने के लिये किराये पर उचित स्थान या कमरा बनाने के लिए भूमि नहीं प्राप्त हो सकी है।

टिहरी-गढ़वाल में पर्यटन विकास

*२६—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला उत्तरकाशी)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल में पर्यटन विकास के लिये क्या किया जा रहा है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

पर्यटन-विकास की प्राथमिकता की सूची में टिहरी-गढ़वाल नहीं है।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि गंगोत्री और यमनोत्री के कारण प्रति वर्ष हजारों आदमी यहां आते हैं और प्रति वर्ष हजारों लोग सुरखंडा, चन्द्रबदनी में देवदर्शन के लिये और घनौन्टी, पौखाल में स्वास्थ्य लाभ के लिये आते हैं तो क्या मंत्री जी टिहरी गढ़वाल के प्राकृतिक सौन्दर्य और धार्मिक महत्व को देखते हुए इसे पर्यटन विकास की प्रथम सूची में रखेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

श्रीमन्, गंगोत्री, यमनोत्री और जिन तीर्थ स्थानों के नाम माननीया सदस्या ने गिनाये हैं । तीर्थ स्थान के नाते उनका महत्व है । लोग वहां जाते हैं । जहां तक गंगोत्री आदि का सवाल है, गंगोत्री आदि स्थान आज कल उत्तरकाशी, जिले में पड़ते हैं । गंगोत्री यमनोत्री में दूसरी पंचवर्षीय योजना में लांग कैबिन्स बनवाये गये थे ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--

क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको लिया जायगा ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

भारत सरकार ने टूरिज्म पर एक एडहाक कमेटी बिठायी थी । उसने जो सिफारिश की है उसमें टेहरी-गढ़वाल नहीं आता है । उन्होंने एक स्थान चुने हैं जहां आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, हवाई जहाज से, मोटर से या रेल से । उनमें टेहरी गढ़वाल नहीं है ।

श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

क्या सरकार को विदित है कि टेहरी-गढ़वाल में डोडीताल, फते पर्वत और हर की दून जैसे कई दर्शनीय स्थान हैं, जहां के लिए पर्यटकों का जाना जरूरी है ? अगर सरकार वहां प्रबन्ध करे, यातायात और रहने की सुविधा हो, तो सरकार को इससे बड़ा भारी फायदा हो सकता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्यों नहीं टेहरी-गढ़वाल को रखा है जहां यह दर्शनीय स्थान हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

टूरिज्म प्लांड आइटम है । इसमें भारत सरकार की स्वीकृति चाहिये । उनके निदेशों पर कार्य करना होता है । उन्होंने जो-जो योजना बनायी है उसमें इसका जिक्र नहीं है । भविष्य में जैसी सुविधा होगी वैसा किया जायगा ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या सरकार यह बतायेगी कि इस बात को देखते हुए नैनीताल, मंसूरी, अल्मोड़ा जो आपके प्रधान पर्यटक केंद्र हैं, वहां इतना रश हो जाता है कि बड़ी कठिनाई हो जाती है, किसी नये पर्यटक केंद्र को खोलने की या विकास करने की बात सोचेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

पर्यटक केन्द्र खोलने की बात है । कई स्थानों को एडहाक कमेटी ने पर्यटक केंद्रों के लिए चुना है उनमें टेहरी-गढ़वाल नहीं है ।

श्री झारखंडेराय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि टेहरी गढ़वाल और उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे चौकोड़ी जहां से कौशाम्बी से भी ज्यादा लांग रेंज स्नो का दृश्य दिखाई देता है, और डीडीहाट जो पिठौरागढ़ जिले का सबडिवीजनल हेडक्वार्टर है, यहां से पंचचूली का व्यु पूरे हिल रेंज में सबसे अच्छा दिखायी देता है, पिठौरागढ़ में तमाम ऐसे क्षेत्र है, जो ब्रिटिश जमाने में उपेक्षित थे, उनके विकास के लिए सरकार कौन सी कार्यवाही करना चाहती है ताकि सरकार को भी आय हो और फारेन एक्सचेंज में भी सहायता मिले ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जहां तक विकास का ताल्लुक है, विकास के लिए तो कार्य हो रहा है । जहां तक पर्यटन विकास का ताल्लुक है, उसके लिये सीमित साधनों के अनुसार कार्य किया जायगा । उसमें अभी जो सीमांत जिले हैं, उनको प्राथमिकता नहीं दी गयी है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टेहरी-गढ़वाल की पुरानी कैपिटल है नरेंद्रनगर और वहां पर काफी मकान मौजूद हैं पहले से ही तथा वहां पर रहने का का अच्छा इन्तजाम है । वहां से देहरादून और मंसूरी का रास्ता भी पास ही है । तो ऐसी स्थिति में यदि नरेन्द्रनगर को पर्यटक केंद्र बनाने के लिये प्राथमिकता दी जाये तो इसमें सरकार को क्या परेशानी है ?

श्री हरी दत्त कांडपाल—

जितने और जो मकान हैं, वह कोई खाली नहीं हैं ।

श्री राजनारायण मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यमुनोत्री और गंगोत्री तीर्थस्थान जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं, वहां जाने का रास्ता टेहरी होकर नहीं है ? जो चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम स्थित है । और केदारनाथ व बद्रीनाथ मंदिर ऐसे तीर्थस्थान स्थित हैं, उन तक जाने का रास्ता गढ़वाल जिला होकर नहीं है । क्या गढ़वाल जिले में देवप्रयाग ऐसे तीर्थस्थान नहीं हैं, जहां पर भागीरथी और अलखनन्दा मिलती हैं ? क्या टेहरी में विलंगना नदी के किनारे स्वामी रामानन्द तीर्थ की समाधि नहीं है ? यदि है, तो जब वहां पर सारे के सारे ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थान हैं जो कि मैंने ऊपर बताये हैं और यह स्थान तीर्थ स्थान के साथ-साथ पर्यटक केंद्र भी हो रहे हैं क्योंकि नैनीताल और मंसूरी में इतना रश होता है और आवास की इतनी कठिनाई होती है कि लोग वहां पर भी बराबर जाते हैं । माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि जहां पर हवाई जहाज और बसों का रास्ता है वहां पर वह पर्यटक केन्द्र बनाने का विचार कर रही है । तो फिर ऐसे कौन से कारण हैं कि इन स्थानों पर पर्यटक केंन्द्र नहीं बनाये जा रहे हैं, जबकि इससे आवास व्यवस्था सुलभ होगी और पहाड़ के निवासियों की आर्थिक दशा में भी काफी सुधार होगा ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, बल्कि प्राथमिकता का सवाल था । गवर्नमेंट आफ इंडिया की कमेटी ने अपनी इस विषय पर रिपोर्ट में टेहरी-गढ़वाल को प्राथमिकता नहीं दी है । जो माननीय सदस्य ने कहा है वह ठीक है, वे सब तीर्थस्थान हैं और तीर्थ स्थानों के जाने का मार्ग उन जिलों से होकर जाता है । वहां पर रहने की व्यवस्था हो जाये, उन स्थानों का विकास हो जाये तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है । लेकिन सरकार के आर्थिक सीमित साधनों की तरफ भी तो देखना पड़ेगा ।

श्री ऊदल—

सवाल इतना सीधा साधा था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर से इस प्रश्न को बिल्कुल उलझा दिया है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां हवाई जहाज का मार्ग है वहां वे पर्यटक केंद्र खोलने जा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार भी तो पर्यटक केन्द्र खोलती है और खोलती जा रही है, जो कि पर्यटक केन्द्र खोलने का विभाग रोडवेज विभाग के अन्तर्गत चलता है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जब तक केन्द्रीय सरकार हवाई जहाज का रास्ता नहीं खोलती तब तक अपने विभाग के द्वारा एक पर्यटक केन्द्र वहां पर खोल दें ?

श्री हरीदत्त कंडपाल—

यह प्लान्ड आइटम है, इसका ताल्लुक गवर्नमेंट आफ इंडिया से ही होता है, इसलिये हमको उनके अनुसार ही चलना पड़ता है, उन्हीं के अनुसार सारी यह स्कीम प्रदेश में चलती है। यू० पी० की सरकार अपने खर्चे से बनवा तो ले लेकिन उसके लिये अपने साधनों से कहां संभव होगा, यह आप देख लें।

भगवानपुर बांध का गेटेड स्लिपवे

*२७—श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भगवानपुर बांध, जिला गोंडा के बैरेज का अधिक से अधिक वाटर लेबिल तथा नकटी नदी का लेविल क्रमशः क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

भगवानपुर बांध पर गेटेड स्लिपवे बनवाया गया है, बैरेज नहीं। इसका क्रेस्ट लेविल आर० एल० ४१०.५० है। चूंकि बांध अभी तैयार हुआ है और स्लिपवे के ऊपर से पानी अभी चला नहीं है। अतः बांध के नीचे नकटी नाले का वाटर लेविल नहीं बताया जा सकता। बांध बनने से पहले नकटी नदी का बेड लेविल आर० एल० ३७६.५४ तथा एच० एफ० एल० ३९६.७६ था।

श्री सुखदेव प्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गत सत्र में उन्होंने स्वीकार किया था कि यह बांध ३७ लाख ७३ हजार में बना था और इसके बैरेज की एक दीवाल जो टूट गई थी उसे मरम्मत कराने में ३०० लगा था। तो इस वक्त कैसे कह रहे हैं कि बैरेज नहीं बना है। क्या इसको मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह एक टैक्निकल टर्म है और उसमें और बैरेज में थोड़ा फर्क है। बैरेज उसको कहते हैं जहां से नदी का पानी घुमाया जाता है जो बांध बन चुका है, वह दूसरी चीज है। अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर कभी आपको समझा दूंगा या यहीं चाहें तो यहा भी समझा सकता हूं।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

इस बांध का वाटर लेविल क्या होगा जहां इसके द्वारा नदी में पानी डालेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसमें पानी जो अन्दर रहेगा वह करीब २१.२४ फीट होगा।

स्वायत्त शासन मंत्री के तथाकथित त्याग-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि शायद आपके पास माननीय चतुर्भुज शर्मा ने कोई पत्र भेजा है जिसमें वे अपने त्याग-पत्र के बारे में बयान देना चाहते हैं। आपने कोई डेट क्या उसके लिये फिक्स की है ?

श्री अध्यक्ष—

मेरी नजर में ऐसा कोई पत्र नहीं आया है।

नोट—तारांकित प्रश्न २७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

नैनीताल में एक महिला के विरुद्ध स्वायत्त शासन मंत्री के कथित अभद्र व्यवहार के आरोप के विषय पर श्री मैनेजर सिंह द्वारा दी गयी नियम ५२ की सूचना पर होने वाले मुख्य मंत्री के वक्तव्य के संबंध में जानकारी की मांग

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय मैनेजर सिंह ने एक नियम ५२ का प्रस्ताव दिया था जिस पर आपने यह आज्ञा दी थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर अपना वक्तव्य देंगे। उसके बारे में निर्णय कब हुआ कि वह वक्तव्य देंगी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने मुझे सूचना दी है कि अब वह उस प्रश्न को नहीं उठाना चाहते।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

कौन साहब नहीं उठाना चाहते, माननीया मुख्य मंत्री जी या माननीय मैनेजर सिंह जी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मैनेजर सिंह जी ने मुझे खत लिख कर भेजा है कि वह उस प्रश्न को नहीं उठाना चाहते।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

अच्छा। (हंसी)

जनरल करियप्पा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न श्री करियप्पा के खिलाफ है। मैं इस आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि दो बातों का ध्यान प्रिविलेजेज के सम्बन्ध में, निश्चित रूप से रखा गया है। एक तो यह कि विशेषाधिकार की सूचना शीघ्रातिशीघ्र यानी तुरन्त आनी चाहिये। माननीय खेर ने तो यहां तक अपने एक निर्णय में कह दिया है कि वह तत्काल ही दूसर रोज आना चाहिये। एक अवसर पर श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, जो राज्य मंत्री थे, ने मौखिक रूप से सूचना दी कि वह सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय सदस्य के विरुद्ध उठायेंगे। दूसरे दिन न उठा कर उन्होंने उस सूचना को तीसरे दिन भेजा। तो माननीय खेर ने कहा कि यह विलम्ब से आया है। इसको मैं स्वीकार नहीं करता। अब श्री करियप्पा का लेख १९ जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है तो अब इस समय उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि नियम ६५ में है कि अगर वह किसी लेख्य पर आधारित हो तो वह लेख्य आना चाहिए। वह भी उसमें नहीं है। तो यह दोनों बातें ऐसी हैं जिनके कारण विशेषाधिकार की अवहेलना की यह सूचना स्वीकार करने योग्य नहीं मालूम होती।

श्री मेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, आपकी ही एक रूलिंग हो चुकी है और आप, जो बात अखबार में छपती है। केवल उसके बिना पर विशेषाधिकार नहीं मानते हैं जब तक कि उसके पीछे मूल लेख्य न हो। तो आज इसकी नोटिस मान ली जाय और जब वह हमें मिलेगी तो हम प्रस्तुत कर देंगे और उस समय इस प्रश्न को उठायेंगे। हमें सही सूचना नहीं थी, मूल लेख्य हमारे पास नहीं था, इसीलिये इसको नहीं प्रस्तुत किया गया था।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, उसमें इस बात की मजबूरी प्रकट कर दी गयी है कि जो प्रेस में आया है वह १९ जुलाई का लेख है। अब जो चीज हमारे सामने जब आयेगी तभी पेश करेंगे। चाहे वह पुरानी हो या नई हो। आपने जो नजीर पेश की है कि किसी सज्जन ने एक बार सदन में एक बात जबानी कही और प्रस्ताव उन्होंने देर में दिया तो आपने उसको अस्वीकार कर दिया उसमें और इसमें फर्क है। चूंकि हमारे सामने वह चीज एक महीने के बाद आई। तभी हमको मालूम हुआ कि उससे हमारे सदन का अपमान है या जो देश में तमाम विधान सभायें हैं, उनका अपमान है। इस प्रकार हमारी विधान सभाओं के सदस्यों के बारे में कहना या विधान सभा के खिलाफ इस प्रकार से लिखना बहुत बड़ा विधान सभाओं का अपमान है। [* * *]

जब वह चीज हमारे सामने आयी तब ही हम उसको पेश कर सकते हैं। बाजार से १९ जुलाई का अखबार मिलना भी आसान नहीं है। आपके पास विधान सभा लाइब्रेरी है, वहां से मंगाकर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कोई अन्तर है। इसलिये टैक्निकल बुनियाद पर इसकी मेरिट को आप इगनोर करने की कृपा न करें। हमारी प्रार्थना है कि आप इसको जरूर देखें। आप उस कथन को देख लें तो उचित होगा।

[* * *]

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष—

अभी तो मैं विशेषाधिकार का प्रश्न ले रहा हूं जो चीज सामने है उसको समाप्त हो जाने दें।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न दूसरे कई विधान सभाओं में पेश हो चुका है और उनका मन्तव्य यह है कि यह कोई अपमानजनक प्रश्न नहीं है। इसलिये इस पर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। यह भी अखबारों में प्रकाशित हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—

मेरा निवेदन है कि इंगलैंड की पार्लियामेंट में भी इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से एक नहीं अनेक निर्णय हैं। विशेषाधिकार के प्रश्न ऐसे होते हैं जो अत्यन्त गम्भीर होते हैं और गम्भीरता की दृष्टि से उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह ये हैं कि :

"It is hedged about with rules which must be complied with and it is part of the duty to enforce them."

अर्थात् वह विषय सख्त नियमों से घिरा है जिनका पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि यह विषय गम्भीर है। इसी कारण से नियम ६५ में कहीं अपवाद नहीं रखा गया है कि अगर लेख प्राप्त न हो तो उस सूरत में बगैर लेख ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है।

दूसरी बात, विलम्ब से सूचना ज्ञात होने की बात आपने फरमाई। अगर एक सूचना विलम्ब से बाद को मिली तो? उस सम्बन्ध में नियम हैं। विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना किसी हाल की घटित घटना के सम्बन्ध में होना आवश्यक है। अब प्रश्न यह आता है, कि जो घटना घटी उसका ज्ञान अगर हमको १० दिन के बाद हुआ, तो क्या वह घटना हमारे विलम्बित ज्ञान से नई हो जायगी? मेरा निवेदन यह है कि राजा वाली बात दूसरी है कि जब राजा की आंख खुली तब सबेरा हुआ लेकिन आज तो प्रजातंत्र है, समाजवाद है, यहां सूरज निकला नहीं कि सबेरा हुआ, चाहे राजा की आंख खुले या न खुले। उस सूरत में इस घटना के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह हाल ही की घटित घटना है, इसलिये मैं उसे लेने में असमर्थ हूं।

[***] माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिये गये।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठें। दूसरी जो मेरे पास सूचनायें आयी हैं उनको मैंने स्वीकार नहीं किया है। उसके कारण मैंने प्रत्येक सूचना के ऊपर लिख दिये हैं, कृपा करके आप देख लें।

नैनीताल में एक महिला के विरुद्ध स्वायत्त शासन मंत्री के कथित अभद्र व्यवहार के आरोप के विषय पर श्री मैनेजर सिंह द्वारा दी गयी नियम ५२ की सूचना पर होने वाले मुख्य मंत्री के वक्तव्य के संबंध में जानकारी की मांग (क्रमागत)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मैनेजर सिंह ने दफा ५२ का प्रश्न जो सदन के सामने रखा था उसको माननीय सदस्य ने वापस ले लिया, यह आपने आज कहा। आप से मेरा निवेदन है कि दफा ५२ में आपने भी कुछ संशोधन किया था और आपने स्वयं यह कहा था कि मुझे संशोधन करने का हक है और आपने दफा ५२ स्वयं पेश किया था। तो क्या आप भी उस दफा ५२ के प्रस्ताव को जो आपने संशोधन करके रखा था, वापस ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

अच्छा आप बैठिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, अगर कोई माननीय सदस्य दफा ५२ का प्रश्न सदन के सामने रखता है तो वह सदन की प्रापर्टी हो जाती है। और किसी को अधिकार नहीं है कि उसे विदड्रा कर ले। ऐसी हालत में जबकि एक चीज सदन की प्रापर्टी हो गयी और श्रीमन् ने आदेश दिया कि इसके ऊपर माननीया मुख्य मंत्री वक्तव्य देंगी, फिर उसके बाद माननीय मैनेजर सिंह द्वारा उस प्रश्न को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आपने स्वयं व्यवस्था दी है और नियमों में है कि जो प्रस्ताव या मोशन सदन की प्रापर्टी बन जाय उसे कोई माननीय सदस्य बिना सदन की आज्ञा के वापस नहीं ले सकता है। अगर उसे वापस लेना ही है तो आप उस प्रश्न को सदन के सामने पढ़ कर रख दें, फिर उसे यदि सदन अस्वीकार कर देगा तो वह वापस हुआ माना जायगा। आपको अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, अब यह हो गया।

[श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसको समझ लें कि मंत्रियों के सम्बन्ध में तमाम सूबे में अगर इसी तरीके से पर्चेबाजी होती रही तो इसका नतीजा बड़ा बुरा होगा। (व्यवधान)

अगर नियम ५२ के अन्तर्गत कोई प्रश्न किसी माननीय सदस्य ने दिया हो और उसे आपने स्वीकार कर लिया हो तो फिर से किसी को विदड्रा करने का अधिकार नहीं है। वह तो सदन की सम्पत्ति हो गयी। आपने जब एक बार उसकी अनुमति दे दी है तब तो वह सदन की चीज हो गयी....

श्री अध्यक्ष—

आप उसको रिपीट न करें जो श्री कमला सिंह जी कह चुके हैं कि यह सदन की प्रापर्टी है।

श्री दीपनारायणसिंह—

मेरा कहना यह है कि जब यह सदन की प्रापर्टी हो गयी है तो इसे वापस करने का आपको भी हक नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, कल फूड डिबेट के सम्बन्ध में .....

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरी बात कहने लगे, पहले यह समाप्त हो जाय।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, उस दिन जब यह प्रश्न उठा था तो यह कहा गया था कि किसी माननीय सदस्य के आचरण के ऊपर आक्षेप करना सदन की परम्परा व नियमों के विरुद्ध है और उसे नहीं उठाना चाहिये। लेकिन जब आपने स्वयं उस प्रस्ताव को देखा तो वक्तव्य देने के लिये उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते हुये आपने कहा कि यह प्रश्न जो यहां उठाया गया है, वह ऐसा गम्भीर प्रश्न है जिसका हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर और इस प्रशासन के ऊपर प्रभाव पड़ता है और आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर प्रशासन सम्बन्धी यह प्रश्न न हो तो, एक मंत्रि-मंडल के सदस्य के विरुद्ध न होता तो मैं इसकी आज्ञा न देता। आपने यह भी कहा था कि मंत्रि-मंडल के नेता की हैसियत से माननीया मुख्यमंत्री इस पर वक्तव्य देंगी, इसीलिये कि उनके एक सहयोगी के विरुद्ध यह आरोप है जो कि आज मंत्रि-मंडल में हैं। तो आपने आदेश दिया कि वे उसका निराकरण कर सकती हैं और आपने फोन पर माननीय चतुर्भुज शर्मा से भी कहा था कि वे अपना निराकरण कर सकते हैं। आपने स्वयं इसकी अहमियत और महत्ता को स्वीकार करते हुये इस पर वक्तव्य देने का आदेश दिया था। तो जिस चीज का प्रभाव सारे प्रदेश की जनता पर और प्रशासन पर पड़ने वाला हो,तो इसको ध्यान में रखते हुये केवल किसी एक माननीय सदस्य की इच्छा पर इस प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना चाहिये। इसलिये आपसे मेरी प्रार्थना है कि आज भी वह प्रश्न अपनी जगह पर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और हम लोग इसको प्रेस इसलिये नहीं कर रहे थे क्योंकि माननीया मुख्य मंत्री जी मौजूद नहीं थीं। उनकी माता का देहान्त हो चुका था और हम उचित नहीं समझते थे कि ऐसी परिस्थिति में उनको प्रेस करें। अब वह सदन में मौजूद हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको उसको वापस लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिये और आप उस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

अब यह विषय समाप्त हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

मैं एक दूसरा पहलू रखना चाहता हूं। आपने दूसरे पक्ष की बातें सुनी, मैं नियम ५२ के वक्तव्य के बारे में कहता हूं कि वह नहीं होना चाहिये। कोई सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव वापस ले सकता है या नहीं, इसका निर्णय तो आप करेंगे, लेकिन जिस दिन आपने निर्णय किया था कि यह लिया जा सकता है उस समय आपने इस विषय को लोक महत्व का प्रश्न समझा था, इसी आधार पर आपने लिया था। यदि किसी व्यक्ति, नागरिक का प्रश्न होता तो इस सदन में नहीं उठाया जा सकता था।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा भी यही था।

श्री भानुप्रतापसिंह—

लेकिन आज माननीय चतुर्भुज शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नहीं हैं। उनका आचरण जो कुछ भी रहा हो वह अब लोक महत्व का विषय नहीं रह गया है। अब वह एक साधारण नागरिक हो चुके हैं और वह प्रश्न ही लोक महत्व का नहीं रह गया तो उस पर वक्तव्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

माननीय मैनेजर सिंह ने नियम ५२ में प्रश्न दिया था और संशोधन का प्रस्ताव आपने दिया था, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था, उन्हीं का प्रस्ताव था तो नियम ५२ का कोई प्रस्ताव नहीं है कि सदन कहे कि हमारा प्रश्न है और माननीय सदस्य उसको वापस ले सकते हैं और जैसा कि अभी माननीय भानुप्रतापसिंह ने कहा, माननीय चतुर्भुज शर्मा मंत्रि-मंडल के सदस्य नहीं हैं और सम्बन्धित मंत्रिमंडल में नहीं हैं .....

श्री अध्यक्ष—

अच्छा हो गया। काफी बातें हो गयीं। (व्यवधान)

(श्री दीपनारायण सिंह के खड़े होने पर।)

माननीय दीपनारायण जी, आप बोल चुके हैं, आप कृपया बैठिये। एक व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है, उसमें व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय मैनेजर सिंह ने जब अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत किया तो वह मेरे बगल में बैठे हुये थे। मैंने उसको देखा और उस अंश को देखा कि जिसमें चन्द्रभानु गुप्त के ऊपर भी गम्भीर आरोप लगे हुये थे, जिसको कि आपने निकाल दिया। निकालने के बाद .....

श्री अध्यक्ष—

देखिये माननीय केशरी प्रसाद जी, यह बिलकुल गलत है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

जी बिलकुल सही है।

श्री अध्यक्ष—

मैं बता देता हूं कि अगर उसको देखेंगे तो उसमें माननीय चन्द्रभानु गुप्त ही नहीं, बल्कि माननीय कमलापति का नाम था, सुचेता जी का था, हाई कमांड का था। आप क्या बातें करते हैं?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

तो मैं बिलकुल सही हूं। अब यह आपका परदाफाश हुआ।

श्री अध्यक्ष—

आप गलत बात न कहिये। आप गलत बात कह रहे हैं और प्रस्तुत व्यवस्था से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आप बैठिये।

(व्यवधान : बहुत से सदस्य खड़े हुये। श्री केशरी प्रसाद पांडेय खड़े हुये और बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष—

अगर केशरीप्रसाद जी नहीं बैठते हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि वह सदन छोड़ें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

आपने सदन की इज्जत को मटियामेट कर दिया। आपकी जिम्मेदारी है कि सदन की मर्यादा कायम रखें। उसका निर्वाह कीजिये।

श्री अध्यक्ष—

केशरी प्रसाद जी, आप अपने शब्द वापस लीजिये या सदन छोड़िये।

(व्यवधान—श्री केशरी प्रसाद पांडेय ने आपत्तिजनक शब्दों को वापस नहीं लिया और न ही वह सदन के बाहर गये।)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, केशरी प्रसाद जी की मदद कीजिये।

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री केशरी प्रसाद पांडेय ने सदन नहीं छोड़ा। इस परिस्थिति में जब श्री अध्यक्ष के आदेश से मार्शल गार्ड्स की सहायता से श्री केशरीप्रसाद पांडेय को सदन से बाहर ले जाने के लिये गये तब श्री पांडेय स्वतः सदन से चले गये।)

श्री चन्द्रजीत यादव—

(व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ..

श्री चन्द्रजीत यादव—

आपने इंगित करने के पूर्व ही उनको इस तरह निकालने का आदेश दिया है, यह नियमों के विपरीत है....

श्री अध्यक्ष—

अपने आदेशों का पालन करने के लिए मैं कह सकता हूं...

श्री नेकराम शर्मा—

आपको पहले इंगित करना चाहिए था, उसके पहले पुलिस यहां नहीं आनी चाहिए.. (व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय केशरी प्रसाद पांडेय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उस पर आपने उनको बाहर कर दिया। आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह बातें जो आप कह रहें हैं अनियमित हैं। मैं अपने आदेशों को पूरा कराने के लिए प्रत्येक कार्य कर सकता हूं। आप लोग कृपया बैठ जाइए। आप बैठ जायं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ..

श्री रामसुन्दर पांडेय—

व्यवस्था का प्रश्न है..

श्री अध्यक्ष—

आप सब कृपया पहले बैठ जाएं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कैसे बैठ जायं? हमारा पहले व्यवस्था का प्रश्न सुनिए। माननीय केशरी प्रसाद ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। वे जो कह रहे थे उसकी आपने पुष्टि की। उन्होंने कहा था कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त का नाम था, आपने कहा कि माननीय कमलापति त्रिपाठी, सुचेता जी तथा अमुक अमुक नाम थे। उसका तो आपने समर्थन किया। उस पर आपने बार-बार कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। निकालने से पहले इंगित करना चाहिए था। यह सदन की परंपरा के खिलाफ है। आपने आश्वासन दिया है अनेकों बार कि आप व्यवस्था के प्रश्न को सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, मैंने सुन लिया। उसके संबंध में मैं आपको बताता हूं। अब एक प्रश्न तो यह है कि सबसे पहले प्रश्न आता है माननीय केशरी प्रसाद के निष्कासन का...

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नहीं, श्रीमन्, यह नहीं है। सवाल यह है कि केशरी प्रसाद जी ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि हमने उस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को देखा था और उसमें माननीय गुप्ता जी के खिलाफ भी बात थी। आपने कहा कि गलत है और उसके साथ बढ़ा दिया कि माननीय गुप्ता जी का ही नाम नहीं था। बल्कि सुचेता जी का नाम था, कमलापति त्रिपाठी का भी नाम था। अब आपने इस तरह कह दिया और जब यह वचन देश में गूंजा तो आपके सामने प्रस्ताव है, जिस प्रस्ताव को आपने स्वीकार कर लिया। इस संबंध में आपको अकेले बिना सदन की राय के निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। उस सवाल को बिना सदन की राय लिए ही किस प्रकार आप द्वारा स्वीकार कर लिया गया?

श्री अध्यक्ष—

आप व्यवस्था सुनना नहीं चाहते हैं। मैं...

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, प्रश्न यह नहीं है। इस सदन के अन्दर आपकी यह व्यवस्था है कि नियमों का पालन होना चाहिए। आपने केशरी प्रसाद जी से कहा कि सदन त्याग दीजिए। उन्होंने सदन नहीं त्यागा। परन्तु नियमों में आपको अधिकार नहीं कि आप बिना नेम किए पुलिस के द्वारा सदस्य को बाहर भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको लूंगा।

(श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री बहुगुणा जी, आप बैठ जाइए ।

नियम ५२ के संबंध में प्रश्न यह है कि वह सदन की प्रापर्टी है और वह विदड्रा नहीं हो सकती . .

*श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, आप उस प्वाइंट पर नहीं सुनना चाहते तो मैं बैठा जा रहा हूं ।

अध्यक्ष जी, इस वक्त सदन में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें माननीय केशरी प्रसाद जी ने आपसे निवेदन किया कि कोई भी प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हो जाय वह वापस नहीं हो सकता बिना सदन की आज्ञा से । स्पष्ट है कि उस आज्ञा से इस प्रश्न का संबंध था जो आपने थोड़ी देर पहले लिया था कि मैनेजरसिंह अपना प्रस्ताव वापस ले सकते हैं । उसमें निवेदन हमारा है कि आपकी वह आज्ञा उस समय में ही थी । यह बात सही है और मेरी राय है कि इस सदन में आया हुआ कोई भी प्रस्ताव चाहे वह आपके द्वारा संशोधित होता है, इस सदन की प्रापर्टी है और सही बात को कहने में और जोर से कहने में उसकी सुनवाई न हो तो वह इस सदन की मर्यादा के विरुद्ध है । इस सदन में आप किसी भी सदस्य को सदन की मर्यादा के रक्षक होने के नाते दंडित करने के अधिकारी नहीं हैं । दफा ५२ के अनुसार केशरी प्रसाद जी का प्रस्ताव सदन की प्रापर्टी हो चुका था और उसे उस रूप में ले लेना चाहिए था क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने उस प्रस्ताव को देखा है और उसमें यह लिखा हुआ था वगैरह . . .

श्री अध्यक्ष--

आपका प्वाइंट क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

आपने केशरी प्रसाद जी से कहा कि वे नियमों की अवहेलना कर रहे हैं । परन्तु जब आप ही स्वयं इस सदन के नियमों की अवहेलना करते हैं तो इस सदन का कर्त्तव्य है कि वह आपको . . . . .

श्री अध्यक्ष--

अब मैं निवेदन कर दूं कि जहां तक नियम ५२ की सूचना का प्रश्न है वह सदन की प्रापर्टी नहीं होती । इसके लिए हमारे पास निर्णय माननीय खेर साहब के हैं । अगर कोई माननीय सदस्य नियम ५२ के संबंध में सूचना दें तो वह प्रस्ताव नहीं समझा जाता, केवल सूचना समझी जाती है और उसके द्वारा ध्यान आकर्षण किया जाता है ताकि सरकार की तरफ से उसके ऊपर प्रकाश डाला जाय । तो जिस प्रकार प्रश्न के संबंध में है कि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति अगर चाहे तो उसे वापस ले सकता है तो उसी तरह से नियम ५२ के संबंध में भी है । नियम ५२ के संबंध में निश्चित रूप से यह है, मैं पढ़कर सुनाए देता हूं--

"अगर कोई माननीय सदस्य नियम ५२ के संबंध में सूचना दें और वह अनुपस्थित हों तो वह व्यपगत हो जाती है ।"

यह पृष्ठ ९४ पर है १९५२ से ६२ तक के अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन में ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

अध्यक्ष जी, यह स्वीकृति देने के संबंध में है। हम बैठ रहे हैं। लेकिन जिस दिन दफा ५२ स्वीकृत करने की बात हो, उस दिन सदस्य यदि अनुपस्थित हो तो वह समाप्त हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--

अब जब अनुपस्थित होने पर वह व्यपगत हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूं, यह अधिकार है कि वह उसे वापस ले सकते हैं। वह सदन की प्रापर्टी नहीं होती और उसे वापस लेने का अधिकार है, यह मेरी रूलिंग है।

अब यह प्रश्न समाप्त हो गया।

अब माननीय नेकराम जी ने जो सवाल उठाया है.. (व्यवधान)...

श्री चन्द्रजीत यादव--

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। आपने कहा था कि अगर अव्यवस्था हो तो आपको पूरा अधिकार है कि आप जो कुछ चाहें कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान नियमों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर कोई सदस्य ऐसा व्यवहार करे जिसके व्यवहार से आप क्षुब्ध हों तो आप किस प्रकार की कार्यवाही कर सकेंगे--उसकी निश्चित व्यवस्था है। २९९ यह कहता है--

सदस्यों को बाहर चले जाने की आज्ञा देने की शक्ति--

(१) अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाय, वह तत्काल बाहर चला जायगा और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेगा।

(२) यदि कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा उपर्युक्त (१) के अन्तर्गत बाहर चले जाने के आदेश दिए जाने पर उसका पालन न करे या यदि किसी सदस्य को एक ही सत्र में दूसरे बार बाहर चले जाने का आदेश दिया गया हो, तो अध्यक्ष उसको इंगित कर सकेंगे। जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जाय, सदन-नेता तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि उस सदस्य को ऐसी कालावधि के लिए जिसका प्रस्ताव में उल्लेख हो, सदन की सेवा से निलंबित किया जाय, परन्तु ऐसे प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होगी :

तो अब श्रीमन, आपको जो करना चाहिए था वह यह कि सदन-नेता भी मौजूद थे, आपके आदेश का माननीय केशरी प्रसाद पांडेय ने पालन नहीं किया तो आपको उन्हें इंगित करना चाहिए था और उसके बाद अगर सदन नेता प्रस्ताव न रखतीं निलम्बित करने का तो आपको कोई अधिकार नहीं था कि आप पुलिस बुलाकर उनको यहां से बाहर करें। (शोर)

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपने यह व्यवस्था दी है और यह कहा है कि मुझे इस बात का पूरा अधिकार है कि जिसको चाहूं उसको बाहर निकालने के लिए बल प्रयोग कर सकूं। इस देश में संविधान बना है..

श्री अध्यक्ष--

आप केवल नियम की ही बात पर रहिए..

श्री चन्द्रजीत यादव--

देश का संविधान बना है, उसके अन्तर्गत यह नियम बने हैं, यहां उनके अनुसार कार्य होता है, कोई पुलिस राज्य यहां नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा जनता की संस्था है.... (व्यवधान)

जिस तरह श्री केशरी प्रसाद पांडे जी को सदन से बाहर निकाला गया है, वह सदन की मर्यादा के खिलाफ है, सदन की गरिमा इससे बढ़ेगी नहीं और इस अव्यवस्था के लिए आपकी जिम्मेदारी होगी ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, म समझता हूं कि माननीय चन्द्रजीत यादव ने नियम २९९(२) तो पढ़ा लेकिन उन्होंने यदि इसके तीसरे और चौथे उपनियम को भी पढ़ लिया होता तो माननीय अध्यक्ष ने सदन की व्यवस्था के लिए जो नीति अपनाई है उस पर वह साफ हो गए होते । तीसरे उपनियम में लिखा है कि "अध्यक्ष को अपने आदेश या सदन के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पूरी शक्ति होगी और वे कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर आवश्यक बल का प्रयोग कर सकेंगे या करने का अधिकार दे सकेंगे । . . (व्यवधान) . . .

श्री अध्यक्ष---

शोर मचाने से काम नहीं चलेगा, जरा सुन लीजिए ।

श्री रामायणराय---

आपके आदेश का अगर कोई पालन नहीं करता तो आप किसी भी स्टेज या उपक्रम पर बल प्रयोग करने के लिए सर्वथा सक्षम हैं । पहली बार अगर किसी ने अवहेलना की हो तो वह डिसक्रिशनरी है बाइंडिंग नहीं है, इंगित करना नेसेसरी नहीं है, आप बल प्रयोग किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं । . . (व्यवधान) . .

श्री अध्यक्ष---

जरा सुन लीजिए ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, मुझे इस संबंध में यह निवेदन करना है कि यह जो नियम २९९ की उपनियम (२) है उसमें लिखा है कि "अध्यक्ष इंगित कर सकेंगे" तो इस "सकेंगे" का तात्पर्य "मे" से है, चाहें तो इंगित कर दें और चाहें तो (३) के अनुसार बल प्रयोग करा लें, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं हो गई बल्कि शब्द "कर सकेंगे" पर ही सारा वजन है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं दो शब्द कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप तो बोल चुके हैं, दोबारा मैं इजाजत नहीं दूंगा . .

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . (व्यवधान) . .

श्री अध्यक्ष---

आप सब बैठें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं . .

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात एक बार कह चुके, दोबारा न बोलें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

हमारे सामने २ सवाल हैं, पहला सवाल यह है कि माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, आपने उनके व्यवस्था के सवाल को सुना..

श्री अध्यक्ष--

इस समय तो बल-प्रयोग के बारे में सवाल है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मेरा कहना यह है कि श्री केशरी प्रसाद पांडेय ने सदन में कौन-सी अव्यवस्था पैदा कर दी थी जिससे बल-प्रयोग द्वारा उनको निकाला गया, बलप्रयोग की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष--

यह दूसरी बात आ गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जब श्री केशरी प्रसाद पांडेय ने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया तो बल-प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको वापस बुलायें और इसको आप वापस लें। दूसरे माननीय रामायण राय जी ने जो कहा कि २९९(३) में जो सदन का विनिश्चय कहा गया तो सदन का विनिश्चय था ही नहीं, जब विनिश्चय ही नहीं था तो इंगित करने का प्रस्ताव नहीं आया, केवल वह आप का स्वयं का ही निश्चय था। इसलिए इस (३) के अनुसार जो श्री रामायण राय जी और गंगवार जी कहते हैं वह बिलकुल गलत है और आपको केवल इंगित करने का प्रस्ताव लाने का अधिकार है, बल-प्रयोग का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अब व्यवस्था में दे दूं?

(श्री चन्द्रबली के खड़े होने पर)

मैं आपको सुनूंगा। पहले यह समाप्त कर लूं।

श्री रामचन्द्र विकल--

श्रीमन्, पहले आप मुझे सुन लें?

श्री अध्यक्ष--

आप फिर बोलिएगा। मैं पहले इसे समाप्त कर लूं।

श्री रामचन्द्र विकल--

श्रीमन्, यदि आप समाप्त कर लेंगे तो फिर आप क्या सुनेंगे? जो सदन से निष्कासन हुआ है वह अन्यायपूर्ण हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

आप बाद में बोल लीजिएगा।

श्री रामचन्द्र विकल--

श्रीमन्, बाद में मैं क्या कह सकता हूं?

श्री अध्यक्ष--

इस समय आप कृपया बैठें ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं । मैं बाद में सुनूंगा ।

श्री दीपनारायणसिंह--

श्रीमन्, इसी संबंध में मेरी भी बात सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

श्री चर्तुभुज शर्मा अब मंत्री नहीं रहे हैं । इसलिए वह सवाल नहीं उठता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब किसी पर आक्षेप लगता है तो उस पर अगर सफाई न हो तो इससे सदन की मर्यादा क्या रहेगी ?

श्री अध्यक्ष--

अब मैं आपके सामने पढ़ दूं । नियम २९९ में लिखा हुआ है "अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे" . . .

श्री चन्द्रबलीसिंह--

श्रीमन्, आप अपनी व्यवस्था देने के पूर्व मुझे सुन लें । इसी सिलसिले में मुझे कुछ कहना है ।

श्री अध्यक्ष--

पहले मैं माननीय नेकराम जी की बात को समाप्त कर लूं, फिर आप बोलिए ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि सत्र के आरंभ होने के दिन से ५-७ दफा जिन-जिन लोगों को निष्कासित किया गया . .

श्री अध्यक्ष--

इस समय यह प्रश्न नहीं है । जो प्रश्न चल रहा है, यदि इस पर बोलना हो तो बोलिए ।

मैं आदरणीय सदन का ध्यान नियम २९९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें लिखा हुआ है "अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे" । यह पहली बात है । उसके साथ-साथ यह है कि अध्यक्ष "आदेश दे सकेंगे" । अब फिर खण्ड ३ पढ़िए । उसमें दिया है कि "अध्यक्ष को अपने आदेश या सदन के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पूरी शक्ति होगी" । (व्यवधान) आप शांतिपूर्वक सुन लें । फिर यदि आपको समाधान न हो तो आप कहें । (व्यवधान)

[श्री अध्यक्ष]

जैसे आप अपने विचार रखना चाहते हैं वैसे दूसरों को भी अपने विचार रखने का मौका दिया जाय। (व्यवधान) जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं उसको आप लोग समझने की कोशिश करें। नियम २९९ के उप-नियम (२) में दिया हुआ है कि :—

"यदि कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा उपर्युक्त उपनियम (१) के अन्तर्गत बाहर चले जाने के आदेश के दिए जाने पर उसका पालन न करे या यदि किसी सदस्य को एक ही सत्र में दूसरे बार बाहर चले जाने का आदेश दिया गया हो तो अध्यक्ष उसको इंगित कर सकेंगे। जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जाय सदन-नेता तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि उस सदस्य को ऐसी कालावधि के लिए, जिसका प्रस्ताव में उल्लेख हो, सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय, परन्तु ऐसे प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होगी।"

तो नियम २९९ के अन्तर्गत दो क्रियायें हैं "आदेश और विनिश्चय" तो २ चीजें हैं और दोनों चीजों के संबंध में उपनियम ३ में उपबन्ध किया गया है कि अगर नियम २ के अन्तर्गत कोई विनिश्चय नहीं है केवल आदेश है तो २९९ (३) का पहला भाग, अध्यक्ष को अपने आदेश को कार्यान्वित करने की पूरी शक्ति देना है। दूसरे वाक्य में अध्यक्ष को सदन के विनिश्चयों को कार्यान्वित कराने की पूरी शक्ति होगी। तो मुझे दो अधिकार हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या इस उपनियम २ के अन्तर्गत यह अनिवार्य है कि अध्यक्षादेश न मानने पर अध्यक्ष किसी व्यक्ति को जरूर इंगित करे। यह तो मेरे विवेक पर निर्भर है कि मैं उसे उचित समझता हूं या उचित नहीं समझता हूं कि इंगित कर के उनको दंडित किया जाय। अगर मैं समझता हूं कि केवल इतना दंड पर्याप्त है कि वह दिन भर के लिए इस सदन को छोड़ें तो उस सूरत में मैं समझता हूं कि मुझे यह अधिकार है कि मैं उन्हें इंगित न करूं।

अब प्रश्न केवल यह रह जाता है, कि पूछा यह जाता है कि आपने पांडेय जी को क्यों निकाला। आपको उनको नहीं निकालना चाहिए था। अब यह मेरे विवेक पर है और मैं ही तय कर सकता हूं कि किसी के द्वारा अव्यवस्था हो रही है या नहीं। यह सबके मस्तिष्क से नहीं तय किया जा सकता। मैंने उनसे कहा कि वह बैठ जायं तो उनका कर्तव्य था कि बैठ जाते। मैंने कहा बैठ जाने व शब्द वापस लेने को तो उन्होंने कहा कि नहीं बैठेंगे। तो नतीजा यह हुआ कि वह मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। ऐसा दशा में, मुझे अधिकार था कि मैं उनसे कहता कि सदन छोड़ो और उपनियम ३ के अन्तर्गत मुझे अपने आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए पूरी शक्ति प्राप्त थी। अब यह विषय समाप्त हुआ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री कमलापति त्रिपाठी का नाम पुकारने पर)

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या विषय अभी समाप्त नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष—

पता नहीं वह क्या कहेंगे? अगर वह इस विषय पर बोलेंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि वह इस विषय पर न बोलें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

आपने कमलापति त्रिपाठी जी के लिए जो ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि वे रोएंगें तो कृपया इन शब्दों को वापस लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैं उनकी शान में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने कहा कि इस विषय पर अगर वे बोलेंगे। "रोयेंगे" शब्द को मैंने नहीं कहा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

"रोयेंगे" ये शब्द आपने कहे।

श्री अध्यक्ष--

मैंने हर्गिज नहीं कहे "रोयेंगे"। मैंने बिलकुल नहीं कहा। मैंने कहा था "अगर इस विषय पर बोलेंगे"। आप कृपा करके ऐसी बातें मेरे मुंह में न रखें जो आपके मुंह में हैं, मेरे मुंह की बात रखें।

*श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)--

मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने अभी जो मेरी शान और प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। पर मुझे ऐसा लग रहा है--थोड़ी देर से इस सदन में बैठा हूं--कि आपने इस सदन में मेरी ही नहीं माननीया सुचेता जी की, चन्द्रभानु जी की और हाई कमांड, सबकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। जब केशरी प्रसाद जी ने वह प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि उन्होंने उस प्रस्ताव को देखा था और उस प्रस्ताव में श्रीमान चन्द्रभानु गुप्त जी के विरुद्ध कुछ बातें थीं तो आपने उसी समय कहा कि यह गलत है। उनके इस आरोप का खंडन किया और कहा कि उसे निकाल दिया। उसीके बाद आपने बड़े जोर से सदन में यह कहा कि उसमें और भी नाम थे, कमलापति के, सुचेता कृपालानी के और हाई कमांड के दो-तीन नाम और थे। मुझे ऐसा लगता है कि सदन की मर्यादा और उसके गौरव के यह विपरीत है कि किसी व्यक्ति का नाम आप लें अध्यक्ष पद से और कहें कि उसके विरुद्ध कुछ आरोप लगे थे और आपने उसे निकाल दिया। जब आपने निकाल दिया तो फिर उसका यहां कोई भी जिक्र करना या संकेत करना नामुनासिब है। और आपने जो संकेत किया तो मैं मांग करता हूं कि वह प्रस्ताव पेश हो ताकि हम लोगों को भी अवसर मिले क्योंकि हमारा नाम ले लिया गया है...

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ जाऊं।

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन कर दूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आप मेरी बात सुन लें। आप को अधिकार है, जितना चाहें बोल सकते हैं, आप को कोई रोकने वाला नहीं है। जब आपने हमारा नाम ले लिया तो हमें अवसर मिलना चाहिये। एक तो माननीय केशरी प्रसाद जी का आरोप सही था। वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

नाम था और आपने उसमें संशोधन किया और इसके अतिरिक्त उसमें और भी भाग्यवान ३–४ व्यक्तियों के नाम थे जिनमें मुख्य मंत्री सुचेता जी, माननीय चन्द्रभानु गुप्त तथा हाई कमांड के लोग थे। आपने उनके नामों का उल्लेख करके उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट किया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह इस आदरणीय सदन की मर्यादा के विरुद्ध हुआ है। माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी ने कोई अपराध नहीं किया जब आपने स्वयं उसको स्वीकार कर लिया। हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसका आप प्रतिकार करें।

श्री अध्यक्ष––

मैं जरा निवेदन कर दूं।

श्री रामचन्द्र विकल––

माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष––

आप कृपा करके सुन लें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)––

अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है...

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)––

श्रीमन्, जो माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा और माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी ने आरोप लगाये हैं उनको देखते हुये जब तक पूरा पत्र नहीं पढ़ा जायगा, भ्रम बना रहेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त––

श्रीमन्, मुझे निवेदन यह करना है कि माननीय केशरी प्रसाद पांडेय आपकी आज्ञा से खड़े हुये और जब उन्होंने एक बात कही तो आपने कहा कि गलत कहते हैं और फिर आपने ३,४ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्बन्ध में कहा कि उनके भी नाम थे। यह एक प्रकार का आक्षेप है। इसलिये या तो आप उनको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अवसर दें या फिर इसको सदन में पढ़ा जाय।

श्री अध्यक्ष––

इसके सम्बन्ध में माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने कह दिया है। जब वे खड़े हुये तो उन्होंने यह कहा था कि इस में माननीय चन्द्रभानु गुप्त का नाम लिखा था। यह नहीं कहा कि उनके ऊपर आरोप थे। मैंने उनसे कहा कि इसमें...

श्री कमलापति त्रिपाठी––

मान्यवर, प्रोसीडिंग्स में देख लें। उन्होंने कहा कि गम्भीर आरोप लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष––

अगर उन्होंने यह कहा तो बात दूसरी है। लेकिन मैंने जो सुना वह यह सुना कि उसमें चन्द्रभानु गुप्त जी का नाम था। मैंने कहा कि यह आप गलत कह रहे हैं। उनकी मंशा यह थी कि मैंने गुप्ता जी को बचाने के लिये उनका नाम काट दिया। फिर मैंने यह कहा कि उसमें और भी लोगों के नाम लिखे थे, जिसमें माननीय कमलापति जी थे, माननीया सुचेता जी भी थीं और हाई कमांड के सम्बन्ध में भी कुछ संकेत था।

(शोर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपको क्या जरूरत पड़ गयी सुचेता जी का, कमलापति जी का और हाई कमांड का नाम लेने की ? आपने जो व्याख्या कर दी है, तो उसका परिमार्जन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मैं जो समझा था वह यही कि श्री केशरी प्रसाद जी कहते थे कि नियम ५२ में केवल माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी का उल्लेख किया गया था। उस पर मैंने कहा कि केवल उनका उल्लेख नहीं था, अन्य व्यक्तियों का भी उल्लेख था और उनके नाम भी मैंने हटाये।

(शोर)

उस सूचना में किसी किस्म का आरोप उनके ऊपर नहीं था। कुछ उल्लेख हुए थे। म केवल बतलाना चाहता था कि जिन नामों का उल्लेख किया गया था, उनको उस प्रश्न में, अनुपयुक्त समझकर, मैंने निकाल दिया था। मेरी मंशा यह कहने की नहीं थी कि उनके ऊपर आरोप थे। अगर सदन ने ऐसा समझा है तो मुझे इस बात का खेद है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

माननीय मैनेजर सिंह या माननीय केशरी पांडेय ने जो कहा उसमें माननीय कमलापति त्रिपाठी, माननीया सुचेता कृपालानी और हाई कमांड का नाम आता नहीं था। आपने इसको फैला दिया। जब आपने फैला दिया तो फैलाने के बाद आवश्यकता है कि उसका निराकरण हो सदन में।

श्री अध्यक्ष--

मैं प्रोसीडिंग से पहले वह देख लूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सारा हाउस बैठा हुआ है। हाउस के सामने है। कोई कह दे कि नहीं कहा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी बात को आप समझें नहीं, गलत कदम उठा लें, और गलत रूलिंग दे दें फिर किसी सम्मानित सदस्य की प्रतिष्ठा और उसके स्वाभिमान पर ठेस लगे और इसके बाद आप इस प्रकार की व्यवस्था दें, इसके विरोध में मैं आज सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कमलापति त्रिपाठी ने कुछ सदस्यों सहित सदन का परित्याग किया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने माननीय केशरी प्रसाद पांडेय को बलपूर्वक जो निकाला है उसको वापस लें और फिर उनको सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए बुलाएं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने निश्चय को बदल कर उसको वापस लें और सदन की कार्यवाही मर्यादापूर्वक और शान्तिपूर्वक चलने दें। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

अध्यक्ष महोदय, आज की इस घटना से वातावरण विषाक्त हो रहा है। इसके लिए अच्छा है आप सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें और अपने कमरे में बुला कर सारी बात

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

का स्पष्टीकरण करें। आपके मन में क्या था या माननीय केशरीप्रसाद पांडेय के मन में क्या था, यह कोई नहीं देखेगा। लोग वही जानेंगे जो सदन में कहा गया। इसलिए इसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मैनेजर सिंह जी द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचना दी गयी थी जिसमें तरह-तरह के गम्भीर आरोप थे और जिसे आपने यहां स्वीकार किया था। तो जब उस सूचना की कई बातों को मैनेजर सिंह ने वापस ले लिया, किन्तु उसके बाद भी जितना उसका पार्ट बचा आपने उस पर माननीय सदस्य मैनेजर सिंह से यहां पर पूछा कि क्या आप इसको वापस लेना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब वह चीज हाउस में आ चुकी थी और वह यदि हाउस की प्रापर्टी बन चुकी थी तो आपको उसकी वापसी के बारे में सिर्फ मैनेजर सिंह से ही पूछने की क्या आवश्यकता थी। यदि आपको पूछना था तो आपको पूरे सदन से पूछना चाहिये था। दूसरी बात यह है...

श्री अध्यक्ष—

आप तो फिर वही बात कर रहे हैं, जिसे मैं खत्म कर चुका हूं।

श्री लखपतराम शर्मा—

नहीं, मैं इसी पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या मैनेजर सिंह जी उसको वापस ले सकते थे, जिस पर सारा विवाद हो रहा है?

श्री अध्यक्ष—

यह तो खत्म हो गया।

श्री लखपतराम शर्मा—

खत्म हो गया, फिर भी मैं इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं कि क्या मैनेजर सिंह जी वापस ले सकते थे या नहीं।

(व्यवधान)

*श्री भानुप्रतापसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय त्रिपाठी जी ने आपकी रूलिंग के विरोध में सबके साथ सदन त्यागा, उस समय इस सरकार के एक मंत्री अली जहीर जी भी उनके साथ गये। मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या हम इस सरकार को एक संगठित सरकार समझें जो ज्वाइन्ट रिस्पांसिबलटी लेकर चलती है अथवा हम इस सरकार को ऐसा समझें कि जिसके बीच में इतनी बड़ी दरार है कि आपकी रूलिंग के विरुद्ध एक मंत्री उठ कर सदन का त्याग करता है। यदि एक मंत्री महोदय सदन का त्याग करते हैं, तो उसका तात्पर्य यह होता है कि उसकी जो इच्छायें या भावनायें हैं वह उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने सदन का त्याग किया है। ऐसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूरत में यदि माननीया मुख्य मंत्री जी अपने ऐसे मंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती हैं तो इसका आशय यही है कि उस मंत्री की भावनाओं और विचार के साथ मुख्य मंत्री जी भी हैं। और जिसका एकमात्र मतलब यह निकलता है कि पूरा मंत्रिमंडल ही उस मंत्री के साथ है जिसने आपकी रूलिंग के विरोध स्वरूप सदन छोड़ा है क्योंकि पूरे मंत्रिमंडल की ज्वाइन्ट जिम्मेदारी होती है और मुख्य मंत्री सबकी सर्वेसर्वा होती हैं। ऐसी दशा में यही समझा जायगा कि पूरा मंत्रिमंडल आप की रूलिंग के खिलाफ है और उसके विरोध में उन सबकी भावना है। यदि नहीं है, तो मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का सदन के बाहर उठकर ऐसी दशा में जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि वह ऐसी हालत में मंत्रिमंडल का सदस्य होने के काबिल नहीं है, क्योंकि वह अपनी ज्वाइन्ट रिस्पान्सिबिल्टी को नहीं निभाता है, वह उसमें फेल रहा है।

(व्यवधान)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे परेशानी इस बात की हो जाती है, आपसे हमेशा हमने आग्रह किया है कि आप प्रत्येक सदस्य की बात को वह चाहे जिस विषय पर हो, पूरी तरह से सुन लिया करें और उसके पक्ष और विपक्ष पर बोलने वाले सभी सदस्यों के मतों को भी पूरी तरह ध्यान से सुन लिया करें और उसके उपरान्त ही आप अपनी कोई रूलिंग दिया करें। किन्तु मैं देखता हूं कि व्यवहार में आप ऐसा कदापि नहीं कर रहे हैं, जिससे समस्यायें पैदा हो जाती हैं। यदि आप ऐसा करें तो किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। लेकिन होता यह है कि किसी सदस्य के बोलते रहने पर ही उसका अन्तिम वाक्य खत्म होते-होते आप अपनी रूलिंग बिना उनकी बात को पूरी तरह सुने और समझे दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि आखिर कहां तक इर्रेलेवेन्ट सुना जाये।

श्री झारखंडेराय—

यह मैं आपको आज तीन वर्षों से इसी तरह देख रहा हूं। आपने केशरी प्रसाद पांडेय जी के मामले में हस्तक्षेप किया। उनकी एक बात को गलत कहा और उसके बाद उसको एक्सटेंट करके आपने बता दिया और अन्य सदस्यों के नाम भी ले लिये। इस तरह से गलती आपने की उन्होंने नहीं की, लेकिन आपने उनको निकाल दिया। इसलिये मेरा कहना है कि सदन की मर्यादा के लिये और सदन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिये, आपने जो गलती की है, उसको साहसपूर्वक स्वीकार कीजिये और केशरी प्रसाद जी को वापस बुलाइये। आपके इस रवैये के विरोध में मैं अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

उसी सम्बन्ध में मैं यह कह रहा हूं कि मैं यह समझा था कि माननीय केशरी प्रसाद जी यह इशारा कर रहे हैं कि मैंने माननीय चन्द्रभानु गुप्त, एक विशेष व्यक्ति के लाभ के लिये उनका नाम निकाल दिया और उन्हीं के लाभ के लिये मैंने सारे परिवर्तन किये। अगर वह यह कह दें कि उनका मंशा यह नहीं था कि मैंने पक्षपात रूप से चन्द्रभानु गुप्त जी के लिये ऐसा किया था तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

माननीय केशरी प्रसाद पांडेय का वह मतलब नहीं था सारा मतलब तो आपने अपने मन से लगा लिया।

श्री अध्यक्ष--

रामसुन्दर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनकी क्या मंशा था ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---

उनका सिर्फ यह मंशा रहा है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव में केवल चतुर्भुज शर्मा का जिक्र नहीं था बल्कि और लोगों के भी नाम थे।

श्री अध्यक्ष--

अगर उनका यह मंशा था कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त के अलावा और लोग भी थे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैंने उनको गलत समझा। अगर आप कह दें कि उनकी मंशा वही था जो आप कह रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर इतनी देर से विवाद हो रहा है और उस पर इतना अधिक समय सदन का लगा। अगर एक-एक व्यवस्था का प्रश्न उठता रहा और आप इस पर समय देते रहे तो बड़ा मुश्किल हो जायगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस कार्यवाही को समाप्त किया जाय। इस तरह से बड़ा अनुचित लगता है कि प्रत्येक व्यवस्था के प्रश्न पर सदन का समय नष्ट किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

अब मैंने जो व्यवस्था दी है, उसे बता दूं। अगर वह केशरी प्रसाद पांडेय जी आकर कह दें तो..

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, जो कार्यवाही हुई है, उसको आपने ही इतना उलझाया है और झगड़े को उठाया है। आपको अब उन्हें वापस बुलाना चाहिये और अगर नहीं बुलाते हैं तो इस सदन की प्रतिष्ठा जो रोजमर्रा घटती जा रही है, उसको आपने और भी बरबाद कर दिया है। मैं अपने दल के सहित आप की इस कार्यवाही के खिलाफ सदन का त्याग करता हूं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये।

श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)---

मैं, श्रीमन्, तीन दफा खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

नहीं, श्रीमन् पहले मेरी बात सुन लें। मेरा नाम इधर से भी उधर से भी ५० बार लिया गया है। मैं अपनी व्यक्तिगत सफाई देना चाहता हूं। मैंने नियम ५२ का जो प्रस्ताव उपस्थित किया था उसमें जिक्र माननीय चन्द्रभानु गुप्त, माननीय कमलापति जी त्रिपाठी, माननीया

सुचेता जी का था लेकिन किसी भी माननीय संबंधित व्यक्तियों के ऊपर कोई आक्षेप नहीं था। केवल इतना ही उसमें संकेत था कि इन लोगों ने भी इस प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, उसे पढ़ने से स्पष्ट होता है कि नैनीताल में कोई न कोई घटना घटी है। बस, केवल इतना ही मेरा मतलब था। न मेरा कोई आक्षेप माननीय चन्द्रभानु गुप्त पर था, न माननीय कमलापति त्रिपाठी जी पर था। नैनीताल में सम्भवतः कोई न कोई घटना घटी होगी, जिसके विषय में इन सब सज्जनों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैंने कोई आक्षेप इन लोगों पर नहीं किया था। मैं चाहता हूं कि स्थिति साफ हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

(श्री चतुर्भुज शर्मा से) हां, अब आपको क्या कहना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। मुझे इस बात का खेद है कि तीन बार उठने के बाद और कुछ कहने के बाद आपने मेरे ऊपर कृपा की। मुझे अफसोस है कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन जाहिर है कि सदन में जो यह बात आई, इससे मेरा सम्बन्ध है। आपने जब पहले इसको मंजूर किया तब आपने मुझसे पूछने की कृपा नहीं की। जब आपने इसको मंजूर किया तो मैंने आपको टेलीफोन किया और आपसे प्रार्थना की कि यह मुझसे सम्बन्ध रखता है और इसलिये मुझे इस पर कुछ कहने का अवसर आप दें। आपने मुझसे कहा और वादा किया कि मुझको अवसर दिया जायगा। लेकिन आपने मुझे आज भी अवसर नहीं दिया। उस वक्त भी जब माननीय मैनेजर सिंह ने प्रार्थना की कि इसको वापस लिया जाय और जब यह वापस हुआ तब भी मुझे अवसर नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी समझ के अनुसार अब कौन सी घटना हो गई जिसके कारण यह आज वापस हुआ और उस दिन वापस नहीं हुआ। जब इस समय मैं यहां पर बैठा हुआ था उस समय भी मुझसे उस सम्बन्ध में कोई बात नहीं पूछी गई जब कि मुझसे वह चीज सम्बन्ध रखती थी। मैंने आपके कक्ष में जाकर स्वयं आपसे यह प्रार्थना की थी कि एक बार जो बात गलत हो गई है और मेरे मुंह में रख दी गई है उसके स्पष्टीकरण का अवसर मुझको मिलना चाहिये। उस समय आपने कहा था कि जब अवसर आयेगा तो मुझे स्पष्टीकरण का अवसर दिया जायगा। जब यहां पर मैनेजर सिंह जी बोले, उन्होंने इस बात को इंगित किया कि कोई न कोई घटना हुई है और उस सम्बन्ध में उन्होंने यहां सदन में अपना प्रस्ताव रखा था। वह सदन के सामने आया। मैं यह निवेदन करूंगा कि उसमें कई चीजें गलत थीं। एक बड़ी गलत चीज यह थी कि...

श्री अध्यक्ष--

उस सम्बन्ध में आप कुछ न कहें। वह हो गया।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मेरे साथ ज्यादती हो रही है। आप इस सदन के अध्यक्ष हैं। आप कृपया मेरी बात सुन लें और मुझे अवसर दें। इस सदन के हर सदस्य की मान मर्यादा की रक्षा आपके हाथ में है और मैं आपके हर आर्डर को मानने वाला हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें बहुत सी चीजें गलत थीं। आपने मैनेजर सिंह जी को इजाजत दी। उन्होंने इस बात का संकेत किया कि कोई न कोई घटना हुई है। मैं कहता हूं कि यह सब गलत है कि और कोई भी घटना नहीं हुई है। यह सब गढ़ी हुई बात है। कोई घटना नहीं हुई है। उसमें यह लिखा हुआ है कि....

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में जब यहां पर वह प्रश्न नहीं है तो आप न कहें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मुझे इस माननीय सदन के एक सदस्य की हैसियत से न भी मानें लेकिन इस देश का एक भारतीय तो अवश्य मानें । आप मेरी बात को सुनने की कृपा करें । जब उन बातों से मेरा संबंध था तो आप मुझको भी स्पष्टीकरण का अवसर देते और अपने वादे को पूरा करते मगर मेरे यहां पर बैठे रहने पर भी आपने मुझे अवसर नहीं दिया । मैं जब यहां पर बैठा था और आपने मुझसे वादा किया था कि स्पष्टीकरण का अवसर दिया जायगा लेकिन आपने मुझे अवसर नहीं दिया । मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो यह मेरे साथ अन्याय है । मैं इस बात का आदी नहीं हूं कि तेजी में कोई बात कहूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन की मर्यादा, हर सदस्य की एवं अपनी मान मर्यादा के लिये मेरी जान भी चली जाय तो कोई बात नहीं है । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप मुझे कहने का अवसर दें । जैसा आपने वादा किया था, उसके अनुसार आपने मुझे बोलने के लिये नहीं बुलाया । जिस दिन आपने उसको मंजूर किया उस दिन भी मुझे अवसर नहीं दिया और आज जब वह वापस किया गया तब भी मुझे नहीं बुलाया । आपके लिए यह उचित था कि आप मुझे अवसर देते । यह सरासर गलत बात है और कोई किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है और ये सारी बातें और यह घटना की बात बिलकुल मनगढंत है और इन बातों में कोई तत्व नहीं है । यह एक कांसप्रेसी, षड़यंत्र, मेरे खिलाफ है ।

वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन-क्रमों को सरकारी सचिवालय के समान न रखने के संबंध में वक्तव्य

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि यह वक्तव्य तैयार नहीं है । इसलिये कृपा करके कल के लिये इसका दिन निश्चित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, यह कल हो जायगा ।

भारत और नैपाल के बीच चलने वाली गाड़ियों के चालकों के झगड़े के सम्बन्ध में वक्तव्य

*खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं:--

"स्थानीय अधिकारियों तथा शासन को इस बात की जानकारी है कि सुनौती-नौतनवां मार्ग पर नैपाल राज्य में रजिस्टर्ड मोटर, बसें तथा ट्रकें नौतनवां तक लगभग अप्रैल से आ रही हैं । सवारियां ले जाने के संबंध में एक झगड़े का मुकदमा चला है और आवश्यक कार्यवाही हो रही है ।

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ९२ के अनुसार पड़ोसी देशों से मोटर गाड़ियों के आवागमन के विषय में नियम केवल केन्द्रीय सरकार बना सकती है । राज्य शासन इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसलिये भारत सरकार को इस प्रकार की परिस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस विषय में भारत तथा नैपाल के बीच इस समय समझौते की बातचीत हो रही है। सुनौती-नौतनवा सड़क के मामले का उल्लेख करते हुए भी उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि उक्त समझौते को शीघ्रातिशीघ्र अमल में लाया जाय। जब तक समझौता (रिसाइप्रोकल एग्रीमेंट) न हो जाय तब तक भारत सरकार के आदेशानुसार किसी प्रकार का हस्तक्षेप इन गाड़ियों के आने जाने में नहीं किया जा रहा है। नैपाल की इन बसों व ट्रकों का आना जाना उनके निकटतम रेलवे स्टेशन, नौतनवा तक ही सीमित है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या इस मार्ग पर हमारी सरकारी बसें या कुछ प्राइवेट बसें भी चलती हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अध्यक्ष महोदय, यह तो केवल वक्तव्य के लिये था।

पर्चे बांटे जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारी असेम्बली खुलती है तो बहुत प्रकार के पर्चे बांटे जाने की यहां एक प्रथा सी हो गयी है। आज भी जब मैं आया तो मुझे एक बहुत ही भयंकर पर्चा मिला। उसको पढ़ कर मैं यहां का वातावरण विषाक्त नहीं करना चाहता .....

श्री अध्यक्ष---

सदन में आपको पर्चा मिला या सदन के बाहर ?

श्री हरीश कुमार गंगवार--

सदन के गेट पर। इस तरह की पर्चेबाजी से यहां का वातावरण और विषाक्त होता है और तमाम प्रदेश में गड़बड़ी पैदा होती है।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इस सदन के परिसर के बाहर अगर कोई बात होती है तो उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे इस पर नियंत्रण रखें ताकि इस तरह के पर्चे यहां न बांटे जायं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४† (क्रमागत)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, कल मैं निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक के ऊपर जो बातें यहां कही गयी हैं उनमें कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह बात भी कही गयी कि रजिस्ट्रार को ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है। मैं आपको बतलाऊं कि संयुक्त प्रवर समिति ने उस पर संशोधन दिया और उस संशोधन की तहत में संयुक्त प्रवर समिति की जो सिफारिशें हैं उसमें खंड ७

---

†२३ अगस्त, १९६५, की कार्यवाही से।

[श्री कल्पनार्थसिंह]

में समितियों के निबन्धन का प्रश्न है । जहां तक मैंने खंड ७ को समझा है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि निबन्धन के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ उपविधियां ऐसी हों जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् सहकारी समितियों के उस प्रकार तथा वर्ग के लिये जिस प्रकार तथा वर्ग की वह प्रस्तावित समिति हो, निबन्धक द्वारा पहले से ही अनुमोदित कर ली गयी हों तो, निबन्धक प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से दो महीने के भीतर उस पर या तो समिति को निबद्ध करने अथवा उसका निबन्धन करने से इंकार करने का अंतिम आदेश देगा, और उसके ऐसा न करने पर प्रस्तावित समिति उक्त दो महीने की अवधि समाप्त होने के पश्चात् यथाविधि निबंधित की गयी समझी जायगी ।

इस प्रकार इसमें व्यवस्था की जा रही है कि अगर किसी उपविधि के संशोधन की आवश्यकता रजिस्ट्रार समझता है तो वह उस सोसाइटी की साधारण सदस्यों की आम सभा से उसके अनुमोदन के लिए कहेगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार की अनुमति से वह इस प्रकार का संशोधन प्रभावी कर सकेगा । यदि कोई विशेष बात न होगी तो वह सरकार को उस बात की सूचना देगा और सरकार से अनुमोदन पाने के बाद ही रजिस्ट्रार उस उपविधि के संशोधन को प्रभावी कर सकेगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी, आप आगे बैठ कर बातें करते हैं । पीछे बैठें तो बात भी है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं तो आज बिलकुल नहीं बोला हूं, तब भी आप डाट रहे हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस संशोधित बिल के द्वारा बहुत सी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया गया है । कुछ माननीय सदस्यों को शिकायत हो सकती है कि आफिश्यलाइजेशन के बजाय डि-आफिश्यलाइजेशन किया जाय । उसका एक ही तरीका होगा कि सहकारिता मूवमेंट में इससे ज्यादा लीडरशिप पैदा की जाय ।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुये ।)

अधिष्ठाता महोदय, लेक्चर दे देने से या किताब लिख देने से सहकारिता पैदा नहीं हो सकती । इसकी ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जब लीडरशिप पैदा होगी और कोआपरेटिव मूवमेंट में लोग अपना दिमाग और शक्ति लगायेंगे तो वह लीडशिप पैदा हो सकती है ।

दूसरे प्रदेशों की बात कही जाती है । मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिये कि सरकार ने इस प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता की तरफ प्रोत्साहित किया है । जो अब तक के सहकारिता मंत्री नहीं कर सके, वह आज के सहकारिता मंत्री ने किया । जो माडेल बिल उपस्थित होना था वह आज तक उपस्थित नहीं हो सका । आज सरकार धन्यवाद की पात्र है कि सहकारिता मूवमेंट को किस प्रकार से जनता में जनता के लीडरों ने हाथों हाथ कंधे पर उठाया है और कोशिश की है । लेकिन यह दुख की बात है कि बाहर सहकारिता के खिलाफ आन्दोलन किया जाय, सहकारिता के विरुद्ध बातें की जायं, आचरण किया जाय और हाउस में भी चर्चा की जाय कि सहकारिता मंत्री का मंत्रालय उसमें काम करने वाले सरकारी अफिसरों के हाथ मजबूत करना चाहते हैं । मैंने कल भी कहा था और आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार सहकारिता विभाग ने आज जिला स्तर की इकाइयों में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हटा कर गैरसरकारी

लोगों को अध्यक्ष बनाने की व्यवस्था की है, जिस तरह आज उसकी कार्य-पद्धति के संचालन की व्यवस्था की जा रही है उसमें रंचमात्र संदेह नहीं है और न होना चाहिये कि यह किसी और तरफ कदम जाता है और ऐसा सोचना वस्तुस्थिति से आंख मूंद कर चलना है। जिन लोगों का कर्त्तव्य ही हो गया है कि सहकारिता को बदनाम करो, समाजवाद को बदनाम करो, उनकी बात दूसरी है लेकिन जो जनतंत्र और सहकारिता में विश्वास करने वाले हैं वह समझते हैं कि यह एक प्रगतिशील बिल है। किसी विषय के लेजिस्लेशन में मतभेद हो सकता है। लेकिन सिद्धांत के रूप में अधिष्ठाता महोदय, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह बिल प्रगतिशील बिल नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा सांस रोक कर बोलें, वरना रिपोर्टिंग में दिक्कत होगी।

श्री कल्पनाथसिंह—

माननीय सदस्य ने कहा कि कमरे में बैठ कर हाथ उठा दिया और यह कर दिया, वह कर दिया। यह बात कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन जहां तक एजेंडे का सवाल है, उस पर तो विचार होता है, अन्य बातों पर भी विचार होता है। उसी एजेंडे में चुनाव भी होता है, और बातें भी रहती हैं। ए० जी० एम० में सभी लोग अपने-अपने विचार रखते हैं। पिछली कार्यवाही की उसमें पुष्टि भी होती है। तो यह जो कहा गया कि हर एक डाइरेक्टर के लिये अलग-अलग क्षेत्र बनाया जाय, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। यह कहा गया कि ए० जी० एम० में बकायादार आदमी या बकायादार सोसाइटी हिस्सा नहीं ले पातीं, लेकिन उनको अपने-अपने विचार रखने का हक है। ए० जी० एम० में केवल चुनाव ही नहीं होता, और मुद्दे भी रहते हैं। उसमें सभी पक्ष के प्रतिनिधि होते हैं और वे अपने विचार रख सकते हैं। इसी से सहकारिता की भावना प्रतिध्वनित होती है।

एक माननीय सदस्य ने केंद्र का उदाहरण दिया, कहा कि वहां अलग-अलग खंड बनाते हैं, उसमें चुने हुए डाइरेक्टर्स आते हैं, इसलिये उनका चुनाव करने के लिये अलग-अलग क्षेत्र बनाया जाय। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं।

मेरे मित्र ने बतलाया कि ५–६ हजार रुपया तो साधारण बात है एक डाइरेक्टर के चुनाव में, इसका मुतालबा कर दिया जाय तो बड़ी बदकिस्मती होगी इस मूवमेंट की। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार का संघ हो वह उसी प्रकार कायम रहे। ए०जी०एम० हो, ए०जी०एम० पर अपनी व्यवस्था रक्खे, उस बैंक की बहबूदी में अपना हाथ बटायें। उस बैंक को ठीक ढंग से संचालित करने के लिये प्रयत्नशील रहे। लेकिन अगर खंड बना दिये जायेंगे तो यह उपयुक्त नहीं होगा चुनाव की पद्धति में। मुझे यह भी निवेदन करना है कि जो तारीख ए०जी० एम० के लिये फिक्स हो उस तारीख के कम से कम एक मास पूर्व जितनी सोसाइटियां अपने प्रतिनिधि भेजें, उन प्रतिनिधियों की लिस्ट बैंक के या संघ के कार्यालय में प्रत्येक आदमी के देखने के लिये रहनी चाहिये। अगर कोई व्यक्ति उस पर एतराज करता है तो उस एतराज के लिए पूरी गुंजाइश रहनी चाहिये कि वही आदमी है, उसका नाम सही आया है या नहीं। यह कह देना कि इसके लिए अलग-अलग तरीके अख्तियार किये जायं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। अगर संघ बैंकों या दूसरी संस्थाओं में जिस साल के लिये डेलीगेट आता है और जिस साल का डेलीगेट जिस संस्था के लिये आता है और अगर दूसरे वर्ष में वह ए०जी०एम० होता है तो वही डेलीगेट हिस्सा ले जो उस संघ या संस्था के लिये चुना गया है। ऐसा कर देना पिछले साल जो डेलीगेट रहा उस ए०जी०एम० में हिस्सा लेने का, वही हिस्सा ले, वह हिस्सा इसलिये नहीं ले पाता कि वह सोसाइटी में, संस्था में, बकायादार हो जाता है, जिसका यह डेलीगेट रहा। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं जिस वर्ष का वह प्रतिनिधि है, उस वर्ष का जब ए०जी०एम० होता है तो उस वर्ष में उसे हिस्सा लेने के नियम रहने चाहिये।

[श्री कल्पनाथसिंह]

दूसरा निवेदन यह है कि अगर यह नान-आफिशियल अध्यक्ष बनाया जा रहा है इस बिल के तहत में तो फिर दूसरे मित्रों को जो आज यह शिकायत करते हैं आफिशियल्स के खिलाफ वही यह शिकायत करेंगे कि अध्यक्ष ने इतनी अव्यवस्था पैदा कर दी चुनाव के सिलसिले में कि वोट उनको मिले दस, लिख दिया एक। यह संभावना इसमें की जा सकती है। मेरा निवेदन यह है कि गैर सरकारी अध्यक्ष जब तक ए०जी०एम० होता रहे तब तक अध्यक्षता करता रहे, लेकिन जब चुनाव का अवसर आये तो जिला कलेक्टर या चुनाव अधिकारी उस चुनाव का संचालन करें जब चुनाव सम्पन्न हो जाय तो रिजल्ट की घोषणा कर दे। उसके बाद जो दूसरी कार्यवाही होती है वह चालू की जाय, मेरा अपना यह सुझाव था। यह विधियों में या जो दूसरे नियम बनेंगे उसमें इनके समावेश की गुंजाइश है। श्रीमन्, एक बात कही गई थी कि कुछ प्रदेशों से हमारा प्रदेश रुपया देने और खर्च करने के मामले में कमजोर है। है कुछ ऐसी बात, यह नहीं कहा जा सकता। जहां तक क्रैडिट सोसाइटियों का मामला है उसमें तो सबसे आगे है ही। लेकिन कुछ खर्च करने में जो पर कैपिटा इन्कम जोड़ी जाती है जो इनवैस्टमेंट जोड़ा जाता है उसमें कुछ बात ऐसी थी। लेकिन पापुलेशन और उसमें दूसरे लोग कोआपरेटिव में लगे हुए हैं वह परसेंटेज अगर कुछ प्रांतों का देखा जाय और उत्तर प्रदेश का देखा जाय तो मैं यह समझता हूं कि कोई इस प्रकार की बात नहीं है क्योंकि कुछ प्रांतों म कम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। अगर ऐसी बात न भी हो और वही बात मान ली जाय तो फिर मैं इस बात को जो दोबारा कहना चाहता हूं कि चौथी पंच वर्षीय योजना को हम अपने आने वाले दो चार दिनों में डिस्कस करने वाले हैं इस सदन में, और आज सहकारिता का बिल डिस्कस कर रहे हैं। सहकारिता का बिल डिस्कस करते समय चौथी पंचवर्षीय योजना को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिये। मेरा यह खयाल है कि चौथी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए, उसे जनता की योजना बनाने के लिए और चौथी पंच वर्षीय योजना और सहकारिता आन्दोलन को जनता का आन्दोन बनाने के लिए, इस काम के लिए भी अधिक से अधिक रुपया सहकारी क्षेत्र में लगाना चाहिये और अगर, अधिष्ठाता महोदय, विषयान्तर न माना जाय तो मैं यह भी निवेदन करने के लिए तैयार हूं कि समाज का वह पिछड़ा हुआ अंग जिस पिछड़े हुए अंग को आज सबसे अधिक सहकारिता की आवश्यकता है चाहे वह रिक्शा खींचने वाला हो, चाहे वह जूता बनाने वाला हो, चाहे वह लकड़ी का कारबार करन वाला हो, चाहे वह कोई सड़क पर मिट्टी कूटने वाला हो, अथवा कृषि उत्पादन का कार्य करने वाला हो, उसको सबसे अधिक इस बात की छूट मिलनी चाहिये कि वह सहकारिता आन्दोलन में अपने को लगा सके।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़ी चर्चा होती है हमारे प्रदेश में मैन-पावर की। सट्रल गवनमेंट न एक मन पावर यूटिलाइजेशन स्कीम यहां के लिए चलायी है। लेकिन दरअसल अगर मैन पावर को यूटिलाइज करना है तो इस सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से उस मैनपावर को अधिक से अधिक यूटिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिये। मैं इसलिये ऐसा करना चाहता हूं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि आज समाज का वीकर सक्शन, समाज का पिछड़ा हुआ अंग, समाज का यह अंग जो छोटी छोटी होल्डिंग रखता हो, उसकी हालत इस सहकारिता म कुछ बहुत अच्छी नहीं हो पायी है जिसकी कल्पना हम सहकारी आन्दोलन के माध्यम से करते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि आज वे लोग भी जो क्रेडिट सोसाइटियों के माध्यम से कर्जा पाने से इसलिये वंचित रह जाते हैं कि उनके नाम से जमीन नहीं ह, उनका वैल्यूएशन ठीक नहीं है, अगर वह एप्लाई करना चाहते हैं कि उनको कर्जा दिया जाय, चाहे खेत उनके नाम है या नहीं, लेकिन वह खेत की तरक्की करने के लिये दूसरे के साथ सहयोग कर सकें, दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए वह खाद लेना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिये। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी, लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी और दूसरी कोआपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से जिसमें खास तौर पर मार्केटिंग सोसाइटी या और ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को सेव

करने के लिये वेंयर हाउसिंग सोसाइटी हैं, इन सोसाइटियों को अच्छे ढंग से चलाने के लिए उन लोगों में, जिन लोगों को आज कहा जाता है कि निरक्षर होने की वजह से या इनको जानकारी न होने की वजह से या कोआपरेटिव की ट्रेनिंग न होने की वजह से उनको इससे लाभ नहीं पहुंचता, उनको इसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, तो मैं समझता हूं कि इस बिल के साथ चौथी पंचवर्षीय योजना का मेल होना चाहिये और अगर चौथी पंच वर्षीय योजना जिस रूप में हम बनाने जा रहे हैं इस बिल की तहत में उससे अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने लाभ पहुंचाया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस को-आपरेटिव मूवमेंट के अन्दर ले आये, इस विषय की ट्रेनिंग दे सके जिससे लोगों की आस्था सहकारिता आन्दोन के अन्दर बढ़े, तो मेरा निश्चित मत है कि इस प्रदेश का नाम उदाहरण के तौर पर नांमांकित होगा समूचे भारतवर्ष में और दूसरे लोग इस प्रदेश का अनुकरण करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र या अन्य जगहों पर कोआप-रेटिव समितियां बलवती हुईं। मेरा उनसे निवेदन है कि यह निश्चित समझा जाय कि अगर वस्तुस्थिति का अध्ययन करें, आंकड़ों को देखें, तो मालूम होगा कि कोई किसी क्षेत्र में और कोई किसी क्षेत्र में बढ़ा हुआ है। सहकारिता का सर्वोदयी रूप किसी भी प्रांत में एकसा नहीं रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है कि अधिक से अधिक धन लगाकर काम कराया जाय।

सहकारिता के संबंध में ही हमारे माननीय सदस्य, संसोपा के, प्रभू नारायण सिंह और राधेश्याम जी ने विमति टिप्पणी दे दी और एक जन संघ से भी आ गई। अगर दोनों की विमति टिप्पणियां देखी जायें तो दोनों में इतना विरोधाभास है कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक ने सबसे अधिक जोर दिया है कि सहकारिता खेती का इसमें क्लाज नहीं होना चाहिये और दूसरे ने जोर दिया है कि नहीं, इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट इस पर क्यों नहीं लागू होता है। गांवों में बहुत से ऐसे गरीब छोटे किसान हैं जिन्हें सहकारिता के माध्यम से मदद की जरूरत है अगर वे सहकारी खेती करना चाहते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि इसमें ऐसा क्लाज ही मत रखिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आती। सहकारिता कोई मार्शल ला तो है नहीं कि वह लागू ही रहेगा। इस बिल में रखा गया है कि खेती करने वाले लोग अगर सहकारिता के आधार पर खेती करना चाहें तो उनकी सहकारी समितियां इस प्रकार से रजिस्टर होंगी। जो नहीं करना चाहें उनके साथ जबरदस्ती नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया कि इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट के तहत में कर्मचारियों को यह नहीं दिया और वह नहीं दिया, इसलिये विमति टिप्पणी है। कहां इसमें इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट लागू होगा? हमारी सोसाइटियों में सुपर-वाइजर का काम बड़ा कलाकारी का है। ट्रांसफर एंट्री बदल देता है। इससे बड़ी कलाकारी और क्या होगी कि रुपये का लेन-देन न हो और खाता बही सब शुद्ध? एक तरफ यह कहा जाता है कि किसानों से अधिक से अधिक सूद वसूल किया जाता है और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डिसप्यूटस ऐक्ट लागू करने की बात कही जाती है। इससे ऐसा लगता है कि महज विरोध के लिये विरोध जिसे कहते हैं, वही विमति-टिप्पणी हमारे दोस्तों ने दी।

हमारे माननीय सदस्य उन्नाव, माफ करेंगे, उनकी अपनी रीति-नीति के अनुसार एक विमति टिप्पणी उन्होंने भी दी। हमारे सोशलिस्ट भाई जो अपने को उग्रवादी कहते हैं और न जानें क्या क्या कहते हैं, कहते तो हम भी अपने को सोशलिस्ट हैं लेकिन हम जमीन पर चलने वाले हैं, आसमान पर उड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन आज सोशलिस्टों में भी आपस में एक सी विमति नहीं है। जन संघ की तो, खैर, बात छोड़ दीजिये। चुनाव के मामले में तो इन दो नोंकी तालमेल सबसे बैठ जाती है, चाहे कोई स्वतंत्र पार्टी का हो, लोहिया जी की सबसे तालमेल रहती है कि किसी तरह से भी कांग्रेस को हरा दिया जाय, भले ही कैरल की मुस्लिम लीग से या किसी से भी गठबंधन करना पड़े। यह तालमेल जब लिखित पठित करने का सवाल पैदा हुआ तो किसी से भी नहीं हो पाई। कहीं कोई एक बात पर आपस में सहमत नहीं हो सके कि सहकारिता का बिल किस रूप में आये। जब मैंने विमति-टिप्पणी देखने के लिये इन पत्रों

[श्री कल्पनाथसिंह]

को खोला तो मैं यह समझता था कि निश्चय ही हमें यह मालूम हो जायगा कि ये लोग क्या चाहते हैं। मैं यह देखना चाहता हूं कि सचमुच सहकारिता का सबसे बड़ा हामी कौन है। लेकिन मुझे इसमें कहीं किसी से कोई तालमेल मिलती हुई दिखाई नहीं दी। विमति-टिप्पणी देने का उनको हक है।

माननीय कमला सिंह जी चले गये, उन्होंने प्रस्ताव किया कि इस बिल को फिर से संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाय। अरे भाई, काहे के लिये? एक माननीय सदस्य विधान सभा के और दूसरे विधान परिषद के, दो तो उसमें थे और अगर उन्हें अपनी पार्टी की राय दिलानी थी तो आसानी से उनके माध्यम से दिलवा सकते थे। लेकिन पुनः प्रवर समिति में क्यों भेजा जाय? यह केवल टालने की बात मालूम होती है ताकि सन् १२ का जो कोआपरेटिव ऐक्ट अब तक चला आ रहा था वह सन् ६५ में भी समाप्त न होने पावे। अगर आप सहकारिता में विश्वास रखते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप इस कानून को जल्दी पास करने की कोशिश करें और अपना पूरा सहयोग इसमें दें। जो रचनात्मक सुझाव आप प्रवर समिति में न दे पाये हों, आप मंत्री जी से बात करें, उनको दें। मैं शुक्रगुजार हूं माननीय भीखालाल जी का जिन्होंने मंत्री जी की प्रशंसा की और कहा कि वह अच्छे कोआपरेटर हैं, उनको सहकारिता का ज्ञान है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसे जनमत-संग्रह के लिये क्यों भेज रहे हैं। आप तो स्वयं जनता के प्रतिनिधि हैं। आप समाजवाद में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम उनकी बात सदैव बड़ी गौर से सुनने के आदी रहे हैं। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उनकी बातों को उचित वजन देते हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि चूंकि वह अपोजीशन में हैं इसलिए वजन देते हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि चूंकि वह अपोजीशन में हैं इसलिये मुनासिब बात नहीं कहेंगे।

एक सदस्य—

आप भी तो अपोजीशन में रहे हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

रहा हूं और मैं अब भी सोशलिस्ट विचारधारा का हूं। वह भी सोशलिस्ट विचार-धारा के हैं। महज अपोजीशन की ओर से कोई बात आने के कारण वह नामुनासिब नहीं हो हो सकती। हर मुनासिब बात माननी चाहिये चाहे वह किधर से और किसी से भी आये। इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं होना चाहिये। मैं यह मान सकता हूं कि शायद भीखालाल जी और विजय सिंह जी हम-खयाल न होने पावें क्योंकि सैद्धांतिक मतभेद है। लेकिन श्री विजय सिंह जिस हद तक आप के साथ जा सकते हों उस हद तक उनको साथ रखेंगे, चूंकि उन का चुनाव का नारा सहकारी खेती है, अगर वह ऐसा न करेंगे, तो चुनाव हार जायेंगे, वरना सब मामलों म वह आप के साथ हैं। कहने का आशय यह है कि जितने भी दल यहां हैं वे सब सहकारिता के नाम पर आचरण कर के ही जो उनको अमल में कटु अनुभव हुये वह आने वाले दिनों में सरकार को या सरकार की मशीनरी को या हमारे मन्त्री जी को जिस को भी वह मुनासिब समझेंगे जिस से भी वह सम्बन्धित होंगे, अगर आवश्यक समझेंगे कि पुनः बिल में संशोधन किया जाय तो यह बिल कोई ऐसा नहीं है कि जिस में संशोधन फिर न हो सके। पिछले ऐक्ट में भी संशोधन हुये थे और सरकार को भी आवश्यकता महसूस हो सकती है। हमारे जो प्रगति के काम हैं और जो सहकारिता आन्दोलन का रूप है हो सकता है कि उसमें चौथी योजना में संशोधन की आवश्यकता पड़े और उस समय आपके जो कुछ भी विचार होंगे उनका लाभ सरकार और हम सब उठावेंगे। लेकिन राजनैतिक चश्मा उतार कर अगर आप सचमुच जीवन में सहकारिता में विश्वास करते हैं तो आप आपस में सहकारिता की मनोवृत्ति पैदा करने की कोशिश करें तो जो लड़ाई समितियों में, संघों में या अन्य प्रान्तीय स्तर

क संघों में होती है उसको दूर करने के लिए भी हम एक आदर्श पेश कर सकेंगे। अगर किसी की जानकारी इससे भिन्न हो तो बतायें। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है इसके केवल पी० सी० यू० या पी० सी० एफ० के लोग ही इसमें नहीं हैं बल्कि इस में तमाम स्वतन्त्र विचार वाले लोग भी हैं और अगर मैं कहूं कि दूसरे दल वाले भी हैं तो वह अतिशयोक्ति न होगी। उसमें एस० एस० पी० के लोग भी हैं, यह सरकार की सहकारी मनोवृत्ति का द्योतक है और मैं निहायत अदब के साथ कहूंगा कि देश में समाजवाद लाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है...

(इस समय १ बजकर ५२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुये।)

और समाजवाद के नाम पर, उन गरीब किसान मजदूरों के नाम पर जिनका सहकारिता आन्दोलन के द्वारा लाभ पहुंचाया जा सकता है उन में काम करने के लिए जरूरत है कि मेहरबानी कर के हमारे दोस्त उस क्षेत्र को अपनायें, समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग को जिसको सहकारिता का दरअस्ल ज्ञान नहीं है, उनको उसका ज्ञान दीजिये और आज की परिस्थिति के अनुरूप बनाइये इससे देश का, प्रदेश का और समाज का सबका कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ में पुनः सहकारिता मन्त्री जी को बधाई देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जिन माननीय सदस्यों ने संयुक्त प्रवर समिति या जनमत संग्रह के लिए इसे भेजने का प्रस्ताव किया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

अधिष्ठाता महोदय, मने माननीय कमला सिंह जी की बात को बड़े ध्यान से सुना। मान्यवर, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सहकारिता के सिद्धान्तों को समझाया है। सही भी है कि उनकी जो भावना अब तक रही है हम से अलग हो जाने पर भी विलग नहीं हुई है। जिस बात का उन्होंने प्रतिपादन किया है, वह सही है। माननीय मन्त्री जी ने बड़ी शुद्ध भावना के साथ इस बिल को प्रस्तुत किया है। मैं इस आन्दोलन के जन्म के इतिहास पर प्रकाश डालूं तो अच्छा ही होगा। सहकारिता का आन्दोलन सबसे पहिले १९०४ में प्रारम्भ हुआ। उसकी एक रूप-रेखा उस समय प्रस्तुत की गयी थी। १९१२ में इसके लिये एक बिल तैयार किया गया था। पर उस समय समाज की क्या परिस्थिति थी और समाज की क्या व्यवस्था थी, यह तो इतिहास बताता है। अंग्रेजी राज्य में संसार को भ्रम में डालने के लिये एक दिखावे के लिये, समाज को एक नया रूप दे कर सहकारिता का नया नाम देकर उसको प्रोत्साहन देने के लिए अंग्रेजी सरकार के समय में एक बिल लाये जिसमें सारे अधिकार सरकारी अधिकारियों को दिये गये थे। आज हमारी सरकार जिन सिद्धान्तों को समाजवादी समझती है और प्रतिपादन कर रही है वह भ्रमात्मक सिद्धान्त इसमें कितना व्याप्त है, यह मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।

अभी हमारे भाई माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने समाजवादी नीति की बात कही। ठीक है। उन्होंने हमारे साथी माननीय भीखा लाल जी का भी नाम लिया। मौलिक रूप से आरम्भ से ही माननीय भीखालाल जी समाजवादी विचारों के रहे हैं। उनका दल इस विचार का है। अब देखना यह है कि उनसे दूसरे लोगों ने राय ली है या इन्होंने उन से राय ली है, यह कहां तक और कौन बात सत्य है। माननीय भीखालाल जी ने जो विमति टिप्पणी लगायी है, वह सही है और किसी आधारभूत सिद्धान्त पर है। आज इस लोकतन्त्र राज्य में जिस जन-आन्दोलन को उठाने की कोशिश की गयी है वह आन्दोलन कैसे सफल होगा उसी के लिए यह विधेयक अपने असली स्वरूप में लाया गया है। माननीय भीखालाल जी ने इसका विरोध भी इसलिये किया है कि इस विधयक से उस भावना को कोई समाजवादी रूप नहीं मिल पाता है। उन्होंने अपनी विमति टिप्पणी में हमारे स्वतन्त्र पार्टी दल के उस सिद्धान्त को भी माना है कि व्यक्ति की स्वतन्त्र आस्था है और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा इसका अपहरण न होने के लिये उन्होंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं और उनके सुझाव न माने जाने के कारण उन्होंने

[श्री विजयसिंह]

अपनी विमति टिप्पणी में उसकी प्रतिक्रिया का प्रतिपादन किया है। जहां तक इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रश्न है, वह इसलिये है कि इसमें कुछ कमियां हैं। विमति टिप्पणी तो केवल एक संकेत मात्र है। संयुक्त प्रवर समिति म भजने के लिये आपने इसलिए कहा है, क्योंकि इस विधेयक में कुछ ऐसी बातें रह गयी हैं जिससे जो सिद्धान्त आप ने प्रस्तुत किये हैं, उनका प्रतिपादन पूरा-पूरा नहीं हो पाता है।

मान्यवर, यदि इसमें कमियां न होतीं, तो आज विरोधी दल की ओर से ऐसा प्रस्ताव भी न आता और हम लोग भी इसका स्वागत करते। यह बात नहीं है कि हम सहकारिता से नाराज होते हों। यह हमारी अभिरुचि इसमें नहीं है। हमारी परम्परागत से सहकारिता की भावना साकार रही है। समाज की नस-नस में सहकारिता व्याप्त है। हमारा परिवार एक सहकारिता का साकार स्वरूप है, जो दिखायी देता है। सहकारिता के रूप में ही घर का सब कामकाज चलता है। विदेशों में तो ऐसा होता है कि व्यक्ति युवा होने पर परिवार से अलग ही हो जाते हैं। पर हमारे यहां तो पूरा कुटुम्ब ही सहकारिता का एक ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करता है, इस विधेयक के आने से कहीं सहकारिता का भाव लादा नहीं जा सकता। हमारे गरीब इन्सान जो पैसे-पैसे के मोहताज हैं, वह अपनी आर्थिक उन्नति इस आधार पर नहीं कर सकते हैं। इस विधेयक से आज उन्हें इतना साधन नहीं मिलता है कि वे अपनी आर्थिक परिस्थितियों को ठीक कर सकें। इसमें जिस स्वरूप को लिया गया है यह कुछ भ्रामक है। पहल जिस प्रकार राजा रजवाड़ों में बेगार ली जाती थी, उसका नया नामकरण कर दिया है, श्रमदान। काम वही होता है, केवल नाम में परिवर्तन हो गया है जिस-से जन साधारण को कोई लाभ नहीं। इस विधेयक में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि इससे आर्थिक उन्नति होगी। आप की सहकारिता ने आज तक जो कार्य किये हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि यह बिलकुल निष्फल रही है, कोई प्रगति इसमें नहीं हुई है। जैसा माननीय फूलसिंह जी ने कहा यह प्रदेश सारी बातों में पिछड़ा हुआ है लेकिन एक चीज में सबसे आगे है और वह है कर्जों की वसूली में कि कर्जा पूरा-पूरा वसूल हो जाता है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

दो बज गये हैं, लेकिन कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री विजयसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि लाभ की भावना को विनियमित तथा निर्बन्धित किया जायगा। मैं आपके सामने कई धाराओं के जरिये स्पष्ट करूंगा कि नियमित लाभ न उठा कर सहकारिता के जरिये अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जाती रही है और आगे भी होगी। बीज का काम कृषि विभाग का है और खेती के लिए किसान को वह बीज दिया जाता है जिसे किसान अपने खेत में बोता है। सहकारिता मन्त्री जी ने इसे स्वीकार किया है कि सहकारी समितियों के जरिये से जो बीज बांटा जाता है उसकी वे पूर्ति नहीं कर पाती हैं और खेत में डालने वाले बीज की बहुत कमी रह जाती है। फिर जिस आधार पर वह बीज रखा जाता है, जिस टेक्निकल्टीज क साथ रखा जाता है, वे सब नहीं बरती जाती हैं। अतः हम यह मान सकते हैं कि सहकारी समितियां केवल गल्ला बांटती हैं, बीज नहीं, और गल्ले में भी सवाई लेने की भावना से ही किसी उपकार की भावना से नहीं, देश की उन्नति की दृष्टि से नहीं। गल्ले को सवाये पर देती हैं यानी रुपये को बीस आने पर देती हैं और १०० मन गल्ले के बजाय १२५ मन गल्ला प्राप्त करती हैं। यह भी नहीं देखा जाता है कि जो बीज बोने के लिए दिया जाता है वह असल में बोया भी गया है या नहीं और उसको खाने के काम में तो नहीं ले लिया गया है, क्योंकि वह बीज होता ही नहीं है।

मान्यवर, पहले ऐग्रीकल्चर विभाग ऐसा करता था कि जो बीज बोने के लिए देता था तो उन किसानों से बीज वापस भी लेता था। बीज को सुखाना, ठीक करना और उस में से अन्य चीजें निकाल कर बीज को ठीक किया जाता था और बीज को अलग से रखा जाता था। लेकिन आज कल सहकारी समितियां केवल गल्ले का बंटवारा कर रही हैं और बीज का नाम लेकर किसान को भ्रम में रखा जाता है। यह उसके साथ बहुत बड़ा अहित होता है।

मान्यवर, अब दूसरी बात देखें। खाद कई रूपों में और अलग-अलग नाम से दी जाती हैं। लेकिन एक खाद मिक्सचर के नाम से दी जाती है। वह मिक्सचर प्रांविशियल लेविल पर बनाया जाता है और उसका लाभ भी प्रांविशियल लेविल पर मिलता है। क्या कारण है कि इस मिक्सचर को ब्लाक लेबिल पर क्यों नहीं बनाया जाता है जिससे इसका लाभ छोटी-छोटी सोसाइटियों को मिले। इसके सम्बन्ध में मन्त्री जी एक तर्क दे सकते हैं कि वहां पर कोई ऐग्रीकल्चरल एक्सपर्ट नहीं होता है जो मिक्सचर को मिला सकें। यह ठीक हो सकता है। लेकिन वहां पर ए० डी० ओ० ऐग्रीकलचर और ए० डी० ओ० (फर्टिलाइजर) रहते हैं। ये लोग जानते हैं कि कैसे मिक्सचर बनाया जाय और किस रूप में उसको दिया जाय। सरकार की यह नीति है कि इसका कार्य प्रांविशियल स्टेज पर ही हो, सरकार की नीति बड़ों को लाभ देना है। नहीं तो ब्लाक लेविल पर ही मिक्सचर क्यों नहीं बनाया जाय जिससे सोसाइटियों को लाभ हो ?

एक बात और है कि सोसाइटियों में बड़े-बड़े लोग शामिल हो जाते हैं और हो सकते हैं। इसका नियम २२(ख) में प्राविधान किया गया है कि आदमी का पांच हजार तक का शेयर कैपिटल हो सकता है। सोसाइटी के निबन्धक को अधिकार है कि वह सोसाइटी के लाभ में से सदस्यों को ६ प्रतिशत से लेकर साढ़े बारह प्रतिशत दे सकता है। अगर ५ हजार शेयर कैपिटल के २०-२५ आदमी जमा हो गये तो सारा लाभ उनको ही चला जायगा और एक दो शेयर वालों को कुछ नहीं मिल पायेगा। इसलिए इस विधेयक में पूंजीपतियों को ही प्रोत्साहन देने की बात है। जिस भावना से आज यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है वह ठीक है परन्तु आगे चलकर इसका मिसयूज हो सकता है और होगा। आज यह प्राविधान इसमें न होता तो कुछ आशा भी थी, पर विधेयक में किसी भी प्रकार के ऐसे खण्ड नहीं हैं जिससे आगे चलकर सारे गलत रास्ते बन्द हो जायें। क्योंकि नियम और कानून की मंशा यह होती है कि इस तरह के प्रतिबन्ध लगा दिये जायें जिससे कोई भी नाजायज लाभ न उठा सके। यह बात इसमें नहीं है। सरकार की मंशा व्यापारिक दृष्टि से काम करने की ही है। इसमें बड़े लोगों को काफी लाभ हो सकता है। लेकिन सरकार इस को जन आन्दोलन करना चाहती है। जैसा कि माननीय भीखालाल जी ने कहा है कि अगर इसको जन-आन्दोलन करना है तो जन-साधारण की भावना को सामने रखकर आर्थिक दृष्टि से इसमें सुधार कर के सरकार को आगे चलना पड़ेगा।

मान्यवर, दूसरी बात माननीय कल्पनाथसिंह जी ने कही वह भी ठीक कही। आज कांग्रेस के लोग उससे फायदा उठाते हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज में सभी पार्टी के लोग हैं। जिसका बहुमत हो जाता है वह लाभ उठा लेता है। सहकारिता आन्दोलन में कोई पार्टी विशेष इससे लाभ न उठा सके, इसका इसमें प्राविधान होना चाहिये था। आप इतने आतुर हो गये और कहने लगे कि हम लोग भी लाभ उठायेंगे। ईश्वर आपकी वाणी को बल दे। आप कहते हैं कि हम चले जायेंगे तो आप लोग भी लाभ उठायेंगे। हम चाहते हैं कि शासन में आज आप सतर्कता से काम कीजिये, आप बने रहिए, लेकिन अगर जनता की बात नहीं सुनेंगे, तो जरूर चले जायेंगे। सहकारिता में राजनीति का प्रवेश आपके ही दांव-पेंच से हुआ है। आपन जिला परिषद् का संगठन गलत किया। जब जिला परिषद् का चुनाव होता है तो मैनेजिंग डाइरेक्टर का एक वोट होता है। मैनेजिंग डाइरेक्टर किसी पार्टी का हो जाता है तो उसको तोड़ने के लिए सभी लोग दौड़े फिरते

[श्री विजयसिंह]

हैं। मैनेजिंग डाइरेक्टर का वोट पैदा करने से इस सहकारिता आन्दोलन की नस-नस में राजनीति घुस गयी। सहकारिता के नाम से राजनीति को लपेटना इस बिल का उद्देश्य नहीं होना चाहिए था। अभी तक यह नियम है कि एक शेयर होल्डर एक मत प्राप्त करता है। उसका प्रतिनिधित्व इकाई के रूप में होता है। खंड ३४(१)(ग) देखिये—"किसी सहकारी समिति के मूलधन की वापसी तथा ऋण अथवा अग्रिमों पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रत्याभूति दी हो तो राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को उक्त प्रबन्ध कमेटी में दो व्यक्तियों को, उसके सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिनमें से एक सरकारी सेवक होगा, किन्तु सरकारी सेवक समिति के निर्वाचन से सम्बद्ध मामले में मतदान नहीं करेगा।" आप सोसाइटी में चाहे एक हिस्सा खरीदें या पचास या उस को पनपाने के लिए कोई सहायता दे दें, लेकिन केवल एक ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक मत होना चाहिए। इस प्राविधान में एक सरकारी होगा और एक को स्पष्ट नहीं किया कि असरकारी होगा। सरकारी आदमी को वोट करने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन दो आदमी भेजने का आपने अधिकार ले लिया है। प्रबन्ध कमेटी में जब दो आदमी भेजने आपके पहुंच जायेंगे, तो गांव से आने वाले लोग क्या करेंगे? समिति पर अपना स्वामित्व मत थोपिये। आपका नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि और जनता का चुना हुआ जो प्रतिनिधि वहां पहुंचेगा वही प्रबन्ध समिति में कार्य करेगा। इसमें राजनैतिक घुसपैठ कितनी है, यह तो तब स्पष्ट होगा जब यह कानून लागू होगा, किन्तु आज जो प्रत्यक्ष का अनुभव है उसमें यह ठीक नहीं है कि सरकार उसमें २ प्रतिनिधियों का नाम निर्दिष्ट करे जबकि अन्य शेयर होल्डर्स को एक ही इकाई माना जायगा। सिद्धान्ततः कोई चाहे कितनी भी बड़ी धनराशि का अंशदान करे किन्तु सबके अधिकार बराबर ही होने चाहियें।

माननीय भीखालाल ने अपनी विमति टिप्पणी में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि—"सहकारिता आन्दोलन को जनता का आन्दोलन बनाने की मुख्य कसौटी यह है कि सहकारी समितियों के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से जनता के हाथों में सौंपा जाये और उनमें सहकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का कम से कम हस्तक्षेप हो"—यह विधेयक सरकार की तरफ से पेश है। इसका वाह्य रूप तो बड़ा सुन्दर दिखाया गया है किन्तु इसका आन्तरिक रूप उतना ही बुरा है, इससे यह जन-आन्दोलन न बन कर केवल कुछ स्वार्थी लोगों का आन्दोलन ही बन कर रह जायेगा।

यह आन्दोलन जनता की आर्थिक स्थिति को सुलझाने और सुदृढ़ करने के लिए चालू किया गया था और उसी दिशा में और नियमित रूप से प्रगति करने तथा बढ़ने के लिए यह बिल पेश हुआ, जिससे जनसाधारण की आर्थिक स्थिति सुधरे पर आशा अब अपूर्ण रहेगी। मैंने पहले कहा इस प्रदेश में १२ करोड़ रुपये का कर्जा पहले दिया जाता था, और यह ऋण तरक्की करके अब बहुत ऊंचे पहुंच गया है। अब यह ४८ करोड़ हो गया है। इसी कर्जा पर सरकार को गर्व है। जिस देश, प्रदेश में जनता को इतना कर्जा मिल सके उस प्रदेश में बहुत तरक्की हो सकती है, किन्तु यहां उससे कोई प्रगति किसी भी तरफ नहीं हुई है। इस देश में किसान बहुत बड़ा कर्जदार है, पहले यह कर्जा ६८ रुपया प्रति व्यक्ति था और अब वह बढ़कर १०० रुपया प्रति व्यक्ति हो गया है। सरकार ने लोगों में कर्जा लेने की आदत को बढ़ा दिया है जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। उस ने कर्जा लेना सिखला दिया है चाहे उसका सदुपयोग हो या न हो। सन् १९१२ से यह ऐक्ट कार्यान्वित हुआ और आज नया रूपान्तर बिल भी पेश है, किन्तु प्रदेश का कौन-सा भूखंड ऐसा है जहां कि आर्थिक स्थिति सुधरी हो। इससे क्या प्रगति हुई है और आगे क्या प्रगति होगी, इसकी सरकार ने कोई रूप रेखा या कोई नक्शा पेश किया होता तो अच्छा होता और हम कुछ समझ पाते। इसमें कर्ज देने में ब्याज की दर में शहरों और ग्रामों के बीच एक बड़ा अन्तर रखा गया है। हमें ६, सवा ६ और साढ़े नौ प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है, उस कर्जे पर जो वह बीजों की खरीद पर, सिंचाई के साधनों पर, और अधिक अन्नोत्पादन के साधनों

पर व्यय करेगा। दूसरी तरफ शहर का आदमी जो मौज करता है, पंखे की हवा में बैठ कर बौद्धिक विकास का लाभ उठाता है, उसे मकान बनवाने के लिए मिलने वाले कर्ज पर केवल डेढ़ से साढ़े तीन प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। शहरों में उन्हें किसी भी कार्य के लिए मिलने वाले ऋण पर डेढ़ से ३ १/२ प्रतिशत तक ही ब्याज देना पड़ता है। यह है आपकी लोक-तन्त्रात्मक नीतियों का विश्लेषण। मालूम होता है कि किसान की कोई आवाज ही नहीं है। यह कहां तक न्यायसंगत है कि शहर और गांवों के बीच सहकारिता आन्दोलन में यह भिन्नता बरती जाय? मान्यवर, जनता के साथ यह व्यवहार बहुत अच्छी बात नहीं है। यह आर्थिक उन्नति है जो जनसाधारण की आप कर रहे हैं और जो आदर्श आपने रखा है उसको किस तरह से पूरा कर रहे हैं! यह पिछला अनुभव बताता है। यह विधेयक जनसाधारण के लाभ के लिए नहीं बनाया गया है और न उस भावना से लाया ही गया है, केवल कुछ राजनीति में बचे हुये लोग जो लाभ से रह जाते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए यह लाया गया है। कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे भी होते हैं जिनसे वोटर्स कुछ समय के लिए मुंह फेर लेते हैं और वे चुनाव के बाद बचे रह जाते हैं, और वे परदे की ओट में चले जाते हैं। जो राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले नेता होते हैं वह उन परदे में गये राजनीतिज्ञों के लिए कोई न कोई भोजन व जीविका का मार्ग निकालते हैं और शासन में आ जाते हैं। यह सहकारिता ऐसा सुरक्षित क्षेत्र है कि जहां वे मौज से अपना शेष जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारे यहां हिन्दू समाज में वानप्रस्थ आश्रम होता था, जहां चतुर्थ आश्रम में जाने से पहले लोग अपना आध्यात्मिक विकास किया करते थे लेकिन अब इस राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे वानप्रस्थ लेने वाले लोग सहकारिता के अन्दर अपना जीवन आनन्द, ऐश्वर्य और ऐशो-आराम के साथ व्यतीत कर सकेंगे। यह होना भी चाहिये और सबका कर्त्तव्य है कि अपने वयोवृद्ध नेताओं को कुछ आश्रम दें जिससे उनका मस्तिष्क जो विकृत कार्यों की ओर लगा हुआ होता है उससे हट जाय और आनन्द से समय काटें और अगर नहीं हटता है तो वे सक्रिय राजनीति में अपने साथियों में दखल दे सकते हैं और इसी भय से उन्हें कहीं और लगा दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है और इसीलिए मैं इस विभाग को रिजेक्टेड पालिटीशियन्स के लिए पास्चरलैण्ड कहा करता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह आपके भी काम आयेगा।

श्री विजयसिंह—

माननीय कृष्णानन्द जी भी ठीक कह रहे हैं, अभी तो आपके ही काम वह आ रहा है, लेकिन जो लोग इसमें जाते हैं उनको इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिये कि हमको जो सुविधायें प्राप्त हुई हैं उनका अपने हित में उपयोग तो करें ही, परन्तु साथ-साथ वे जनता को भी कभी-कभी लाभान्वित करने का विचार करें, उसके लिए भी वही उपाय करा दें जिसने यह सारी सुविधायें दी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कल को कोई दूसरी पार्टी के लोग भी आ सकेंगे, और वे उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने कहा कि बहुत थोड़े लोग ऐसे हो सकते हैं परन्तु जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं उसमें वे इसको अपने हित का केवल साधन बना लेते हैं। वे सभी लोग उससे लाभ उठाते हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए।

मान्यवर, सहकारिता का दूसरा सिद्धान्त स्वेच्छा का है। इसमें है कि कोई सदस्य अपनी स्वेच्छा से सम्मिलित होना चाहे तो वह समिति को प्रार्थना-पत्र देकर उसमें सम्मिलित हो सकता है। लेकिन आज विधेयक में जैसा प्राविधान है उचित नहीं है। उसमें यह है कि अगर समिति किसी व्यक्ति की सदस्यता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो वह सदस्य नहीं बन सकता। इसमें स्वेच्छा का अधिकार समिति को है व्यक्ति को नहीं है और अगर वही स्वेच्छा से बाहर भी जाना चाहे तो वह सदस्य अपनी इच्छा से तुरन्त जा नहीं सकता उस पर बहुत प्रतिबन्ध है। आजकल तो ऐसा है कि अगर कोई सदस्य बाहर जाना चाहे

[श्री विजयसिंह]

प्रार्थना-पत्र देने के २ साल बाद अपना हिस्सा, अमानत और जो कुछ भी उसे देना या मिलना चाहिए उसे दे, लेकर अलग हो सकता है इसमें स्वेच्छा से सदस्य नहीं बनाया जा सकता है और अगर कोई सदस्य अपनी इच्छा से बाहर आना भी चाहे तो वह निकल भी नहीं सकता। मान्यवर, यह अच्छा है कि सहकारिता का सिद्धान्त स्वेच्छा पर प्रतिपादित किया गया है, परन्तु कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना लाभ समझते हुये उसमें सम्मिलित हो, जो सुविधायें उसे प्राप्त हो सके, उसका उपभोग कर सके, लेकिन यदि प्रबन्धक अन्य कोई है, उपभोक्ता कोई, सदस्य कोई और है तो कैसे इसमें सामंजस्य आयेगा और कैसे वह स्वेच्छा चलेगी ? जो त्याग की भावना की बात कही जाती है, वह इस विधेयक से स्पष्ट नहीं है। मैं आपका ध्यान विधेयक के खंड ४४(३) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं—

"४४—(३) राज्य सरकार, किसी ऐसी सहकारी समिति में अपने अंशों पर लाभांश उसी दर से पाने की हकदार होगी जो समिति के अन्य अंशधारियों को देय हो।"

जहां नाम निर्देशन का प्रश्न था वहां प्रबन्धक समिति में तो वह २ प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहती है लेकिन लाभ उसी दर से प्राप्त करना चाहती है जिससे साधारण सदस्य को प्राप्त होगा। सरकार की भावना इसी से स्पष्ट हो जाती है। यदि इस खंड के उपखंड में यह व्यवस्था होती कि सरकार अन्य सदस्यों की अपेक्षा आधे दर पर लाभांश लेने की इच्छुक है तब तो बात समझ में आती कि यह समाजवादी दृष्टिकोण से विधेयक लाया गया है; किन्तु विधेयक की भाषा ने स्थिति को बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस कार्य को लाभ की भावना से ही चलाना चाहती है। सरकार को इस बात को साफ करना चाहिए था कि हम जो भी धन देते हैं केवल सहकारिता के पोषण के हेतु, उन समितियों के संरक्षण और सुरक्षण के हेतु देते हैं। खंड ४४ के शब्दों से साफ नहीं होता है कि सरकार की मंशा समितियों के वित्तपोषण हेतु और समितियों की सुरक्षा हेतु इस प्रकार के लाभांश की मांग करना है। यह अच्छा नहीं मालूम होता है।

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में खंड ४५ का (क) उपखंड इसके आगे देखिये। इस में "प्रमुख राज्य भागिता निधि" के बारे में कहा गया है। जब आप इस फंड में उस धन को जमा करेंगे और वह शेयर कैपिटल में नहीं जायगा, तो फिर आप लाभांश को कौन से आधार पर मांगते हैं ? जो भी रुपया सरकार देगी वह राज्य भागिता निधि में जमा होगा और वह रुपया बैंक के फन्ड खाते में जमा होगा और इस फन्ड की गलत हेन्डिंग होगी। फन्ड अलग जमा करना पड़ेगा और इसके खर्चे के लिए स्वीकृति लेना पड़ेगी। जितना लाभांश मांगते हैं वह भी असंगत तो इस तरह से मांगने के बाद कोई लाभ की भावना दृष्टि में नहीं है यह कैसे समझा जाय। आप देखें कि सरकार अपने पैसे को सुरक्षित कर रही है कि इस फंड में रुपया जो जमा होगा।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

आपका क्या सुझाव है ?

श्री विजयसिंह—

उसे आप फंड में ले रहे हैं। आप शेयर कैपिटल में ही इसको रखें। जब आप इसके खर्चे को कंटोल कर लेते हैं और फिर यह रुपया अलग फंड में चला जायगा जिसको बैलेंस शीट में अदर फंड्स में दिखाना पड़ेगा, इस पर समिति का कोई अधिकार नहीं रह जायगा। इस तरह से इस ४५ खंड में दिया हुआ है। मान्यवर, आप देख लें।

इस विधेयक के अन्दर समिति का लोकतंत्रीय संगठन हो यह स्वरूप इसमें दिया गया है। मंत्री जी की भावना ठीक है। हम इसको मानते हैं। मंत्री जी बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने इसके सब खंडों को भी देखा होगा। इस विधेयक के खंड २४ में यह दिया है

कि "प्रतिबंध यह है कि यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति मृत सदस्य का दायाद या विधिक प्रतिनिधि है अथवा नहीं तो वह निबन्धक को अभिदिष्ट किया जायगा जो तदुपरान्त उसे धारा ७१ के अधीन मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजेगा और सहकारी समिति इस धारा के प्रयोजनों के लिये मध्यस्थ निर्णय की कार्यवाहियों में इस प्रकार अवधारित व्यक्ति को मृत सदस्य का दायाद या विधिक प्रतिनिधि मानेगी।" यह फैसला मध्यस्थ के हाथ में आया जिसमें न्याय न हो सकेगा और विवाद बढ़ेंगे। मगर कोर्ट में फैसला नियमित और सही होता है। मैं एक मिसाल देता हूं कि मान लीजिये किसी के दो लड़की हैं और उसने अपनी सबसे बड़ी लड़की को वारिस लिख दिया और जब उस सदस्य की मृत्यु हो गई और प्रतिनिधि बनाये जाने का समय आया उस समय बड़ी लड़की मर गई। अब उसके स्थान पर छोटी लड़की के नाम पर वह मृतक सदस्य की सम्पत्ति और धन आयेगा। न्यायालय छोटी लड़की को अधिकार देता है और समिति का यह विवाद मध्यस्थ के पास आया तो वह किस प्रकार से छोटी लड़की से पैसा वसूल करायेगा क्योंकि मध्यस्थ बड़ी लड़की के लड़कों को ही प्रतिनिधि बनायेगा और सम्पत्ति पूरी छोटी लड़की के पास होगी? जालौन जिले में एक केस ऐसा हुआ है जिसमें सरकार से राय मांगी गयी है आज तक सरकार ने अपनी कोई राय नहीं दी है। इस अधिनियम के अन्दर कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जिससे उचित न्याय मिले। आज अगर मंत्री की यह समझ में आ जाय तो वे अपने अधिकारियों से राय कर लें कि किस प्रकार यह दायाद या विधिक प्रतिनिधि का निर्णय कोर्ट के बाहर हो सकता है, जो वास्तव में उसका कोर्ट द्वारा निर्णीत प्रतिनिधि होगा। जो मृत सदस्य के पैसे और सम्पत्ति का हकदार होगा उसी को वहां समिति में भी प्रतिनिधि होना चाहिये। मुझको जो मालूम है वह मैंने आपके सामने पेश किया। मध्यस्थ का निर्णय गलत भी हो सकता है और समिति के धन की समाप्ति भी हो सकती है। वहां पर अगर मध्यस्थ किसी के दबाव में आ गया तो कोई भी निर्णय ले सकता है। परन्तु कोर्ट में जिस प्रकार से भी निर्णय हो जाय, वह जिस किसी को भी सदस्य के बाद प्रतिनिधि मान लें, वह प्रतिनिधि यहां पर भी मान लिया जाना चाहिये।

मान्यवर, इस विधेयक में प्रजातांत्रिक संगठन को सहकारिता का सिद्धान्त माना है और इसी संदर्भ में आपके प्रजातांत्रिक प्रणाली की रूपरेखा की एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा वह ठीक है, उनका विचार भी ठीक है लेकिन अभी भी जितनी डिस्ट्रिक्ट लेविल की सोसाइटीज के चेयरमैन होते हैं जैसे जिला सहकारी बैंक व डी० सी०डी० एफ० के चेयरमैन होते हैं वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं और प्राविंशियल कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन रजिस्ट्रार होते हैं और पी० सी० एफ० के भी चेयरमैन रजिस्ट्रार होते हैं। मैं समझता हूं कि यह कोई प्रजातांत्रिक पद्धति नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोआपरेटिव की बात को क्या समझता है? आपने तो सब मर्ज की दवा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को समझ लिया है.....

श्री बनारसीदास--

यह तो बहुत पुरानी बात आप कह रहे हैं।

श्री विजयसिंह--

आज जो स्थिति है उसकी मैंने एक रूपरेखा आपको बतलायी।

श्री अधिष्ठाता--

अब परिवर्तित व्यवस्था के ऊपर आप अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री विजयसिंह--

आपका जो प्रजातांत्रिक स्वरूप है, उस संदर्भ में मैंने यह बात कही। इस विधेयक में जो अब संशोधन की बात आयी है उसको बहुत पहले नियमों द्वारा भी बढाया जा सकता था और पुराना स्वरूप मिटा दिया जा सकता था।

श्री अधिष्ठाता--

वह विषय परिवर्तित हो चुका है ।

श्री विजयसिंह--

मान्यवर, अब मैं उस तर्क को पुनः प्रस्तुत करता हूं । जो स्वेच्छिक सदस्य होते हैं, उनकी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । जैसा कि मैंने पहले कहा था, खंड २६ (२) में स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी सहकारी समिति का सदस्य बनाना इन्कार कर दिया जाता है तो वह सदस्य नहीं रहेगा । मैं आपसे पूछता हूं कि अगर सदस्य होने की सम्पूर्ण विशेषता व अर्हता किसी सदस्य में है तो उसे सदस्य होने का अधिकार क्यों न हो । इन धाराओं को आप देखें, २६-२७ । धारा २७(५) में है कि उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन निकाला गया सहकारी समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से, जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो, दो वर्ष की अवधि तक उस समिति का फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचन के लिये खड़े होने का भी पात्र नहीं होगा । मान्यवर, जब आपने उसको सदस्य बनने का अधिकार दे दिया है तो फिर उसको तीन वर्ष तक किसी पद पर न रखना, यह आज की प्रजातांत्रिक और समाजवादी प्रणाली में उचित नहीं प्रतीत होता । एक ओर व्यवस्था की गयी है सदस्यता के लिये कि अगर कोई तीन वर्ष से सदस्य हो और आगे किसी वजह से चुनाव न हो तो निबन्धक महोदय उसे अपनी ओर से नियुक्त तथा नाम निर्दिष्ट कर सकेंगे, उसे नामिनेट कर सकेंगे । इस तरह से जो प्रभावी व्यक्ति होंगे, जैसा कि माननीय भीखालाल जी ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट लिखा है, तरह से ९ वर्ष तक प्रबन्ध समिति में बने रहेंगे, जब कि होना यह चाहिये था कि तीन वर्ष के बाद दूसरे लोगों को स्थान दिया जाय । ९-१० वर्ष तक के लिये नाम निर्देश कर दें, ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं । बड़े-बड़े चुनाव रोक दिये जाते हैं । तो इस तरह का निबन्धक को अधिकार रहे, यह सहकारिता आन्दोलन के विपरीत चीज हो जाती है ।

मान्यवर, धारा २९ में दिया हुआ है कि उनको अधिकार होगा कि जब तक निर्वाचन न हो जाय तब तक निबन्धक द्वारा नाम-निर्देशन कर लिया जाय । तो इस तरह से बराबर ९ वर्ष तक सदस्य चल सकता है । पुरानी प्रथा के अनुसार तो लोग १९४८ से चले आ रहे हैं ।

खाद की समस्या को जैसा कि पूर्व में मैंने जिक्र किया, उसको एग्रीकल्चर विभाग खरीदता है । इसमें भी उसी लाभ की भावना की याद आ गयी। पहले जब सेन्टर से खाद आती थी तो डेढ़ परसेन्ट पर आती थी, अब साढ़े १२ परसेंट पर सेन्टर से ली जाती है । ३२००० कोआपरेटिव समितियों के द्वारा वह बंटती है । १९६२-६३ की रिपोर्ट में मैंने यह तथ्य प्रस्तुत किया था कि सरकार के पास ७,८२ लाख रुपये की खाद का कोई हिसाब नहीं है । इसके लिये सरकार की ओर से नये आडिटर्स रखे गये थे कि अनएकाउन्टेड मनी को देखा जाय कि कहां पर गड़बड़ी है ।

मान्यवर, अब सदस्यों के कर्जे के सम्बन्ध में कहना है । जो आज तक व्यवस्था है उसमें एक क्षेत्रीय स्तर पर ब्योरा तैयार होता है, खरीफ और रबी का । रबी के लिये पैसा नवम्बर में दिया जाता है और खरीफ के लिये मई जून में । बुन्देलखंड की परिस्थिति में स्पष्ट कर दूं कि सारी तैयारी, हल-बैल खरीदना किसान संपूर्ण वर्ष के लिये मई-जून में करता है । अगर उस समय उसे कर्जा नहीं मिलता है तो उसे परेशानी होती है । आपके यहां जो नियम है कर्जा दो हिस्सों में दिये जाने का ताकि रुपये का दुरुपयोग न हो सके । वह अपनी जगह सही हो सकता है । लेकिन जिस समय आवश्यकता हो उस समय रुपया न मिले तो क्या फायदा है ? मैं

भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं करूंगा । इसका नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि सहकारी समितियों के कर्मचारी अर्ध-राजकीय कर्मचारी हैं और पूरे-पूरे किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लीन हो गये हैं, वह हर माननीय सदस्य को विदित है, दोहराना उचित नहीं है । इसलिये वह तो चलता ही है । मेरा कहना यह है कि समय पर जिस आदमी को जरूरत हो उसे कर्जा मिल जाना चाहिये, तभी उसकी उपयोगिता है ।

यह बात कल भी कही गयी थी कि ट्रांस्फर एंट्री होती हैं । जिनकी नहीं होती वही शिकायत करते हैं । हो सकता है कि उनसे ज्यादा पैसा मांग लिया जाता है, लेकिन जिनका पैसा वसूल नहीं होता है और बकाया में पड़ा रहता है उसमें ऐसा होता है । वह मुझे अनुभव है क्योंकि मैं सोसाइटी का प्रेसीडेंट होने के नाते जानता हूं । चूंकि सोसाइटी की ओर से हो सकता है कि मजबूर किया जाता हो कि ट्रांसफर ऐन्ट्री करा लो ताकि वसूली पूरी दिखाई जाये तो इसमें पैसा ज्यादा खर्चा नहीं होगा । पर अगर किसान अपनी ओर से ट्रान्सफर एन्ट्री कराना चाहता है तो उसको १०–२० रुपये देने पड़ते हैं । जिस तरह से पी० डब्ल्यू० डी० में ओवरसियर का ५ परसेंट कमीशन नियत रहता है, उसी तरह से इन लोगों का भी बंधा हुआ रहता है ।

मान्यवर, आपको मालूम है कि हर रोज माननीय सदन में प्रश्न आता है कि समितियों में गबन हुआ, फलां जगह इतने का गबन हुआ । उसके लिये यह बात सही है कि इस विधेयक में माननीय मंत्री जी ने लेखा-परीक्षा की व्यवस्था की है, आडिट की व्यवस्था की है । आडिट बहुत आवश्यक है । परन्तु जो आधार किया गया है, तथा इस विधेयक में जिस तरह की व्यवस्था की गयी है उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है । हमारी सोसाइटियों का २–३ साल में आडिट होता है । ग्राम सभाओं में तो ४–५ साल में नम्बर आता है । इससे बड़ा नुकसान होता है । २–३ साल बाद जब आडिट होता है तो यदि कहीं गबन भी होता है तो उसका पता २–३ साल बाद होता है । इससे बड़ी गड़बड़ी होती है और कुछ पता नहीं चल पाता । इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इन्टरनल रनिंग आडिट की व्यवस्था करें । इससे आपको यह पता चलता रहेगा कि कहां आपकी सम्पत्ति का दुरुपयोग हुआ है । इन्टरनल रनिंग आडिट की व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है ।

मैंने जहां तक, श्रीमन्, सुना है वह यह कि कोआपरेटिव विभाग के खर्चे का हिसाब किताब कहीं पेश नहीं किया जाता है । जनतंत्र में यह आवश्यक है कि उसके आडिट की रिपोर्ट माननीय सदस्यों के सामने सदन में आया करे और हम उस पर विचार किया करें । ऐसा होगा तो हम अपने सुझाव माननीय मंत्री जी को दे सकेंगे और माननीय मंत्री जी को उस पर गौर करने का अवसर मिलेगा । इसलिये इन्टरनल रनिंग आडिट की व्यवथा करें और उसका हिसाब किताब हम लोगों के सामने भी रखा जाया करे ।

बहुत सी बातें, मान्यवर, जब खंडवार विवाद होगा तब मैं कहूंगा । लेखा परीक्षा का जो प्राविधान किया गया है उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है । इसलिये माननीय कमलासिंह जी ने जो इसको पुनः प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

एक बात और, मान्यवर, कहना चाहूंगा । क्रेडिट सोसाइटियों द्वारा कर्जा देने की जो पद्धति है वह बड़ी खराब है और इससे किसानों को बड़ी असुविधा होती है । मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार होना जरूरी है और जिस तरह की पद्धति पोस्ट आफिस में है वही पद्धति यहां भी अपनायी जानी चाहिये । किसानों को ४–४ मील जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये । इससे किसान को बड़ी परेशानी होती है । पोस्ट आफिस की तरह उनके पास पास-बुक होना चाहिये, उसमें उनका फोटो होना चाहिये, उसी के द्वारा वहीं तस्दीक होकर उनको रुपया मिलना चाहिये । आज उनको रुपया मिलने में जो किसान को परेशानी होती है उसको आपके विभाग के लोग नहीं समझते हैं; वही सभी प्रकार के भ्रष्टाचार का कारण है ।

[श्री विजयसिंह]

मान्यवर, इस विधेयक की न्याय व्यवस्था को देखो जो प्राविधान है वह भी अर्थहीन है न्यायाधिकरण वाली बात तो समझ में आई। ठीक है। निबन्धक का निर्णय होगा, उसकी अपील के लिये न्यायाधिकरण होगा। परन्तु सरकार के जो निबन्धक रहते हैं उनकी कुछ योग्यतायें होनी चाहिये थीं। वे पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से होने चाहिये थे। उनको भी अलग-अलग खन्डों में योग्यतायें तथा पब्लिक सरवेन्ट निर्धारित कर दिया जाय नहीं तो श्रीमन् बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जायेगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं थोड़ा ही समय लूंगा, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। इस न्यायाधिकरण का रूप और स्वरूप स्पष्ट होना चाहिये। हमें आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और उसमें संशोधन भी कर लेंगे। मेरा तो सुझाव ही देने का अधिकार है। मैं अपनी बात पेश करता हूं कि निबन्धक की अपील के ऊपर भी स्वतंत्र ही न्यायाधिकरण होना चाहिये। मान्यवर, धारा ७० के अन्दर अगर किसी आदमी को नुकसान होता है तो उसे कोर्ट का रास्ता खुला रहना चाहिये। इस धारा में कोर्ट में भी जाना बन्द कर दिया गया है। एक और बात कहूंगा कि अध्याय ११ में जो बातें आई हैं वह क्या तमाशा किया गया है। अभी स्पष्ट करूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

खंडों पर विवाद होने हैं। जरा जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री विजयसिंह—

मैं कहने यह जा रहा था कि किसी भी कृषि सहकारी समिति में कहीं लाभ हुआ है? गवर्नमेन्ट के बड़े-बड़े फार्म सभी मौजूद हैं, वह घाटे में चलते हैं। फिर भी कृषि सहकारी समिति तो केवल हजारों के घाटे में चलती है। मेरे पास एक कृषि समिति की बैलेन्स शीट है। अगर, अधिष्ठाता महोदय, आप चाहेंगे तो मैं उन सहकारी समितियों के नाम, जिन पर हजारों से ऊपर रुपए सरकार ने इन्वेस्ट किये हैं, यद्यपि न किसी से लेना है और न किसी को कुछ देना है, तो भी जो बैलेन्स शीट है जो रुपया बचता है उसमें १५ रुपये ही इस १९६४ की साल में बचता है। श्रीमन्, आगे खण्डवार कहने के समय में सोसाइटी का भी हवाला आपको दे दूंगा। इसके अलावा और कृषि समितियां भी बड़े घाटे में चल रही हैं। अधिष्ठाता महोदय, अब मैं आर्बिट्रेशन की बात कहता हूं, चाहे मेम्बर मेम्बर का झगड़ा हो, सोसायटी का झगड़ा हो, या मेम्बर सोसाइटी में झगड़ा हो। इसमें अभी तक यह था कि इसकी अपील असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार तक होती थी और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के बाद रजिस्ट्रार को होती थी। इस संबंध में मैं यह बता रहा हूं कि इसमें न्यायाधिकरण को जो अपील सुपुर्द किया गया है, उस न्यायाधिकरण को बिलकुल स्वच्छन्द और एक तरह से स्वतन्त्र होना चाहिये। पर ऐसा नहीं है। यह भ्रमात्मक है। इसके बाद अधिकारियों की नियुक्ति आदि की बात बताई गई है। वह खंड १२२ में आप देखेंगे इसमें लिखा है—"सहकारी समितियों के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिये प्राधिकारी सरकार इस पर अपना अधिकार रक्खेगी, सरकार अपने नियमों के अनुसार और अपनी प्रणाली से इसमें भर्ती करेगी और शिक्षण करेगी और उनका संगठन करेगी।" पर कर्मचारी रहेंगे अर्द्धशासकीय। सारा काम करेंगे राजकीय अधिकार से और पद्धति से, तो सरकारी क्यों नहीं हो सकते। तमाम कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स की ओर से यह मांग की गई है कि उनको राजकीय कर्मचारी माना जाय। आपने भी बहुत अच्छा सक्रिय कदम उठाया है और इसके लिये हम माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन आपने जब सब कुछ अपने हाथ में रख लिया, उनकी भर्ती उनका ट्रांसफर वगैरह सब आपके हाथ में है तो फिर उनको अर्ध राजकीय कर्मचारी क्यों मानते हैं? उनको आप राजकीय कर्मचारी क्यों नहीं मानते? राजकीय कर्मचारी न मानने का मतलब यह है कि अब वह जगह-जगह एलेक्शन में घूमेंगे। दूसरी बात, नियम यह है कि जिस आदमी को जहां से पे मिले उसका वहीं से

नियंत्रण भी होना चाहिये लेकिन वह पे तो लेते हैं समितियों से और ट्रांसफर करेंगे रजिस्ट्रार साहब। अब यह होगा कि अगर सुपरवाइजर किसी को नमस्कार करना भूल गया तो वह मारा गया। आज एक दल का संगठन है, कल को दूसरा दल संगठित हो गया तो वह कहेगा कि अच्छा, इसने हमारी बात नहीं मानी थी, तो उसको दूसरी तरह लुढ़का दिया। वह राजनैतिक अखाड़े की गेंद हो जायगा। वह एक जगह से दूसरी जगह इस तरह लुढ़काये जायेंगे। तो, मान्यवर, १२२ में जो आपने प्राविधान किया है उसमें उनको राजकीय कर्मचारी माना जाना चाहिये। यह भी होना चाहिये कि जिस सोसाइटी से पे मिले उस सोसाइटी के सभापति की या जो कोई भी नान-आफिशियल आदमी हो, उसकी स्वीकृति से ही उसका ट्रांसफर हो। यह कोआपरेटिव सेक्शन अभी तक बिलकुल राजनीति से दूर था लेकिन अब राजनीति इसमें भी घुस आयी जब से मैनेजिंग डाइरेक्टर जिला परिषदों में भाग लेने लगे हैं।

अब एक बात और मैं माननीय मंत्री जी के सामने स्पष्ट कर दूं। और भी बहुत से माननीय सदस्यों ने उसे कहा है। ए० आई० सी० यू०, आल इंडिया कोआपरेटिव यूनियन, जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर कुछ अधिकारी भेजे जाते हैं और वह होते हैं कोआपरेटिव एजूकेशन इंस्ट्रक्टर। ये इंस्ट्रक्टर्स सुपरवाइजर्स में से प्रमोट होते हैं और इनके लिये सेन्ट्रल की ओर से जो बजट मिलता है उसमें से १५० से ४५० वाला ग्रेड मिलता है। लेकिन अपनी सरकार जिसको कि प्रजातांत्रिक सरकार कहते हैं वह उनको १२० से २५० वाला ग्रेड देती है। यानी सरकार वहां से रुपया लेती कुछ है और देती कुछ और है। एक जवाब इसका दिया जा सकता है अधिकारियों की तरफ से और माननीय मंत्री जी के सामने भी वह आ सकता है, वह कहेंगे कि चूंकि कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स में से हम इनको प्रोमोट करते हैं, इसलिये सभी इसमें भागना चाहेंगे, तो यह हम क्यों दें? लेकिन यह तो कोई बात नहीं हुई। यह तो ऐसे ही है कि किसी नौकर को एक रुपये की सब्जी लेने भेजें और वह उसमें से चार आने की सब्जी लाये और बाकी १२ आने अपने पास रख ले। आप उनको योग्यता के आधार पर लीजिए, उनकी परीक्षा लीजिए, जो पास हों उनको लीजिए या अगर इसके अलावा कोई और जवाब इसका आता है तो मैं उसको सुनने के लिये तैयार हूं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कमलासिंह जी और माननीय भीखालाल जी के प्रस्ताव का, यद्यपि दोनों प्रस्ताव अलग-अलग हैं, लेकिन उनका समर्थन करने के लिये ही मैं खड़ा हुआ था और इस समय भी उनका समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके पूर्व कि मैं माननीय सहकारिता मंत्री को बधाई दूं इस विधेयक को लाने के लिये, मैं विरोधी दल के उन चार, पांच माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जो कि इस गम्भीर विषय पर चर्चा के समय भी अपना समय निकाल कर यहां पर रह गए हैं। श्रीमन्, इस सदन में विरोधी दल के सदस्यों का यह रवैया सा हो गया है कि १२ से १ के बीच में जो घंटा, श्रीमन्, समाचारपत्रों में हेडलाइन क्रियेट करने वाला होता है और जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा होती है जिनका कि इस प्रदेश की जनता से कोई भी संबंध नहीं है और जिनका कि महत्व केवल विधान सभा में और उत्तर प्रदेश के समाचार-पत्रों में है, इसी १ घंटे में विरोधी दल की सीटें भरी रहती हैं। अतः जो भी ४—५ सदस्य हमारे सम्मुख उधर बैठे हैं वे बधाई के पात्र हैं कि वह एक ऐसे विधेयक पर जिसका जनता की आर्थिक व्यवस्था से गहरा संबंध है इस पर विचार करने के लिये यहां उपस्थित हैं।

(इस समय ३ बजे अधिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव, पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

अपनी तरफ के वाक-आउट करने वालों को भी आप बधाई दे दें।

श्री कृष्णा नन्द राय--

उनको आप ही बधाई दे दें। मैं अपने सहकारिता मंत्री जी को इस बात के लिये हार्दिक बधाई दूंगा कि जो विधेयक सरकारी फाइलों में ४ साल से सड़ रहा था और जिसकी प्रदेश के लिये बहुत भारी आवश्यकता थी उसको बड़ी गंभीरता से वह इस विधान सभा में विचार करने के लिये प्रस्तुत किये हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस विषय में गंभीर हैं और वह इस विधेयक को पारित कराना चाहते हैं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आज सहकारिता आन्दोलन का जो रूप है और गांवों में जिस तरह से साधन सहकारी समितियां बनाई गई हैं और प्रदेश में जो लाखों समितियों का संगठन हुआ है उनकी सही व्यवस्था ५० साल पहले के सन् १२ के अंग्रेजों के जमाने के बने हुए ऐक्ट से नहीं हो सकती थीं और उसके द्वारा आज के युग में सहकारिता आन्दोलन की व्यवस्था करना हास्यास्पद था। अतः यह बहुत आवश्यक विधेयक है जिसको मंत्री जी लाये हैं। अगर माननीय भीखा लाल जी का बहस की ओर ध्यान गया होगा तो उनको स्वयं अपनी बात याद होगी और उसमें जो प्रमुख विरोध है जिसकी वजह से वह बार-बार चाहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में या जनमत के लिये इसको पुनः भेजा जाय तो उनका विरोध यह है कि जिस प्रकार सन् १२ के ऐक्ट में सरकारी हस्तक्षेप अधिक था इस बिल में भी उसी तरह से सरकारी हस्तक्षेप की गुंजायश अधिक है और वह समझते हैं कि इस बिल के द्वारा सहकारी आन्दोलन एक जन-आन्दोलन न बन सकेगा और प्रगति में बाधक होगा।

इस विधेयक में रजिस्ट्रार को अधिकार अवश्य दिया गया है कि वह समितियों का रजिस्ट्रेशन करे या न करे, उसे अधिकार है कि वह किसी समिति को सस्पेन्ड कर दे या भंग कर दे। वह किसी भी समिति के कागज-पत्रों को अपने अधिकार में लेकर उनका निरीक्षण कर सके, इस तरह से आदि से अन्त तक इन सोसाइटीज के संबंध में रजिस्ट्रार को किसी न किसी बहाने अधिकार दिये गये हैं। अतः उनके इस आरोप को कि इस विधेयक में सरकारी हस्तक्षेप की काफी गुंजायश है, अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको स्वीकार करते हुए भी ईमानदारी से विरोधी दल के लोग यह स्वीकार करें और समझें कि आर्थिक व्यवस्था के लिये एक पृष्ठभूमि होती है जिसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक जो आन्दोलन जनता का आन्दोलन बनना चाहिये था वह सरकार का आन्दोलन ही बना, जनता का नहीं। विदेशों में सहकारी आन्दोलन का कैसे विकास हुआ, उसका इतिहास आप देखें तो वहां पूंजीवाद के समर्थन में और उसके विरोध में ही उसका विकास हुआ। हालैंड, बेलजियम, जर्मनी और इंगलैण्ड में जहां पूंजीवादी व्यवस्था थी और उस सुदृढ़ पूंजीवादी व्यवस्था को ही वहां की सरकार परिश्रय देती थीं। अतः वहां की जनता ने जिसके पास पूंजी नहीं थी उस सत्ता के मुकाबले में सहकारी व्यवस्था को अपनाया और सहकारी समितियों का निर्माण करके वहां की सरकार को और पूंजीवाद को चुनौती दी।

श्रीमन्, ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर सहकारिता आन्दोलन बहुत विकसित है लेकिन कोई सहकारी विभाग नहीं है। जैसे पोस्ट आफिस में एक पोस्ट मास्टर रखा जाता है, उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन के लिये एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिया जाता है और सारे सहकारी आन्दोलन में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं होती है न कोई उनकी व्यवस्था ही होती है। हालैण्ड में, बेल्जियम में, और देशों में दूध, अण्डे और बीज आदि का वितरण डायरेक्टली करते हैं। इन देशों में इस प्रकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रारम्भ हुआ। हमारे देश में पूंजीवाद भी था लेकिन अंग्रेजों ने हमारे देश में बहुत सी डेमोक्रेटिक संस्थाओं को जन्म दिया। जिस प्रकार १९१४

के ऐक्ट में कौन्सिल बनायी और १९३३ के ऐक्ट में पार्लियामेंट आदि की स्थापना की और उनका बाद में संशोधन किया, उसी प्रकार से अंग्रेजों ने १९१२ में एक ऐक्ट की स्थापना की जिसमें पहले पहल यहां की जनता को अधिकार दिया कि वह यहां की संस्थाओं में भाग ले सकते हैं और एक कारपोरेट बाडी के रूप में फंक्शन कर सकते हैं और अपने सुपरवाइजर्स और कोआपरेटिव के अधिकारियों के माध्यम से जगह-जगह पर सहकारी संस्थाओं का काम आरम्भ किया और यही कारण है कि १९१२ के ऐक्ट में देखने से मालूम होगा कि वह आफिशियलडम से भरा पड़ा था । जिला सहकारी संघ का अध्यक्ष जिलाधीश होता था और जो जिला सहकारी संघ की छोटी छोटी यूनियन्स हुआ करती थीं उनमें पी० सी० एफ० या रजिस्ट्रार द्वारा सुपरवाइजर एप्वायन्ट हुआ करते थे । अर्थात् गांवों में भी जो सोसाइटियां हुआ करती थीं उनमें जो कर्मचारी रखे जाते थे उनके वेतन सरकार ही दिया करती थी । इस प्रकार से जो जिला सहकारी संघ होता था उन पर कलेक्टर या तो अध्यक्ष होता था या और प्रकार की सोसाइटीज में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी सेक्रेट्री होता था । पर यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें एक बहुत ही विशाल परिवर्तन हुआ है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । जो परिवर्तन इसमें किया गया है वह यह है कि अब सहकारी समिति स्वयं अपने अध्यक्ष को चुनेगी और मंत्री भी सहकारी समिति ही चुनेगी, तो इस प्रकार से अब जिला सहकारी संघ और साधन सहकारी संघ के अध्यक्ष और मंत्री, इस विधेयक के पास हो जाने के बाद, कलक्टर या रजिस्ट्रार द्वारा एप्वाइन्ट सैक्रेटरीज न होकर, नान-औफिशियल्स ही होंगे । तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और माननीय भीखालाल जी और वे लोग जो सिद्धान्त रूप से इस विधेयक का इसलिये विरोध कर रहे हैं कि इसमें आफिशियल्स हस्तक्षेप होने की गुंजायश है । इस विधेयक का जो रूप है उसमें सभी आफिशियल्स हटा दिये गये हैं और उनकी जगह पर सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और सेक्रेटरीज को काम करने की गुंजायश दी गयी है तो यह बहुत बड़ा कदम है । यह एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक कदम है । जब विचार विमर्ष होता है, जब कोई ऐसी बात होती है जो लोकतांत्रिक न हो तो उसमें आक्षेप किया जाता है लेकिन जब कोई अच्छा कदम उठाया जाता है तो विरोधी दल उसकी प्रशंसा करते हैं । इस विधेयक में भी ऐसे प्रोविजन्स हैं रजिस्ट्रार के अधिकार के सम्बन्ध में, उसमें सरकारी हस्तक्षेप की गुंजायश है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब जिस प्रकार का सहकारी आन्दोलन पिछले ५०, ६० साल से प्रदेश में चल रहा है उसकी पृष्ठभूमि में हालांकि सिद्धान्ततः वह चीज गलत होते हुये भी, जो नई चीज दी गयी है कि अध्यक्ष और मंत्री अब आफिशियल्स न होकर सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे, यह सहकारी आन्दोलन में बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कदम है आफिशियलडम को चेक करने के लिये, जिसकी मैं प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकता ।

एक चीज आप और देखेंगे । जैसा आरम्भ में निवेदन किया, सहकारी आन्दोलन बिलकुल जनता की चीज होनी चाहिये । रजिस्ट्रार का होना, सहकारी मंत्री या सहकारी विभाग की मौजूदगी कोई बहुत लोकतांत्रिक चीज नहीं है जहां तक सहकारी आन्दोलन की बात है लेकिन जो वस्तुस्थिति है उससे विरोधी दल के आदरणीय सदस्य भी इंकार नहीं कर सकते । इसी सदन में नित्य प्रति विरोधी दल के सदस्य यह आरोप लगाते हैं कि प्रदेश की सहकारी समितियों के पास पूंजी नहीं है गांव के स्तर से लेकर प्रदेश के स्तर तक । इतना ही नहीं, यह भी आरोप वे लगाते हैं कि सारी सहकारी समितियों के हिसाब-किताब में गोलमाल है, गबन है, एकाउन्ट्स ठीक नहीं हैं । भीखालाल जी भाषण देते वक्त कह रहे थे कि बैंक एकाउन्ट्स में फर्जी ट्रांस्फर्स होते हैं । तो एक तरफ आप यह कहते हैं कि सहकारी समितियों के पास पूंजी नहीं है, जिन उद्देश्यों के लिये उनका निर्माण हुआ है उसकी वे पूर्ति नहीं कर पाती हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार का यही उद्देश्य था कि सारी सहकारी समितियों में सरकार पूंजी लगायेगी और चौथी पंचवर्षीय योजना में उस उद्देश्य को बल दिया जा रहा है और करोड़ों रुपया गांव से ले कर जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर हाउसिंग, इंडस्ट्रीज, ट्रेड आदि में सरकार लगाने जा रही है क्योंकि सहकारी समितियां इस प्रदेश की अपने पैरों पर खड़ी हुई नहीं हैं, उनको पूंजी की आवश्यकता है । एक तरफ तो सरकार अपनी पूंजी दे और दूसरी तरफ सहकारी समितियों का

[श्री कृष्णानन्द राय]

चरित्र ऐसा न हो कि वह मजबूती से अपने कार्य को कर सकें और ऐसी हालत में सरकार का उनमें हस्तक्षेप न हो तो यह दोनों चीजें चल नहीं सकतीं । अगर विरोधी दल के सदस्य यह आश्वासन दे दें, इस तरह का सर्टिफिकेट दे दें कि प्रदेश की सारी सहकारी समितियां जो हैं उनमें गोलमाल नहीं है, गबन नहीं है, एकाउन्ट्स ठीक हैं और समस्त सहकारी समितियां अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं तो मैं उनकी इस मांग का समर्थन करूंगा कि इस विधेयक को फाड़ कर फेंक दिया जाय, रजिस्ट्रार को जितनी पावर्स दी गयी हैं और मंत्री महोदय को नामिनेशन की जो पावर्स हैं वे सब विदड्रा कर ली जायं । लेकिन ये दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं कि एक तरफ तो सरकार करोड़ों रुपये सहकारी समितियों में लगाये और दूसरी तरफ सहाकारी समितियों का चरित्र ठीक न हो, उनमें गबन हो, एकाउन्ट्स में गोलमाल हो लेकिन सरकार का हस्तक्षेप न हो । नामिनेशन के प्रति आक्षेप किया जाता है, कहा जाता है कि विधेयक में गवर्नमेन्ट नामीनेशन का प्रावीजन इसलिये रखती है कि वह अपने दल का बहुमत बनाये । विधेयक हम स्वीकार कर रहे हैं । लेकिन डैमोक्रेसी में आज माननीय बनारसीदास जी मंत्री हैं, कल कोई दूसरा हो सकता है इसलिये इस तरह से नीयत पर आरोप लगाना ठीक नहीं है । आप यह कहने के लिये तैयार हैं कि सरकार लाखों करोड़ों रुपयों की पूंजी लगाती है तो उसकी देखभाल करने के लिये किसी प्रतिनिधि को न रखें जब कि १०-२० रुपये के शेयर्स खरीद कर जनता के प्रतिनिधि डायरेक्टर बन कर उनको चलाते हैं ।

श्री विजयसिंह--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं माननीय सदस्य से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैंने कहा था कि सरकार दो आदमियों को नामीनेट कर सकती है । सरकार दो आदमियों को क्यों नामीनेट करना चाहती है जबकि एक आदमी ही उसकी उनके धन की, हित की देखभाल कर सकता है ? माननीय सदस्य इस बात का स्पष्टीकरण कर दें कि सरकार एक सरकारी और एक असरकारी व्यक्ति क्यों रखना चाहती है ? क्या इसलिये नहीं कि वह वोट बढ़ाना चाहती है और आधिपत्य जमाना चाहती है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने विधेयक को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया ।

श्री अधिष्ठाता--

धारा ३४ में दिया हुआ है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

ठीक है, आप बहुत पढ़े हैं । यह आपकी कृपा है कि आप समझ रहे हैं कि हम पढ़े हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है । आप सिद्धान्त पर बोल रहे हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय विजयसिंह जी ने अच्छा आरोप लगाया । केवल इसी का प्रश्न है कि सरकार शेयर्स खरीदती है और अपनी पूंजी लगाती है तो एक नामनी रखकर अपना काम चला सकती है । फिर दो नामनी रखने की क्या आवश्यकता है ? श्रीमन्, तर्क के अनुसार उनकी बात उचित सी समझ में आती है । लेकिन यदि वे इस विधेयक को गम्भीरता से पढ़ें तो पायेंगे कि जहां दो नामनीज का प्रावीजन है वहां वोट देने का अधिकार केवल एक को ही है । दूसरे नामनी को वोट देने का अधिकार नहीं है । लिहाजा आपका यह आरोप ठीक नहीं है ।

श्री विजयसिंह—

श्रीमन्, अधिकार तो वोट देने का केवल एक को ही है । लेकिन दो आदमियों का नाम निर्देशन करना ठीक नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, जो यह प्रावीजन है इसको देख लिया जायगा । इसमें ऐसी कोई बात नहीं है । सरकार १००/५० शेयर्स खरीद कर दो आदमियों को मनोनीत कर लेती है तो सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेती है । एक ही आदमी को वोट देने का अधिकार है । सरकार जब शेयर्स खरीदती है, अपनी पूंजी लगाती है और जिन लोगों के शेयर हैं चाहे वे जनता के हों, चाहे किसी फर्म के हों, चाहे किसी कारपोरेट बाडी के हों और सरकार जनता की कारपोरेट बाडी है, सरकार के खजाने का रुपया किसी की पाकेट का रुपया नहीं है । वह जनता का रुपया है और जब इस बात की आवश्यकता है कि सरकारी समितियों को चलाने के लिये शेयर्स खरीदे और पूंजी लगाये ।

श्री अधिष्ठाता—

एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहकारी और सरकारी का फर्क होता है । मान लीजिये ६० परसेंट शेयर गवर्नमेन्ट खरीदेगी तो उस वक्त दो तिहाई मेम्बर नामिनेट करेगी और सरकारी अफसर को भी वह बना सकेगी । तो यह तर्क है अपोजीशन का कि सोसाइटी में जब दो तिहाई मेम्बर नामिनेट किये जायेंगे और सरकार की तरफ से अध्यक्ष भी नामिनेट किया जायगा उस वक्त क्या दशा होगी ? वह सरकारी कमेटी होगी । सहकारी कमेटी तो कही नहीं जा सकती ।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जरा प्रिविलेज्ड कुर्सी पर बैठे हुये हैं । अतः मैं आपकी बात का जवाब देने में कठिनाई महसूस करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कहा कि अपोजीशन की तरफ से तर्क है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

आज जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वहां से जो बात कही जाती है, मैं नहीं कह सकता कि गलत कही जा रही है । यह समझा जाता है कि उस कुर्सी से जो बात कही जाती है, सही कही जाती है ।

श्री भीखालाल—

माननीय अधिष्ठाता ने वही बात कही है जो मैंने कही थी ।

श्री कृष्णानन्द राय—

प्रश्न यह नहीं है कि सरकार दो तिहाई नामिनेशन करती है और उसके जरिये से सरकार समिति पर नियंत्रण करती है । प्रश्न सिद्धान्त का है । सरकार कोई चिड़िया तो है नहीं । सरकार एक कारपोरेट बाडी है, जैसी प्रदेश की कोई संस्था, फर्म या यूनियन है । जिला सहकारी संघ का व्यक्ति जो शेयर खरीदेगा, कारपोरेशन जो शेयर खरीदेगा उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, उनको संचालन का भी अधिकार होगा । सरकार कारपोरेट बाडी है, ६० परसेंट शेयर खरीदती है और दो तिहाई का नामिनेशन करती है, तो उसकी नीयत पर हमला करना, यह सिद्धान्त का सवाल है । यदि आप मानते हैं कि जिस का रुपया है, उसको पूंजी का नियंत्रण करने के लिये अधिकार होना चाहिये और उसके लिये वह अपने आदमियों को रख सकता है तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये । अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते, अगर आप सोचते हैं कि सरकार का रुपया सबका रुपया है, सरकार लाखों करोड़ों की पूंजी खरीद ले, और उसका नियंत्रण

[श्री कृष्णानन्द राय]

न करे, तो सरकार पर कोई जिम्मेदारी नहीं रखनी चाहिये । रोज विधान सभा में प्रश्न पैदा होता है कि फलां मिल सोसाइटी में सरकार ने लाखों रुपये के शेयर खरीद लिये, वह मिल या सोसाइटी ठीक से नहीं चल रही है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है । यह दोनों प्रकार के आरोप नहीं चल सकते । या तो आप ग्रहण कीजिये कि नहीं प्रदेश का सहकारी आन्दोलन जनता का आन्दोलन है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपनी पूंजी का बन्दोबस्त कर सकता है तो आप को पूर्ण अधिकार है कि किसी प्रकार के सरकारी इंटरफेरेंस का जम कर विरोध करें ।

श्री अधिष्ठाता---

बिलकुल ठीक कह रहे हैं आप ।

श्री कृष्णानन्द राय---

आपको यह अधिकार है कि आप मांग करें सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि रजिस्ट्रार या मिनिस्टर को बैठा दें, नामिनेशन करे, और कंट्रोल तथा सुपरविजन की पावर अपने हाथ में लें । अगर आदरणीय सदन का विरोधी दल इस बात का सर्टिफिकेट दे दे कि हमारे प्रदेश के सहकारी आन्दोलन का स्वरूप यह हो, तो मैं इसमें साथ दूंगा । इस बिल को फाड़ कर फेंक दिया जाय और रजिस्ट्रार की पावर समाप्त कर दी जाय । लेकिन श्रीमन्, जब तक विरोधीदल के आदरणीय सदस्य नित्य प्रति इसकी मांग करते रहेंगे तब तक यही व्यवस्था ठीक है ।

अभी हाल में ३–४ वर्ष हुये भारत के प्रधानमंत्री स्व० पं० नेहरू हमारे उत्तर प्रदेश में आये थे, उस समय सहकारिता मंत्री और सहकारी अधिकारियों ने पता नहीं ८ हजार साधन सहकारी समितियों का नक्शा उनको दिया था कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में साधन सहकारी समितियां खोल दी गयी हैं और उसको एक बड़ा भव्य रूप दिया गया था । उस पर यही विरोधी दल के नेताओं ने आरोप लगाया था कि यह बिलकुल झूठा और फर्जी नक्शा प्रधान मंत्री को दिया गया है और जो यह सुन्दर चित्रण किया गया है वह धोखे की ट्टटी मात्र है । श्रीमन, मैं स्वयं इतनी बात स्वीकार करता हूं कि उस समय जो सहकारी साधन समितियां गांव-गांव में बनी थीं और उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था, उसका एक प्रारूप तैयार किया गया था, उनकी एक आउटलाइन बनाई गयी थी । किन्तु उनमें उनका विश्वास नहीं था क्यों नहीं था इसलिये नहीं था कि उन सहकारी समितियों के पास रुपया नहीं था । प्रदेश की सरकार की पूंजी खरीदने की जो सीमा थी वह, श्रीमन्, सहकारी बैंकों और सहकारी संघों तक सीमित थी वह नीचे की समितियों में नहीं गयी थी । नतीजा क्या हुआ कि गांव-गांव में साधन सहकारी समितियां भी खोल दी गईं, सारी व्यवस्था कर दी गयी, लेकिन वह साधन सहकारी समितियां किसी काम की नहीं थीं । उन पर जो खर्च किया गया वह भी किसी काम का नहीं रहा । वह किसी काम की इसलिये नहीं थी कि उनके पास पूंजी नहीं थी । उनके पास गांव-गांव में पूंजी प्राप्त करने का कोई स्रोत नहीं था । ऐसी स्थिति में क्या आखिर उनमें पुनः जीवन लाने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि सरकार अपनी पूंजी को आगे बढ़ाये और जो गांव-गांव में साधन सहकारी समितियां हैं उनको चलावे । इसलिये अब उनमें सरकार पूंजी खरीदेगी । इस प्रकार से करोड़ों, अरबों रुपया सरकार का जनता में और किसानों में फंसा है और यह कहा जाये कि सरकार हस्तक्षेप न करे यह कहां तक ठीक है ? मैं विरोधी दल के नेताओं से इस बात की करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि उनका इस प्रकार सोचना बहुत ही खतरनाक होगा इस आरोप के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी दिखाना उचित नहीं है । विधेयक का जो स्वरूप है, मंत्री जी इसमें जितनी दूर तक प्रगति कर सके हैं, उसके लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ही देना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि कृषि साधन सहकारी समिति में विशेष रूप से सरकार शेयर खरीदेगी, पूंजी खरीदेगी और प्रयास करेगी कि कृषि सहकारी साधन समिति प्रदेश में और जानदार हों ।

श्रीमन्, यह सही चीज है आज के युग में, किन्तु कृषि में सहकारिता के नाम पर ही स्वतंत्र पार्टी के लोगों के मन में आग लग जाती है । आज यहां पर पार्टी के नेता मौजूद नहीं हैं । विजयसिंह जी क्या आप भी स्वतंत्र पार्टी में हैं ? हां, मुझे दुःख होता है कि आप ऐसे विचारशील व्यक्ति स्वतंत्र पार्टी में हैं, खैर ।

मुझे याद है कि स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष भानुप्रतापसिंह जी बनारस का दौरा करने के लिए गये । मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि उन्होंने लोगों को बुलाकर एक बड़ा सुन्दर भाषण दिया और उन्होंने यह बात कही कि यदि उत्तर प्रदेशीय सरकार इस बात की घोषणा कर दे कि प्रदेश में सहकारी कृषि का आन्दोलन समाप्त कर दे या यह कह दे कि सहकारी कृषि में उसका विश्वास नहीं है तो हम अपनी स्वतंत्र पार्टी को तोड़ देंगे । यह सरकार लोकतंत्री सरकार है । वह यह चाहती है कि ५, ६ पार्टी रहें । आप लोग आपस में सर फोड़ते हैं । इस में हमारा नुकसान क्या है, आप २० पार्टी बना लें । हम ऐसा क्यों करें कि इनकी पार्टी ही टूट जाय । इनको सरकार की सहकारिता से चिढ़ है । इसी से ये विरोध करते हैं । मैं विजयसिंह जी से अनुरोध करूंगा कि जो आज के युग की हवा है उसको देखने का प्रयास करें । आज दुनियां की आधी जनसंख्या में सहकारी कृषि बन गई है । सारे रूस में, ईस्टर्न यूरोप में, चीन में सहकारी कृषि बन गयी है । आज यह वहां पर हालत है कि २०, २५ प्रतिशत कृषि पर वहां के लोग हैं और ६०, ७० प्रतिशत उद्योग धन्धों पर लगे हैं लेकिन वह इतना अन्न पैदा करते हैं कि अपने देश को खिला नहीं पाते हैं बल्कि और देशों को भी सप्लाई करते हैं.....

श्री विजयसिंह—

रूस ने तो अभी अमेरिका से मंगाया है तो कैसे कहते हैं कि वहां पर ज्यादा पैदा होता है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

इस दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो दूसरे किसी देश से कोई चीज न मंगाता हो । इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन और हिन्दुस्तान कोई चीज अपने यहां इतनी ज्यादा पैदा नहीं करते हैं कि उनको दूसरे देशों से किसी चीज की जरूरत न हो । मैं इस लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता हूं । जो स्वतंत्र पार्टी के लोगों का खयाल है कि रूस और चीन में सहकारी कृषि से उत्पादन कम है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं । मैं यह मानने के लिए तैयार हूं, जहां तक मुझे मालूम है, शायद दुनिया में १८ मुल्क ऐसे हैं वहां पर उत्पादन का औसत १८, १९ प्रतिशत लोगों तक सीमित है । जापान, न्यूजीलैंड, हालैंड, बेलजियम, जर्मनी, चीन, रूस और मिश्र अन्न अधिक उत्पादित करते हैं । इन सारे देशों में खेती सहकारी खेती या सरकारी खेती के रूप में परिवर्तित होती जा रही है । आज जितने भी प्रगतिशील देश हैं उनमें २०, २५ प्रतिशत जनता कृषि पर है और ७०, ७५ प्रतिशत जनता उद्योगधन्धों में लगी है लेकिन उन देशों में २०, २५ प्रतिशत जनता सहकारी कृषि के माध्यम से इतना पैदा करती है जो उनके देश को ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि दूसरे देशों को भी भेजते हैं लेकिन हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां पर ७०, ८० प्रतिशत जनता कृषि पर लगी हुयी है और मुश्किल से २०, २५ प्रतिशत जनता उद्योग-धंधों में लगी हुई है तो उस ७०, ८० प्रतिशत जनता की इतनी काम करने की क्षमता है, वह इतना अन्न पैदा करती है कि यहां पर करोड़ों टन अनाज अमेरिका से मंगाना पड़ता है लेकिन फिर भी यहां पर भुखमरी की आवाज रोज सुनने को मिलती है । और उसको इस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि ·५ और .२ एकड़ खेतों के टुकड़ों का जो औसत है वह टूटे और उसके स्थान पर १०, २०, ५० या ६० एकड़ के कृषि फार्म बने और २५–३० प्रतिशत लोग ही हिन्दुस्तान के अन्दर खेती पर रहें तभी वे ज्यादा गल्ला पैदा कर सकेंगे । सहकारी मंत्री महोदय ने सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन देने का काम सहकारी कृषि संस्थाओं में विशेष रूप से सरकारी पूंजी खरीदने का संकेत किया है, उसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि यह युग की मांग है और इस युग की मांग का विरोध करने से कोई लाभ नहीं है ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

माननीय भीखालाल जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि रजिस्ट्रार के पावर को सिद्धान्ततः में बहुत अच्छा नहीं समझता। उन्होंने भूतपूर्व रजिस्ट्रार की शिकायत की और वर्तमान रजिस्ट्रार की तारीफ की। मेरी न तो भूतपूर्व रजिस्ट्रार से कोई जान पहचान थी और न वर्तमान रजिस्ट्रार से ही जान पहचान है, लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं, उनके चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। चाहे जो भी रजिस्ट्रार हों वे अपने मन की बात ही करते हैं। रजिस्ट्रार के पावर का जहां तक संबंध है, इस विधेयक में आप देखेंगे कि कोई बहुत ओवर आल पावर उसे नहीं है, कोई ऐडिशनल पावर नहीं है, इस विधेयक में साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति विधेयक में लिखे गये उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता या जो बाईलाज हैं उनकी पूर्ति नहीं करता और अपनी संस्था का निर्माण करता है तो रजिस्ट्रार उसका रजिस्ट्रेशन करेगा। पहले 'कर सकता है' था।

श्री अधिष्ठाता—

अभी बहुत जगह कर सकता है, लिखा हुआ है।

श्री कृष्णानन्द राय—

कम से कम जिस क्लाज को मैंने देखा उसमें यह जरूर देखा कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर रजिस्ट्रार का कोई अधिक सुपरवाइजरी कंट्रोल नहीं है। इस संबंध में माननीय भीखालाल जी की बात को सुनकर मुझे बड़ा धक्का लगा। इस विधेयक के उद्देश्य के अन्दर रजिस्ट्रार महोदय रजिस्ट्रेशन के किसी काम में कोई अड़ंगा नहीं लगा सकते हैं। इस विधेयक के उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए यदि कोई समिति बनी हुई है और निबंधक महोदय के पास उसके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कागज जाता है तो निबंधक महोदय उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करेंगे। यदि कोई ऐसी बात है कि वे नहीं कर सकते तो इसके लिए अलग से प्रोविजो दिया हुआ है। एक ऐडिशनल पावर है न करने की। यह और अधिकार दिया गया है कि यदि दो महीने तक किसी कोआपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन न किया जाय तो उस संबंध में और कार्यवाही की जायगी। श्रीमन्, मुझे दुख है इस बात को कहने में कि यहां के रजिस्ट्रार महोदय का दफ्तर बिलकुल निकम्मा है, जिस कागज को भी यहां रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है वह ६–६ महीने और सालों तक पड़ा रहता है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। मैंने ही अपने यहां की तीन समितियों के कागजात को भेजा लेकिन उन पर कोई कार्यवाही यहां से नहीं की गई। पहले ए० आर० ए० के यहां दो महीने कागज पड़ा रहता है, फिर यहां लखनऊ में पड़ा रहता है, इस तरह से सालों तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए उचित प्रबंध किया जाय। इसके लिए आज इस विधेयक में एक प्रगतिशील प्रोविजन रखा गया है कि यदि २ महीने के अन्दर रजिस्ट्रार महोदय रजिस्ट्रेशन नहीं करते और अपने निर्णय की सूचना नहीं देते तो इप्सो फैक्टो—उसे रजिस्टर्ड हुआ मान लिया जायगा। जो विधेयक मैंने पढ़ा है उसकी बात मैं कह रहा हूं। अब आगे भविष्य में क्या होगा, इसकी बात मैं नहीं जानता। मैंने तो सरसरी निगाह से इसको पढ़ा है, डिटेल में नहीं जा पाया हूं। मैं आपके माध्यम से क्षमा चाहता हूं कि डिटेल नहीं बता सकता। हो सकता है कि जैसा कि भीखालाल जी ने कहा, थोड़ी सी कठिनाई हो, तो मैं उस प्वाइंट को प्रेस नहीं करूंगा। इस विवाद को और न बढ़ाकर अब मैं सारांश म इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सिद्धांत रूप से ऐसे विरोध की गुंजाइश होते हुए भी कि अभी सरकारी हस्तक्षेप की इसमें गुंजाइश है, लेकिन परिस्थितियों के कारण जिस प्रकार का हस्तक्षेप इसमें रखा गया है और प्रगतिशील कदम रखे गये हैं वह एक माइल स्टोन है, वह ऐसा कदम है जो कि सहकारी आन्दोलन को एक ऐसा स्वतंत्र आन्दोलन का रूप देगा कि वह एक प्लेटफार्म बनेगा, एक पूर्ण जन आन्दोलन का—इन शब्दों के साथ मैं भीखालाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, जो विरोधी पक्ष की ओर से प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जबसे यह विधेयक बना तभी से और उससे पहले से ही ऐसे बोल सुनने को मिले थे कि देश में ऐसा सहकारिता का आन्दोलन चलेगा कि देश सीधा बैकुंठ पहुंच जायगा और घी, दूध की नदियां बहेंगी। कोई अछूत-हरिजन नहीं रह जायगा, अमीर-गरीब नहीं रह जायगा। यह सारे बोल सहकारिता आन्दोलन के नाम पर सुनने को मिले। मान्यवर, भूमि व्यवस्था संबंधी जो ढोंग रचा गया उसके अन्दर भूमिहीनों की वह दुर्दशा हुई है कि जो अकथनीय है अवर्णनीय है। जो नम्बरी खेत थे उनकी लम्बाई चौड़ाई चारों तरफ काश्तकारों ने बढ़ा ली। ग्राम से संबंधित सारी भूमि खेती में चली गयी। जमींदारी उन्मूलन के बाद, जितनी जमीन निकली, वह चली गयी। आदरणीय बिनोबा जी की भूदान की जमीन भी उनके पेट में समा गयी। हदबन्दी और चकबन्दी के बाद निकली जमीन भी चकबन्दी के पेट में समा गयी। न ऊसर बाकी है, न बंजर, न परती, न गरीबों के निकलने के लिए रास्ता बाकी है और न उनके लिए घर बनाने को जमीन बाकी है। यह सहकारिता का नमूना सामने आ रहा है। वह जाल फैला दिया है उन्होंने जो कि समाज को दबाये बैठे थे। वही इस सहकारिता के अन्दर घुस बैठे। बीबी के नाम, बच्चे के नाम, पेट में होने वाले बच्चे या आने वाली बहू के नाम लिख कर सहकारिता को अपने हाथ में लेकर वह बैठ गये। यह इनकी मक्कारी और धूर्तता है। मैं आपको नमूना पेश कर रहा हूं कि सहकारिता के नाम पर किस तरह से सदन के माननीय सदस्य लूट-खसोट कर के अपनी कुनबा परस्ती और पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाये हुए हैं।

अधिष्ठाता महोदय, वहां की नगरपालिका को एक बहुत लम्बी चौड़ी रकम दी गई सहकारिता के नाम पर। वह अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के मकान बनाने हेतु दी गयी। मैं चार्ज लगाता हूं, आप उसकी जांच कर लें, वह रुपया उनको नहीं मिला, उससे एक चन्दापुर अहाता खरीदा गया, पच्चीसों कोठियां बन गयीं, और अन्त में बेच दी गयीं। कुछ किराये पर उठा दी गयीं। मैं नहीं जानता कि वह रुपया वसूल हुआ कि नहीं। जितना रुपया बंटा उसका क्या हुआ कोई हिसाब किताब नहीं है। कई बार यहां पर सवाल भी उठाये गये, कहा भी गया कि जांच करायी जाय, मगर जांच नहीं हुई, कहा गया कि वह तो स्वतंत्र संस्था है, जो चाहे करे। इतना ही नहीं तहसील मंझनपुर हेडक्वार्टर पर एक ईंट के भट्टे के लिए कितना ही रुपया दिया गया। वहां पर कितना ही कोयला, सीमेंट, लोहा आदि गया। वहां के सरपंच, बी० डी० ओ०, प्रधान और कुछ आदमियों ने गुट बनाकर वह सब बेच डाला। ९–९, १०–१०, १२–१२ रुपये में सीमेंट की बोरी बेची गयी। मैं नाम भी बता सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

नाम न लीजिए।

श्री नाथूराम शिक्षक—

अच्छी बात है। ब्लाक प्रमुख, सरपंच, ग्राम सभापति आदि उसमें शामिल थे। मैं कहता हूं आप इस सब की जांच करा कर देखें। श्रीमन्, जो २५–३० हजार की इमारत बनी, उसका उद्घाटन करने हमारे सहकारिता मंत्री भी गये थे। इतना ही नहीं, और बताता हूं। मेरे क्षेत्र में, शाहपुर-मुबारकपुर में गरीबों को प्रेस करके जल्दी-जल्दी शेयर्स दिलवाये गये, मेम्बर बनाया गया सोसाइटी बनी, मगर आज न कोई सहकारी समिति है, न उसका कुछ काम हो रहा है। आप २०–२५ रुपये में एकाउन्टेंट रखा हैं, ४–४ साल तक उसको वेतन नहीं मिलता है, वह क्या काम करेगा? आज तक मैं कहता हूं कि रुपया बंटा ही नहीं। यह महज धोखा-धड़ी है। आज स्थिति यह हो गयी है कि अगर सरकार भूमिहीनों और हरिजनों को दाना न दे तो वे जिन्दा नहीं रह सकते हैं। सरकार की आज हिम्मत नहीं रही है कि वह गांव में खाने की व्यवस्था कर सकें। यह लोग सहकारिता के नाम पर जनता को गलत रास्ते पर ले

[श्री नाथूराम शिक्षक]

जाकर, अपनी राजनीति चलाते हैं और अपने कारनामों को थोपा करते हैं। आज सरकार की हर स्कीम फेल हो चुकी है। जहां जहां भी इनकी पूंजी लगी है, कहीं से कोई वापसी नहीं हो रही है। अब सरकार टैक्स और लगाने की सोच रही है।

अन्त में, श्रीमन्, मैं इतना और कहूंगा कि इस सबकी आप जांच करायें। जो काम हो रहे हैं उनकी जांच हो। जितना रुपया, सीमेंट, लोहा आप देते हैं उसकी जांच हो। चार, पांच, दस ऐसे होते हैं हर गांव में जो इनकी पूजा करते हैं, इनको फूल मालायें पहना कर समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं सहकारिता के बिल का, जो विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत हुआ है, समर्थन करते हुए आपके माध्यम से सरकार से उम्मीद करूंगा कि विरोधी दल यदि कोई आवाज उठाता है तो उसके अन्दर कोई तत्व होता है, चाहे आप उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा, सदन में यही बात देखी गई है कि विरोधी दल की ओर से उठाई गई बात पहले ही विदूषक पने में टाल दी जाती है और उसका असर यह होता है कि जिनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं उनकी गलत बयानियों से उन पर उल्टा ही असर पड़ता है। अधिष्ठाता महोदय, विरोधी दल की तो इन्हें कदर करनी चाहिए यदि हमारी बताई गई बातों पर सरकार द्वारा तुरन्त जांच करा ली जाय तो हमारा विरोध तो अपने आप से खत्म हो जाय। हम तो गड़बड़ियों की ओर इशारा मात्र करते हैं आप उनकी जांच करवा लें और देखभाल करें, मगर ये मानते नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सदन के सामने जो विषय प्रस्तुत है वह यदि अब से कुछ वर्ष पहले आया हुआ होता तो हमारे प्रदेश की जनता के लिए अधिक लाभकर हुआ होता। परन्तु फिर भी जो अच्छी चीज जिस समय भी आ जाय उस समय ही उसका स्वागत करना चाहिए। अभी जो मेरे माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि विरोधी पक्ष की ओर से जो बराबर यह बात उठाई जा रही है कि इसमें सरकारी हस्तक्षेप बहुत है इसीलिए यह बिल मान्य नहीं। मुझे तो उनका भाषण सुनकर ऐसा लगा कि वे जो २ बातें कह रहे थे अगर वे सब बातें सही हैं, मैं समझता हूं, जरूर होनी चाहिए, तो फिर सरकार का जितना हस्तक्षेप अधिक से अधिक हो, उतना ही अच्छा है। माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं उनको रोका कैसे जा सकता है। उनकी एकमात्र रोक हो सकती है तो वह यह कि सरकार समय समय पर ऐसी बातों को रोकती रहे।

अधिष्ठाता महोदय, इसके बाद मैं केवल एक दो बात इस बिल के संबंध में रखूंगा जैसा अभी बतलाया गया कि १९१२ का अधिनियम जो हमारे सामने बना हुआ था जिसके मातहत आज हमारी सहकारी समितियां और दूसरे आन्दोलन चलायें जा रहे थे वह इतना पुराना हो गया था कि उसमें परिवर्तन करना आवश्यक था और इस बात को देखते हुए यह बिल लाया गया। देश की सरकारों को चलाने के लिए दो रास्ते अब तक चले आते थे। कहीं-कहीं पर रूस और चीन की तरह की रीति थी। वहां किसी को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। दूसरी ओर ब्रिटेन और अमेरिका था जहां पर पूंजीवादी कब्जा किये हुए थे। उससे भी हमारी सरकार बचना चाहती थी। इन दोनों में से मध्यम मार्ग यह हो सकता था कि हमारे देश में जितने भी काम हों वे सहकारी समितियों के द्वारा हों ताकि न पूंजीवादियों का कब्जा हो सके और न इस तरह की बात हो सके कि किसी एक सोसाइटी का या किसी एक पक्ष का कब्जा हो जाय जिससे उसको किसी तरह से निरस्त ही न किया जा सके। इस देश की सरकार ने जो आन्दोलन चलाया है, उसके लिए विधेयक का जल्द से जल्द सुधार होना, इस ऐक्ट में अधिक से अधिक उपयोगी बातों को लाना और उस तरह की बातों को लाना जिससे शासकीय ढंग से जो रुकावटें डाली जा सकती हैं वे कुछ हद तक कम हो जायं और उसके साथ-साथ जो उसके

अन्दर चुने हुए प्रतिनिधि हों उन चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक अधिकार दिये जा सकें, इन बातों का होना बहुत आवश्यक था ।

एक बात जो कही गई कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय, मैं बैठा-बैठा सोच रहा था कि जिन माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखा है, उनका इससे क्या मतलब है। इससे पहले यह प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया, १६ उसकी बैठकें हुईं, वहां विचार विमर्श किया गया। कुछ सदस्यों ने अपनी विमति भी प्रकट करने का प्रयत्न किया और वह भी सामने आयी। यह सब कुछ होने के बाद फिर उसी बात को दोहराये जाने से गवर्नमेंट को या इस हाउस को या जो माननीय विरोधी दल के सदस्य ऐसा चाहते हैं उनको क्या लाभ होगा, यह मैं समझ नहीं पाया। क्या आज कोई भी विरोधी दल का माननीय सदस्य यह गारंटी के साथ कह सकता है कि हम इस बिल को फिर प्रवर समिति को भेज दें और दोबारा जब यह वहां से वापस आयेगा तो इस पर बहस की आवश्यकता नहीं होगी और ज्यों का त्यों इसको मान लिया जायगा। फिर इस प्रकार का संशोधन उसमें नहीं आयेगा क्या कोई भी माननीय सदस्य इस बात को कहने के लिए तैयार है और अगर यह बात फिर दोहरायी जानी है तो क्या यह अच्छा नहीं है कि इसी वक्त विरोधी दल के माननीय सदस्यों की बातें सुन ली जायं और इधर वालों की भी सुन ली जायं और इसके बाद वह चीज जो कई वर्ष पहले आनी चाहिए थी और जो अब इतनी देर में आ रही है, उसको हम पास कर दें, जिससे किसानों का या दूसरे लोगों का जो कि व्यापार करना चाहते हैं और उन सब लोगों का जो सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं उन लोगों का जो कि यह महसूस करते हैं कि हमारे जितने भी काम हों, उनमें सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो और हमारे जो चुने हुए सदस्य हैं या जो प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं उनका अधिक से अधिक उसमें सम्मिश्रण हो, उन सबको इससे लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए यही अच्छा होगा कि हम इस अधिनियम को जल्दी से जल्दी पास कर दें ।

जैसी कि अभी चर्चा हुई, सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की होती है कि काम प्रजा के चुने हुए आदमी करें और उनको पूरे अधिकार भी दिये जावें, लेकिन साथ साथ अंकुश का रहना भी बहुत आवश्यक है । हमारे यहां तो ऐसा आता है--"दण्ड शास्ति प्रजासर्वा" । बिना दण्ड के प्रजा में किसी प्रकार की हुकूमत चल नहीं सकती । तो जबकि दण्ड की आवश्यकता है तो मैं पूछना चाहूंगा कि कोई अंकुश प्रजा के चुने हुए सदस्यों पर होना चाहिए या नहीं, उन पर किसी अंकुश की आवश्यकता है या नहीं और अगर है तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अधिकार सरकार को अगर हो तो हानि क्या है ? और जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि जब सरकार पूंजी भी लगायेगी, पैसा भी देगी, तो दूसरे लोग उसमें अपना पैसा लगायेंगे उनको तो उसमें राय देने का अधिकार होगा, चुन कर के जाने वालों का अधिकार होगा, लेकिन सरकार अपना पैसा लगावे और उसे कोई अधिकार, माननीय अधिष्ठाता महोदय न हो उसमें हस्तक्षेप करने का, तो मैं समझता हूं कि फिर सरकार इसमें पैसा क्यों लगाये ।

श्री अधिष्ठाता--

उसमें बात यह है कि सहकारिता का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि शेयर पर नहीं जाना चाहिए, कोई आदमी कितना भी शेयर ले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोटर्स होने चाहिए, इस पर ध्यान होना चाहिए । इसीलिए यह चीज कही जाती है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या आप इस बहस में भाग लेना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द शास्त्री--

अभी माननीय अधिष्ठाता महोदय ने जैसा कहा, मैं समझता हूं कि वह उस कुर्सी पर आसीन है जिस कुर्सी से जब चाहें बोलने वाले सदस्य को आगाह कर सकते हैं और अगर वह कोई इस तरह

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

की बात कह रहा है तो उसे सचेत कर सकते हैं। मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूं लेकिन साथ-साथ यह जानना चाहता हूं कि उनके पास इस बात के लिए क्या उत्तर है जैसा कि यह हाउस चाहता था उसकी इच्छा के अनुसार इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया और प्रवर समिति ने काफी समय लिया, उसके बाद उसने अपना एक निश्चय भेजा। कुछ सदस्यों ने विमति प्रकट करने की भी कोशिश की, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी अगर वही शुरू से ही अ, आ, इ, ई से पढ़ाई शुरू करनी है तो अब तक जो समय हमने लगाया वह बेकार खोया गया।

आगे चलकर इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है मैं इसमें सब-से भारी खराबी जो माननीय सदस्यों के भाषणों से समझ पाया हूं वह है सरकार का हस्तक्षेप। ईश्वर करे यह विधान सभा हमारे प्रदेश की चलती रहे कोई उसमें रुकावट न आवे। तोयअगर कोई खराबियां इस विधेयक के अमल करने में सामने आवेंगी, उनका फिर संशोधन किया जा सकता है। बहती हुई धारा का सबसे बड़ा गुण यही है कि पानी एक जगह नहीं टिकता है। यहां आया फिर आगे गया, इसी तरह चलता रहता है। ठीक इसी तरह से जो देश और प्रदेश अपनी खराबियों को सुधारना चाहता है वह हर समय सक्षम है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को हम ठीक इसी तरह से पास कर दें, जिससे जल्दी इस पर अमल होने लगे। अमल के दौरान में अगर कोई कठिनाई महसूस हो तो उसके लिये संशोधन फिर लाया जा सकता है। हमारे माननीय सहकारिता मंत्री प्रजातंत्र के नियमों को स्वयं बहुत अच्छी तरह मानते हैं। उनकी उन में आस्था और विश्वास है। मैं समझता हूं कि अगर कोई भी सदस्य उनसे कहेगा कि इस तरह की दिक्कतें हैं तो वह स्वयं सदन के सामने संशोधन लावेंगे और उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। मैं मानता हूं कि विरोधी सदस्यों ने इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ा है, यह भी मैं मानता हूं कि उन्होंने इस पर अच्छी तरह से विचार-विनिमय किया है और अगर सब नहीं तो अधिकतर इस विधेयक की विचारधारा से सहमत हैं। अगर वे इससे सहमत हैं तो इस समय तो उन्हें चाहिये कि इस बिल को जल्दी पास होने दें और कम से कम ६ महीने देखें कि उसके अमल करने में क्या दिक्कतें सामने आती हैं। अगर ६ महीने के बाद माननीय सदस्य समझते हैं कि कुछ कठिनाइयां हैं तो यहां संशोधन लाया जा सकता है। उसे सुधारा जा सकता है। यह बहुत जनहितकारी काम हमारे प्रदेश में हो रहा है। अगर इसमें २,४ महीने की बाधा पड़ गई, बीच में हमारा कोई अधिवेशन नहीं हुआ तो फिर बजट अधिवेशन आ जायगा और उसके बाद सब लोग सन् ६६ की जून-जुलाई के बाद से अपने चुनावों की बातें करने में लग जावेंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि हम सन् ६७ के अधिवेशन तक इस बिल को ला ही न सकें। ऐसा हुआ तो फिर यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि अच्छा होता कि यह बिल १०,५ वर्ष पहले आ जाता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि समय रहते हम इस बिल को पास करें। न शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करेगा।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय भीखालाल ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सहकारिता के बारे में पूरी जिम्मेदारी इस बिल के जरिये जनता के हाथ में दे दी गई है। मुझे यह शेर इस संबंध में याद आता है--

"हम को क्या अगर दरिया लबरेज मयखाने में है,
हम तो उतना ही जानते हैं जितना कि तहखाने में है।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन यह सरकार बड़ी सुविधायें देती है और अपना लाभ चाहती है । मैं चाहूंगा कि इस विधेयक के द्वारा आप ने रजिस्ट्रार को क्या बना दिया जैसे राजा होते थे, इस तरह का पद आप उसको दे रहे हैं । जमींदारी नहीं रही लेकिन बू रहती है जैसे हींग की डिबिया खाली हो जाय फिर भी उस में बदबू जरूर रहती है । वह पूरी सोसाइटीज का मालिक होगा, उनका मालिक पूरा होगा चाहे जैसे लूटे और चलाये । इसीलिये इस विभाग में सब से ज्यादा गबन होते हैं । मैं चाहूंगा कि इन गबनों को रोका जाय और जो राजापन हम में था वह सहकारिता में न आये और वह पुराने जमीदारों तक ही सीमित रहे ।

दूसरी बात यह है कि सोसाइटीज का जो असली ध्येय है वह यह नहीं है कि मंत्रियों के स्वागत पर ज्यादा धन दिया जाय या फाटक ज्यादा बने या ज्यादा पैसा इन कामों पर खर्च हो । मैं चाहूंगा कि किसानों को वक्त पर कर्ज मिले और जब वह कर्ज मांगते हैं, बैल चाहे तो खाद मिलती है और खाद मिलना है तो पानी नसीब नहीं है । उन की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय ताकि पैदावार में बढोत्तरी हो और देश हमारा आगे बढ़े । गबन की मिसाल का एक मामला पेश करता हूं, एक पर्चा बंटा है उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा । इसमें लिखा है कि सहकारिता विभाग में लम्बा घुटाला, शायद वह आप तक भी पहुंचा होगा हमारे तक भी वह पहुंच गया, मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसा घुटाला इस विभाग में हो । सरकार इस पर ध्यान नहीं देती । घुटाला किस रकम का हुआ वह भी मैं बता दूं गबन का मसला है इसको पेश करते हुए भी मैं लज्जित होता हूं, इस को फाड़ कर फेंक दूं तो अच्छा है । इस में है सुपर-वाइजरों के वेतन का डेढ़ करोड़ रुपया का गबन, यह आडिट रिपोर्ट में है । मेरी मांग है कि इसे सदन में पेश किया जाय ताकि पब्लिक का पैसा जो बरबाद हुआ है वह सबको मालूम हो जाय । अगर यह घुटाला सही है तो सरकार इस को रोके । एक शेर सुनाता हूं--

अहसान तेरा होगा मुझ पर, मुझ को पलकों की छांह में रहने दो,
आंसुओं का हमारे गम न करो, यह बहते हैं तो बहने दो ।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस प्रस्तुत विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । श्रीमन्, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने और माननीय भीखा लाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, यह सहकारिता बिल जैसा बताया गया कि सन् १९६१ में प्रस्तुत हुआ था और इसमें कुछ संशोधन हुए, प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया और फिर टाइम बार हो गया और फिर दुबारा यह १९६४ में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया । जैसा १९६१ के बिल में बताया गया था यह जो हमारा मौजूदा कोआपरेटिव ऐक्ट है सन् १९१२ का यह बहुत पुराना हो चुका है । पुरानी जरूरतों के मानिन्द यह बनाया गया था । इस समय सहकारिता का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है अतः जो पुराना बिल है, अब बहुत आवश्यक हो गया है, कि शीघ्रातिशीघ्र इसके स्थान पर एक नया अधिनियम बनाया जाय । इसलिए यह बिल प्रस्तुत हुआ ।

श्रीमन्, इस सहकारिता के बारे में, जैसा कि मैं कल से सुन रहा हूं इसको आन्दोलन बताया जा रहा है । मैं इससे सहमत नहीं हूं । असलियत में सहकारिता आन्दोलन नहीं है, मूवमेंट नहीं है । आन्दोलन के पीछे एक विरोध की भावना रहती है किसी भी वर्ग के लिए या ऐक्शन के लिए । मैं समझता हूं कि सहकारिता किसी वर्ग के विरोध की भावना नहीं है इसलिये इसे आन्दोलन न कहकर जीवन का दर्शन मानता हूं । अच्छे जीवन यापन के लिए यह एक दर्शन है । इस दर्शन में, संसार में जैसा हम देखते हैं, एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए अवसर हो सकता है इसलिए इसे आन्दोलन न कह कर एक दर्शन कहना ज्यादा उचित होगा ।

जब मैंने ऐक्ट को पढ़ा और यहां पर जो हमारे प्रदेश में कोआपरेटिव का काम हो रहा है, उसको देखा तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अधिक जोर कृषि के ऊपर ही दिया जा रहा है ।

[श्री कन्हैयालाल]

जैसा कि अभी हमारे वक्ता महोदय कह रहे थे और जैसा हमारा अनुभव है वह यह कहते हैं कि दूसरे देशों में, उन्नतशील देशों में, कृषि पर निर्भर रहने वाले आदमी बहुत कम हैं। अमेरिका में यह परसेंटेज केवल ८ प्रतिशत है तो हम इस बिल को केवल कृषि के कार्यों तक ही सीमित रखेंगे तो कोई भी ऐसा बिल जिसका उद्देश्य ऐसा हो कि जीवनयापन का सिद्धांत बना रहे उसे ८,१० या २० प्रतिशत के लिए बनायें यह उचित नहीं प्रतीत होता है। यद्यपि आज हमारे प्रदेश में ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है लेकिन हमें आगे चलकर इसे कम करना है और लोगों को दूसरे व्यवसायों में लगाना है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस बिल में अधिक से अधिक प्राविधान मनुष्य जीवन के दूसरे क्षेत्रों के लिए होना चाहिये जैसे औद्योगीकरण आदि। हमारे प्रांत में हम यह महसूस करते हैं कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के जो रजिस्ट्रार हैं, वह अधिकतर जो कृषि समिति हैं जिनमें कृषक लेन-देन करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और रुपया देने वाली जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। औद्योगीकरण के लिये हमने अलग से विभाग खोल रखा है। औद्योगिक सोसाइटीज की देखभाल और उनका रजिस्ट्रेशन हमारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करता है। गन्ने की सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन तथा उनकी देखभाल डायरेक्टर केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करते हैं। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस प्रकार इस सहकारी आन्दोलन को विभिन्न भागों में बांट रखा है, अगर इस सबको एक मूवमेंट करना है ताकि प्रगति हो तो एकीकरण करना होगा और औद्योगिक सोसाइटीज, केन सोसाइटीज, गृह निर्माण सोसाइटीज सबको एक जगह लाना होगा तभी सहकारिता आन्दोलन हमारे प्रदेश का आगे बढ़ सकता है।

औद्योगिक सोसाइटीज में जो गड़बड़ी होती है उसका मूल कारण यह है कि उनके रजिस्ट्रेशन में दो-दो साल लग जाते हैं। हमारी सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाता है। सहकारी सोसाइटीज की रजिस्ट्री रजिस्ट्रार नहीं करता, ये पावर्स रीजनल डिप्टी रजिस्ट्रार को डेलिगेटेड हैं और वहीं वे सहकारी समितियां रजिस्टर हो जाती हैं। लेकिन औद्योगिक सोसाइटीज का जहां तक ताल्लुक है उनके डिप्टी रजिस्ट्रार (उद्योग), कानपुर में बैठते हैं और यहां दो, दो साल रजिस्ट्रेशन में लग जाते हैं और इस देरी के कारण वे अपने कार्य से वंचित रह जाती ह। इसलिये मेरा निवेदन है कि सबका एक जगह पूल किया जाय।

मैंने इस बिल को पढ़ा तो एक जगह मेम्बर्स के विमति पत्र लगे हुए हैं। उनमें एक जगह लिखा हुआ है कि एक क्षेत्र में एक ही सोसाइटी होनी चाहिये और दूसरी सोसाइटी की रजिस्ट्रार को एक ही क्षेत्र में परमिशन नहीं देनी चाहिये। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में या कोआपरेटिव आंदोलन में जो काम कर रहे हैं, उनका अनुभव है कि किसी बड़े गांव में जहां हम एक सोसाइटी बनायें तो बहुत से आदमी उसमें विभिन्न विचारधाराओं के होंगे। आगे चलकर इस विमति पत्र में लिखा हुआ है कि कुछ प्रभावशाली तत्व ऐसे हैं तो इन समितियों पर कब्जा कर लेंगे। इसी को मद्देनजर रखकर यह आवश्यक है कि एक क्षेत्र में दूसरी सोसाइटी के लिये भी परमिशन दे दी जाय ताकि हमारी दूसरी विचारधारा के लोग उस सोसाइटी को बना सकें। अगर इस विमति पत्र के इस सिद्धांत को मान लिया जाय तो यह डेमोक्रेटिक भी नहीं होगा।

दूसरी बात यह लिखी है कि कर्मचारियों के लिये जो औद्योगिक न्यायाधिकरण है उसी के अन्तर्गत बैंक्स को भी लाना चाहिये। श्रीमन, प्रांत में बहुत से बैंक का गठन हो रहा है। जिलों में वे काम रहे हैं, वहां पर बैन्क अधिनियम काम कर रहा है। वहां के कर्मचारियों को वही सुविधायें मिल रही हैं जो स्टेट बैंक के कर्मचारियों को मिली हुई हैं। इस बिनियम से पहले कोआपरेटिव बैंक के जिस चपरासी को ४० रुपये मिलते थे आज उसको १६० रुपये मिल रहे हैं। उनका अलग से न्यायाधिकरण है। उसके मातहत बैंक आ जाते हैं। इसलिये बैंक के कर्मचारियों की हकतलफी होगी, यह बात निराधार है। जो प्रावीजन मौजूदा विधेयक में किया गया है वह उचित है और सही ह।

एक बात और कहीं गई। जैसा कि माननीय भीखालाल जी ने कहा कि रजिस्ट्रार को बहुत पावर्स दी हुई है और एक तरह से यह सहकारी आन्दोलन के बजाय सरकारी आन्दोलन हो जायगा। सोसाइटियों में बहुत गहराई में जाकर देखें तो हमें वहां पर बिना पढ़े लिखे लोग मिलते हैं और वे लोग अपनी समिति का प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं। जहां विशेष तत्व आ जाते हैं वहां अपने स्वार्थ के लिए उल्टे सीधे प्रस्ताव पास कर लेते हैं। बहुत सी जगह यह देखने में आया है कि जो प्रस्ताव पास किये जाते हैं उनका सदस्यों को पता तक नहीं रहता है। इसलिये अगर सरकारी अंकुश इनके ऊपर नहीं रहेगा तो यह सहकारी आन्दोलन आगे चल नहीं सकता है। इसकी जो मंशा है वह पूरी नहीं हो सकती है। इसलिये इसके ऊपर अंकुश रहना जरूरी है।

श्रीमन्, हमने देखा कि अक्सर मायर जी व विरोधी दल के अन्य सदस्यों के प्रश्न आते रहते हैं कि फलां म्युनिसिपैलिटी ने यह कर दिया वह कर दिया और उसको ससपैन्ड नहीं किया गया। आप सोचिये कि म्युनिसिपैलिटी जैसी संस्थायें जिनमें समझदार तथा पढ़े लिखे लोग चुनकर जाते हैं और वहां चेयरमैन भी जिम्मेदार व्यक्ति होता है। फिर भी वहां गड़बड़ियां और गलत काम हो जाते हैं। इसलिये सरकार को अंकुश लगाना पड़ता है। हमारा प्राविधान है कि सदस्य को ससपेन्ड कर सकते हैं, चेयरमैन को ससपैन्ड कर सकते हैं और म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड कर सकते हैं तो इतना अंकुश इनके पर रहने की नितांत आवश्यकता है। यहां पर अधिकतर बिना पढ़े लिखे लोग हैं इसलिये सरकारी अंकुश हर स्टेज पर रहना जरूरी है।

यह कह गया कि रजिस्ट्रार में सारी ताकतें दी गई हैं। जब सरकारी अंकुश है तो किसी न किसी अधिकारी के पास सारी ताकतें रखी जायंगी तभी काम हो सकेगा। तभी सोसाइटीज चल सकती हैं और तभी सहकारी आन्दोलन सफल हो सकता है।

श्रीमन्, मैं मंत्री जी को २–४ सुझाव देना चाहता हूं और जब नियम बनेंगे तो उनका प्राविधान होगा ऐसी मुझे आशा है चुनावों में हर स्टेज पर गड़बड़ी होती है चाहे समिति का हो, यूनियन का हो या बैंक का हो। ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे चुनाव में किसी स्टेज पर गड़बड़ी न हो। जिलेवाइज या ब्लाक वाइज एक चुनाव मशीनरी बना दें जो इनका चुनाव करायें। सैंट्रल सोसाइटियों में आवश्यकता है। एक तिहाई का चुनाव होता है और दो तिहाई यों ही रह जाते हैं। और तीन साल में रोटेशन से चुनाव होता है। यह परिपाटी भी समाप्त होना चाहिये। जहां कहीं भी किसी संस्था को एग्जिक्यूटिव पावर्स मिलता है, जैसे म्युनिसिपैलिटी जिला परिषद् गवर्नमेन्ट पार्लियामेन्ट वहां पूरे का पूरा चुनाव होता है। बिलकुल यही परिपाटी बैंकों या सैंट्रल सोसाइटियों में अपनानी चाहिये। एक तिहाई का चुनाव न होकर पूरे का चुनाव होना चाहिये। जिस वक्त एक तिहाई का चुनाव होता है तो जो तत्व किसी सोसाइटी विशेष पर कब्जा किये हुए हैं वह कब्जा बराबर बना रहता है। दो तिहाई में उनका बराबर मैजारिटी रहती है, एक तिहाई में भी इन का एक आधा आदमी आ जाता है। इसका जरूर ध्यान रखा जाय कि टोटल चुनाव करवाया जाय, हिस्से में चुनाव न हो।

एक सुझाव मैं और दे रहा हूं। शिक्षक जी ने कहा कि बड़ी सोसाइटियों में गड़बड़ी है, लोग खा गये। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर यह नियन्त्रण न रखा जाय सरकार का तो उस खाने पीने को कैसे रोकेंगे। आपके इलाहाबाद के सदस्य हैं। वही खाते हैं। अगर सरकार का नियंत्रण कम कर देंगे तो और ज्यादा खायेंगे। इसलिये सरकारी नियंत्रण आवश्यक है।

एक बात जो हमारे कोआपरेटिव मूवमेन्ट को बदनाम किये हुए हैं वह ट्रांस्फर एंट्री है। रुपया वसूल नहीं होता, किताबों में वसूल दिखला दिया जाता है बैंक का ब्याज लिया

[श्री कन्हैयालाल]

जाता है और ट्रांसफर एंट्री का अलग से ब्याज ले लिया जाता है। मैंने स्टैंडिंग कमेटी में भी यह प्रश्न उठाया था। यह बिल उस कमेटी में विचाराधीन आया था। विभाग की तरफ से यह बतलाया गया कि रिजर्व बैंक अपना रुपया बैंक से मांगती है। हमारी यू० पी० कोआपरेटिव बक, डिस्ट्रिक्ट बैंक को देती है, डिस्ट्रिक्ट बैंक, सोसाइटियों को देती है। हमारी स्टेट कोआपरेटिव बैन्क में रिजर्व बैन्क का रुपया लगा हुआ। रिजर्व बैंक रुपया मांगती है। उस रुपये को दिखाने के लिए हम रुपया मांगते हैं। तब मैंने कहा कि अगर पांच छः साल की किस्तें कर दी जायं तो ट्रांसफर एन्ट्री का किस्सा खत्म हो जाय। तो उसमें उत्तर दिया गया कि रिजर्व बैंक हमसे रुपया चाहती है। मेरा निवेदन है कि जो मेम्बर ट्रांसफर एंट्री के लिये रुपया देते हैं उसका तो नौ प्रतिशत ब्याज रहता है। बाकी १०–११ प्रतिशत तक ट्रांसफर एंट्री के लिये लिया जाता है। इस तरह से १८ से २० प्रतिशत देना पड़ता है। जितना किसान रुपया देता है उसका १२ प्रतिशत से अधिक दलालों के बीच में जाता है बाकी जमा होता है। यह सात प्रतिशत रुपया बकाया जा सकता है अगर पांच छः किस्तों में कर दें। रिजर्व बैंक का रुपया स्टेट बैंक को कम से कम तीन किस्तों में देना पड़ता है। जितनी डिमांड है स्टेट कोआपरेटिव बैंक की उसकी आधी डिमांड रिजर्व बैंक की होती है। और आधी डिमान्ड होती है, वह तीन साल में चुकाई जाती है। इसके माने यह हैं कि १ बटा ६ रुपया यदि मिल जाये तो रिजर्व बैंक की डिमान्ड पूरी हो सकती है। जब किसान से २० परसेन्ट रुपया लिया जाता है ट्रांसफर एन्ट्री के लिये और उसका १२ परसेन्ट इधर उधर चला जाता है और सिर्फ ८ परसेन्ट सरकार के पास बैंकों के पास जाता है। तो ऐसी दशा में ऊपर के सुझाव पर चला जाय तो अच्छा हो। इससे रिजर्व बैंकों को भी एतराज नहीं होगा और बैंकों को भी कोई परेशानीतलब बात नहीं होगी और दलालों की जेब में जो अच्छा खासा प्रतिशत रुपया चला जाता है वह भी बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसान जो ज्यादा रुपया देते हैं वह बच सकेगा और उनका कर्ज शीघ्र कायदे से मुजरा हो जायगा और वह कर्ज जल्द ही बेबाक हो जायेगा। यदि मंत्री जी इस पर विचार करें तो यह आन्दोलन शीघ्र ही जनता का सच्चा कल्याण कर सकेगा और जो इस विभाग की बदनामी हो रही है वह भी बन्द हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे बताये हुये सुझाव पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत विधेयक का सम्मान करते हुए माननीय भीखालाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप इस वक्त अधिष्ठाता की कुर्सी पर बैठे हैं और आपने जो यहां पर प्रस्ताव पेश किया है। मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं इस बात को मानता हूं कि देश और प्रदेश में समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिये सहकारी संस्थाओं का बढ़ना और सहकारी आन्दोलन का बढ़ना बहुत जरूरी है। परन्तु उसके साथ-साथ यह भी मानता हूं कि सहकारी संस्थाओं और आन्दोलन का विस्तार और प्रसार जनता के अपने इनशियेटिव से हो तो समाजवादी व्यवस्था लाने में बहुत बड़ी सहूलियत होगी और जल्दी भी हो जाएगी। सहकारी आन्दोलन यदि कागजी तौर पर और सरकारी डंडे के बल पर चलाया जायगा तो हमारे देश में समाजवादी व्यवस्था हासिल करना तो दूर रहा वह बहुत धूमिल पड़ जाएगी।

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने बहुत बड़ी दलील दी कि रजिस्ट्रार को जो अधिकार सौंपे जा रहे हैं उनको उचित सिद्ध करते हुए उन्होंने कहा इससे समितियों की एफीशिएन्सी में बढ़ोत्तरी होगी, हिसाब किताब उनका ठीक होगा और उनकी कार्यवाही जो है वह बहुत अच्छी तरह चल सकेगी। लकिन मान्यवर, आप जानते हैं और सदन के माननीय कृष्णानन्द जी भी

जानते हों कि जो अधिकार उन अधिकारियों को सोसाइटियों के प्रति मिले हुए हैं, उसका इस्तेमाल वे उनकी एफीशिएन्सी बढ़ाने और कार्य को सुचारुरूप से चलाने तथा जनता को सुविधा पहुंचाने में न करके, समितियों के जो सीधे-साधे मेम्बरान हैं, उनको गुमराह करने में करते हैं। उन्हें गलत रास्ते पर लाने में ही उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। हो सकता है यदि रजिस्ट्रार को इतने व्यापक अधिकार और सत्ता नहीं सौंपी जायगी तो थोड़ा और अधिक गबन सोसाइटियों में हो सकता है थोड़ी और गड़बड़ हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि मनुष्य की प्रकृति नीचे गिरने की नहीं धीरे-धीरे अनुभव से लाभ उठाकर ऊपर उठने की होती है। जब वहां के लोग समझेंगे कि सोसाइटी का अमुक-अमुक व्यक्ति गड़बड़ी करता है, ईमानदार नहीं है तो वह उन्हें बदलकर दूसरे आदमी लाने की कोशिश करेंगे। जिस दौरान में सहकारी आन्दोलन का प्रसार हुआ है यदि सहकारी आन्दोलन का इस्तेमाल अधिकारियों ने जनता की ताकत को बढ़ाने के लिये किया होता तो आज जिस तरह से सहकारी आन्दोलन की बदनामी हो रही है, उस तरह से नहीं होती। वे उनके कार्य सहकारी आन्दोलन में जनता की दिक्कतों को बढ़ाने के लिये और अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिये हुए हैं; इसलिये मैं इस बात का घोर विरोधी हूं कि रजिस्ट्रार या सरकारी आफिसरों को और बहुत बड़ी सत्ता सौंपी जाय जिससे वे समितियों को आगे बढ़ाने में मदद न देकर उनको गिराने में सहायक हों।

माननीय कन्हैयालाल जी ने एक बहुत उपयुक्त सवाल उपस्थित किया है। उन्होंने ट्रांसफर एन्ट्री की बात कही है। मैं कहता हूं कि ९५ फीसदी से ज्यादा ट्रांसफर एन्ट्रियां होती हैं। कर्जदार या लेनदार जो सहकारी समिति के सदस्य होते हैं उनको अपने कर्जे से, उन्होंने तो १० फीसदी कहा है केवल १५ और १६ फीसदी तक अतिरिक्त रुपया देना पड़ता है शेष की कागज में ट्रांसफर एंट्री होती है। अंकों में लिखा पढ़ी से रुपया का जमा खर्च हो जाता है। मैं कन्हैयालाल जी की राय से बिलकुल सहमत हूं कि अगर हिस्सेदार अपना रुपया एकमुश्त जमा करने में असमर्थ है तो उसे किस्तों में रुपया जमा करने की सुविधा मिलना चाहिये ताकि रुपये का जो भारी ब्याज उस पर आ पड़ता है और उसे जो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है उससे बच जाय और सोसाइटी का रुपया धीरे-धीरे अदा हो जाय। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय कन्हैयालाल जी ने जो बात कही है उसे स्वीकार कर लें तो ज्यादा अच्छा हो। अगर वह एकमुश्त न दे सकें तो उसे सुविधा दी जाय कि वह दो, तीन, चार किस्तों में रुपया अदा करे जिससे वह छुटकारा पा ले।

मान्यवर, सोसाइटियों पर ब्याज की दर भी बहुत बड़ी है। उसको घटाने के लिये इसमें कोई प्राविजन नहीं है। वह होनी चाहिये इससे सदस्यों को कुछ राहत मिलेगी।

जहां तक मार्केटिंग सोसाइटियों की बात है वह इसलिये होती हैं कि काश्तकारों के उपज को ठीक तरह से बेचने और उचित दाम दिलाने का प्रबन्ध कर सकें। परन्तु ऐसा होता नहीं है। जो इन सोसाइटियों का मौजूदा फंक्शन है वह यही है कि जो ऋण लेने वाले सदस्य हैं उनकी उपज को वह मार्केटिंग कर दें। जो मार्केट रेट होता है और जो उनको मूल्य मिलना चाहिये उनके डिफरेंस को जमा करके यह सोसाइटियां व्यापार करती हैं। अगर इस तरह से कोआपरेटिव आफिसर और सहायक कोआपरेटिव आफिसर उससे लाभ उठाते हैं और मार्केटिंग सोसाइटियों की यही हालत बनी रहती है तो अच्छा हो कि इन सोसाइटियों को इन अधिकारियों के कब्जे से हटाया जाय और उनको अपने आप कार्य करके आगे बढ़ने में सहायता दी जाय।

सहकारी समितियों में गबन का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा यह विश्वास है कि अगर सोसाइटियों में सुपरवाइजर, ए० सी० ओ० और अन्य आफिसरान ठीक से देखभाल करें तो गबन और भ्रष्टाचार बढ़ नहीं सकता लेकिन वे तो अपने स्वार्थों का हल करने के लिये गलत रास्ते पर खुद जाकर उनसे भी गलती करा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। रुपया वसूल करके रसीद न देना, रुपया वसूल करके बैंकों में न जमा करना और रुपया गलत पेमेंट करके गलत दस्तखत करा लेना आदि यह सारे काम इनके नित्य प्रति के हो गये हैं। अगर ऐसी बातें हैं तो

[श्री होरीलाल यादव]

इन बातों के रहते हुये मैं इस बात का सख्त विरोध करता हूं कि इस तरह के अधिकार उनके हाथ में सौंप देने से सोसाइटीज को मौत के घाट उतार देना होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर मंत्री जी विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कमलासिंह जी यादव के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष पेश किया है यह एक बार इस सदन के सामने पहले भी आया था और सदन के माननीय सदस्यों ने और खासतौर से विरोधी दल के सदस्यों ने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था कि यह बिल प्रवर समिति में भेजा जाय जो उस पर विचार करेगी। विचार करने के बाद फिर जब यह सदन के समक्ष आयेगा तो उस पर विचार करके उसको पास करेंगे। माननीय मंत्री जी की उदारता के लिये हम उनको बधाई देंगे कि उन्होंने हमारे माननीय सदस्यों की बातों को मान कर इस बिल को प्रवर समिति के सामने भेजा था। प्रवर समिति में कौंसिल और विधान सभा के सदस्यों ने मिल कर विचार किया था और भली भांति विचार किया था। इस पर काफी दिनों तक विचार-विनिमय हुआ। मैं भी सौभाग्य से उस प्रवर समिति का सदस्य था। माननीय विरोधी दल के अनेक सदस्यों ने अनेक बार माननीय मंत्री जी को इस बात की बधाई दी थी कि प्रवर समिति के सामने जो भी वह संशोधन पेश करते रहे, जो भी मांग वह करते रहे उसको माननीय मंत्री जी बड़ी उदारतापूर्वक उसको मानते गये। अनेक बार उस प्रवर समिति में माननीय मंत्री जी को बधाई दी गई। काफी छानबीन के बाद प्रवर समिति ने दोबारा इस सदन में इसको भेजा है। बहरहाल यह बात ठीक है कि इस सदन में आने के बाद फिर उस पर विचार होना चाहिये और बहस होनी चाहिये और आपस में विचार विनिमय होना चाहिये। जो कमी है और खामी है उस पर हम विचार करें और संशोधन करके ज्यादा से ज्यादा उसको लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करें।

कुछ माननीय सदस्यों ने जो हमारी प्रवर समिति के सदस्य थे उन लोगों ने अपना डिसेन्ट नोट भी इसके साथ लगा दिया है। उसमें एक साहब प्रभुनारायण सिंह जी हैं जो विधान परिषद् के सदस्य हैं। उन्होंने डिसेंट नोट में यह दिया है कि अनुबन्धन के सम्बध में उन्होंने रजिस्ट्रार को ज्यादा पावर दे दी हैं। वह इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिये। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे श्रमिकों के अधिकारों को भी उन्होंने बहुत कम कर दिया है जिसके कारण हम यह चाहते हैं कि इन बातों पर फिर से विचार किया जाय। श्रीमन्, यह बात सही है और सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है किन्तु जब हम सहकारिता को एक आन्दोलन का रूप दे देते हैं और उसको आन्दोलन समझते हैं तो उस आन्दोलन के जरिये से अपने प्रदेश में सहकारिता की भावना भरना चाहते हैं। प्रदेश में प्रत्येक किसान को, प्रत्येक व्यक्ति को सहकारी बनाना चाहते हैं तो यह बात सही है कि सरकारी अधिकारियों का हस्तक्षेप बहुत कम होना चाहिये। यह बात सिद्धान्त के रूप में मानने के लायक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आते हैं और इस क्षेत्र में अपनी सोसाइटीज और बैंकों को देखते हैं तो यह सोचते हैं कि दरअसल अभी हम इस हैसियत में नहीं पहुंचे हैं कि सरकार से इसको बिलकुल अलग करके एक अलग से जनता की चीज बनालें और जनता द्वारा इसका प्रबंध हो, जनता द्वारा इसका निरीक्षण हो और इससे हम जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कर सकें।

हमारे सदन में अनेकों बार इस प्रकार की शिकायतें गयी हैं कि यह सहकारी विभाग इतना करप्ट और भ्रष्टाचारी है कि सोसाइटीज से संबंधित जो कर्मचारी हैं वे इतने बड़े-बड़े गबन करते हैं, इतने गलत कार्य करते हैं जिसके कारण सहकारिता आन्दोलन सफल

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हो पा रहा है। अनेकों बार प्रश्नों की शक्ल में और बजट सेशन के समय तथा जब भी मौका मिलता है, इस प्रकार के तमाम एतराजात हुआ करते हैं, तो दो तरह से इस बात को सोचना कुछ असंगत सा मालूम होता है। एक तरफ तो कहा जाता है कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत है, इसमें गबन बहुत है, और गबन करने वाले सोसाइटी के सदस्य हमारे चुने हुए ही हैं और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि हमारी सरकार के अधिकारियों का नियंत्रण इनके ऊपर नहीं होना चाहिये। यह बात कुछ असंगत सी मालूम होती है। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि अगर सरकारी अधिकारियों का नियंत्रण बिलकुल हटा लिया जाय, अगर सरकारी कर्मचारियों का संबंध इनसे बिलकुल विच्छेद कर दिया जाय तो आज जो स्थिति है उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। हमारे प्रदेश के किसान जो सोसाइटीज में हैं और चुन कर गये हैं वे भी सहकारिता के लक्ष्य और ध्येय को पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं। अभी तक उनके मस्तिष्क में यही है कि यह कर्जा देने वाली एक जमात है और यह एक सरकारी विभाग है जिसके द्वारा हमें गल्ला मिलता है, खाद मिलती है और इस प्रकार की और तमाम सुविधायें मिलती हैं। उनके दिमाग में केवल यही एक बात है। जब उनके दिमाग में यह बात आ जायगी कि यह सहकारी आन्दोलन है और सहकारी भावना से ही मनुष्य का अच्छा जीवन माना जायगा तथा सहकारिता के द्वारा ही मनुष्य उत्थान कर सकता है और जब तक हम सहयोग की भावना से मिल जुल कर कोई काम नहीं करते, रोजगार नहीं करते, तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती, जब तक यह बात उनके दिमाग में नहीं आयेगी तब तक इसका पूरा लाभ नहीं हो सकता है। इसीलिये सरकार ने यह नियंत्रण रखा है। सरकार ने जो ज्यादा से ज्यादा पैसे दिये हैं, इसीलिये इस पर नियंत्रण कर रखा है। सरकार को हजारों आदमियों के खिलाफ गबन के केस चलाने पड़ते हैं, हजारों केसेज उनको अदालतों में भेजने पड़ते हैं, हजारों आदमियों को नौकरियों से अलग करना पड़ता है, हजारों आदमियों को अदालतों में भिजवा कर उनको सजा करवानी पड़ती है, फिर अगर यह नियंत्रण उनसे हटा लिया जाय तो हम समझते हैं कि पूरा अंड-बंड हो जायगा।

माननीय प्रभुनारायणसिंह जी ने जो इसका विरोध किया है, मैं समझता हूं कि समय से पहले उन्होंने यह बात कर दी है। सिद्धान्ततः तो यह बात सही है लेकिन प्रैक्टिस में मौजूदा स्थिति में हमारे प्रदेश के किसानों की जो हालत है, आज जिस परेशानी की तथा दयनीय स्थिति में वे हैं, उसमें इस चीज को नहीं किया जा सकता है। आज हमारी जरूरियात व परेशानियां हमें मजबूर करती हैं कि हम बेईमानी करें और फिर अगर सरकार अपना नियंत्रण हटा ले तब तो हमारी अवस्था और भी खराब हो जायगी। इस तरह से मैं समझता हूं कि जो नोट आफ डिसेन्ट उन्होंने लिखा है वह सामयिक नहीं है, सिद्धातत: वह बात सही है लेकिन समय से पहले है। समय आवेगा जब कि हमारे प्रदेश के किसान सहयोग के बारे में समझ जायेंगे। हमारे दूसरे भाई माननीय नेता विरोधी दल ने बड़ा जोर दिया है और उनका नोट आफ डिसेंट इस बात पर आधारित है कि यह सरकार सहकारी खेती पर बड़ा जोर दे रही है। उनका यह कहना है कि अगर इसमें से धारा ११ निकाल दी जाय तो बाकी बिल बड़ा पवित्र और सुन्दर माना जायगा। उन्होंने सहकारी खेती के बारे में अपनी राय प्रकट की है। यह सही है कि हमारे नेता विरोधी दल, जनसंघ दल से संबंधित हैं और जनसंघ की मनोवृत्ति से ओतप्रोत हैं। उनका दल हमारे देश में, प्रदेश में बड़े-बड़े राजाओं, महाराजाओं, सेठ साहूकारों का दल है जो बड़े-बड़े खेती करने वाले थे, बड़ी-बड़ी जमींदारियों के मालिक थे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

कांग्रेस में बहुत ज्यादा राजा, महाराजा हैं उनकी गिन्ती इधर क्यों करते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

गंगवार जी, जरा सुनने की क्षमता रखिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

सुनकर ही कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका वक्त आयेगा तो जवाब दे दीजियेगा।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

उनको कष्ट नहीं होना चाहिये। यह तो कटु सत्य है। अप्रिय भले ही उनको लगी हो। उनके दिमाग में वही बात भरी है जैसे कि एक बंदरिया का बच्चा मर जाय और वह उसको तब तक अपने पेट में चिपका कर रखती है जब तक कि वह सड़-सड़ कर जमीन पर न गिरने लगे। जमींदारी समाप्त हुई, लेकिन जमींदारी की मनोवृत्ति उनके चुनावों की शक्ल में, सिद्धान्त की शक्ल में आती रहती है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह समय दोबारा वापस आने वाला नहीं है। दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है सहकारिता की तरफ, दुनिया का आधा हिस्सा सहकारिता आन्दोलन को मान चुका है। बड़े-बड़े देशों में सहकारी खेती मान ली गयी है। उससे बड़े बड़े लाभ हो रहे हैं। कृष्णानन्द जी ने बतलाया कि चीन और रूस और अन्य कुछ देशों में ३० फीसदी लोग खेती करते हैं और ७० फीसदी कल-कारखानों में काम करते हैं लेकिन उनका गल्ला हमारे देश में आता है। लेकिन हमारे प्रदेश की जनता ७५ फीसदी खेतों में काम करने वाली है, लेकिन आज भी हम भूखे हैं। हम दुहाई देते हैं कि हम परेशान हैं। एक फसल में भी गल्ला पैदा नहीं हुआ तो शोर मचाने लगते हैं। अगर आज बाहर के देशों, अमरीका का गल्ला न मिले तो हमारी हालत बड़ी खराब हो जाय। इसलिये जनसंघ के भाइयों को दुनिया के साथ चलना चाहिए वरना उनकी वही कपोल कल्पित बातें रह जायेंगी कि हमारे बाप-दादा जमींदार थे और साहूकार थे और फिर वह हतोत्साह होकर राजनीति से बिलकुल अलग हो जायेंगे। इसलिये उनको इस आन्दोलन के साथ चलना चाहिए।

आज हमारे खेत ३–३, ४–४ एकड़ के किसान जोतते हैं। जब पानी बरसता है तो जोतने जाते हैं। बड़ी दुर्दशा होती है। एक खेत कहीं है, दूसरा कहीं है। वह कायदे से जोत भी नहीं सकते। अगर १० किसान मिल कर ४०–५० एकड़ का फार्म बना लें, सरकारी सहायता भी प्राप्त करें, अच्छा बीज, खाद डालें, अच्छे हल बैलों का प्रयोग करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह खेत १० गुना ज्यादा उपज हमें दे सकता है और इस प्रकार से काफी उपज बढ़ सकती है। बगैर और किसी काम के तो हम जिन्दा रह सकते हैं, मगर बगैर अन्न के हम जिन्दा नहीं रह सकते। अन्न की पूर्ति के लिये यह जरूरी है कि हम सहकारिता का सहारा लें। उसके लिये सहकारिता आन्दोलन बहुत आवश्यक है। इसलिये इसके साथ मजाक नहीं करना चाहिये। जो लोग इसके साथ मजाक करते हैं वे जनता के साथ, जिनका वोट लेकर वे आये हैं, विश्वासघात करते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपना नोट आफ डिसेंट लगाया है वह केवल विरोध के लिये लगाया है।

हमारे माननीय मित्र भीखालाल ने भी अपना नोट आफ डीसेंट लगाया है। मगर उनका नोट और नोटों से भिन्न है। उन्होंने काफी सोच विचार कर काम किया है। उनके नोट को अगर देखा जाय तो उन्होंने उसमें यह लिखा है कि मैं इसका विरोध करना चाहता हूं सदन में, इसलिये यह नोट आफ डीसेंट दे रहा हूं। मतलब यह है कि उन्होंने केवल विरोध करने के लिये ही नोट आफ डीसेन्ट दिया, वैसे सचमुच में उन्होंने इस बिल को मान लिया है। मैं इसके लिये उनको बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार समिति में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई, मेहनत के साथ इस बिल को पढ़ कर अपने सुझाव रखे, उसके लिये मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उनको बधाई देता हूं।

मान्यवर, मैं गांव का रहने वाला हूं। (व्यवधान) वहां पर समितियों के कार्य को मैंने अपनी आंख से देखा है। उन समितियों के बारे में मुझे भी कुछ जानकारी है। माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने बहुत कुछ उनके बारे में शिकायतें की हैं। मैं अपनी जानकारी के आधार पर इन सोसाइटियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जब आये थे सहकारिता मंत्री हो करके, तो उसके बाद उम्मीद हुई थी कि इस विभाग को जिस प्रकार से वे क्रान्तिकारी मनोवृत्ति के हैं, उसी प्रकार से इसमें भी क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा। हमने माननीय मंत्री जी को बधाई दी थी और काफी दिनों तक इस बात का इन्तजार भी किया कि उसमें परिवर्तन होने वाला है। लेकिन मुझे इसका दुःख है कि बावजूद अनेक कोशिशों के वह विभाग इतने लोगों ने खराब कर रक्खा है, वह विभाग इतना पीछे चला गया है कि उसके प्रति हमारे देश के लोगों की आस्था इतनी खराब हो चुकी है और वह विभाग इतना बदनाम हो चुका है कि उसमें इतने क्रान्तिकारी मिनिस्टर आने के बाद भी उसमें परिवर्तन नहीं हो पाया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब भी उसी तरह की बातें सामने आती हैं, अभी गबन भी उसी तरह से चल रहे हैं . . . :

श्री अधिष्ठाता—

आप और बोलना चाहेंगे तो कल बोलियेगा।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२४ अगस्त, १९६५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२ पर)

हाईडिल डिवीजन, मुरादाबाद तथा हाईडिल डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, मुरादाबाद में खरीदे गये मीटर-बोर्ड का विवरण

क्रम-संख्या	फर्मों के नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें सप्लाई की गई				ठेकेदारों को किया गया कुल भुगतान (रुपयों में)
		१९६३–६४		१९६४–६५		
		सिंगिल फेज	थ्री फेज	सिंगिल फेज	थ्री फेज	
१	२	३	४	५	६	७
१	मेसर्स फेरस वर्क्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मुरादाबाद	१२२	७१	..	..	१५०४.५०
२	श्री फिदा हुसैन, ठेकेदार, मुरादाबाद ..	..	७०	..	..	९७९.३०
३	श्री इश्तियाक हुसैन, पुत्र श्री फिदा हुसैन, मुरादाबाद ..	२१९	..	..	..	१०९५.००
४	श्री अली हुसेन, पुत्र श्री कल्लन खां, मुरादाबाद	४५०	..	..	..	२२५०.००
५	श्री आनन्द स्वरूप, ठेकेदार, मुरादाबाद ..	५००	..	..	..	२७७०.००
६	श्री रियासत हुसेन, ठेकेदार, मुरादाबाद ..	५००	..	..	..	२७७०.००
७	मेसर्स फेथ इंजीनियरिंग वर्क्स, मुरादाबाद ..	..	१००	..	..	१३००.००
८	श्री आनन्द स्वरूप, ठेकेदार, मुरादाबाद ..	५००	..	..	..	२७९०.००
९	श्री इश्तियाक हुसेन, मुरादाबाद ..	१०००	..	..	..	४५००.००
		३,२९१	२४१			१९९५८.८०
१०	मेसर्स विद्या वर्क्स, लखनऊ ..	..	..	६७४	१०	४३३७.५०

१	२	३	४	५	६	७
११	मेसर्स केरस वर्क्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मुरादाबाद	..	..	..	११	१३७.५०
१२	श्री रियासत हुसैन, ठेकेदार, मुरादाबाद	..	..	५००	..	२८२०.००
१३	श्री रियासत हुसैन, ठेकेदार, मुरादाबाद	..	..	५००	..	२८२०.००
१४	फाइन स्टील वर्क्स, मुरादाबाद	..	..	..	२००	३१११.००
१५	श्री रियासत हुसैन, ठेकेदार, मुरादाबाद	..	..	५००	..	२८२०.००
१६	श्री रियासत हुसैन, ठेकेदार, मुरादाबाद	..	..	५००	..	२८४०.००
१७	श्री फिदा हुसैन, ठेकेदार, मुरादाबाद	..	..	५००	..	२८७५ .००
१८	मेसर्स के० सी० बन्सल एन्ड कं०, अलीगढ़	..	..	४९३	..	३०५७.०९
१९	श्री इश्तियाक हुसैन, मुरादाबाद	..	..	१०००	..	५०००.००
				४६६७	२२१	२९८१८.०९

विधान सभा सचिवालय

बी० एस० यू० पी०—ए० पी—११३ एल० ए०—१९६५—८६२ ।